36वीं वार्षिक रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

36वीं वार्षिक रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आईटीपीओ का मुख्यालय, प्रगति भवन, नई दिल्ली

2012 13

विषय सूची

निदेशक मण्डल 6

मुख्य कार्यकारी 7

भारत में आई टी पी ओ के कार्यालय 11

अध्यक्ष का वक्तव्य 14

वार्षिक आम बैठक की सूचना 23

निदेशकों की रिपोर्ट 28

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 50

सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र 61

लेखा 73

अनुषंगी कम्पनियां

(I) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन 106

(II) कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन 142

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में चल रहे मेले का दृश्य

2012-13

36वीं वार्षिक रिपोर्ट

fun'kd e.My

Jherh jhrk euu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Jherh vfurk vfXugk=h
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

Jh t-,l- nhid
अपर सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

Jh lh-d- feJk
संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं
मझौले उद्यम मंत्रालय
(22.09.2013 तक)

Jh iHkkr dekj
संयुक्त सचिव
विदेश मंत्रालय

Jh ,l-,u- f=ikBh
संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं
मझौले उद्यम मंत्रालय
(23.09.2013 से)

Jh vfHkthr ckl|
निदेशक

Jh ,l-,e- yk<k
निदेशक

Jh Mh-,l- jkor
निदेशक

Jh uhjt dekj xIrk
कार्यकारी निदेशक
(25.10.2012 तक)

श्री असित कुमार त्रिपाठी
कार्यकारी निदेशक
(23.01.2013 तक)

Jh ey; JhokLro
कार्यकारी निदेशक
(24.01.2013 से)

e[; dk;dkjh

श्री पी.सी. शर्मा
वरिष्ठ महाप्रबंधक

श्री बी.एल. मीणा
विशेष कार्याधिकारी

श्रीमती मीनाक्षी सिंह
विशेष कार्याधिकारी

श्री विक्रम सहगल
महाप्रबंधक

श्री दलेल सिंह
महाप्रबंधक

श्री एस. के. शर्मा
महाप्रबंधक

श्री अरुण चन्द्रा
महाप्रबंधक

श्री आर.के. सिंह
महाप्रबंधक

सुश्री वी. मीरा
महाप्रबंधक

श्री वाई.के. शर्मा
महाप्रबंधक

श्री एस.आर. साहू
कम्पनी सचिव

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2012 में
महामहीम भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का
स्वागत करते हुए, उनके बाईं ओर हैं– आईटीपीओ की
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती रीता मेनन

आईटीपीओ

2012 13

भारत में आईटीपीओ के कार्यालय

प्रगति मैदान में संचालित बहुव्यंजन फूड कोर्ट

भारत में आई टी पी ओ के कार्यालय

पंजीकृत एवं मुख्यालय

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
फोन: 91.11.23371540 (ईपीएबीएक्स), फैक्स: 91-11-23371492/1493
ई-मेल: info@itpo.gov.in, वेबसाइट: www.indiatradefair.com
ट्रेड पोर्टल: www.tradeportalofindia.com

क्षेत्रीय कार्यालय

बंगलौर
24-ए, इम्पीरियल कोर्ट,
33/1, कनिंघम रोड,
बंगलौर-560052
फोन: 91-80-22268867, 22268969
फैक्स: 91-80-22258662
ई-मेल: itpoblr@vsnl.net.in

चेन्नई
राजा अन्नामलाई बिल्डिंग, द्वितीय तल,
72, रुक्मणी लक्ष्मीपति रोड,
एग्मोर,
चेन्नई-600008
फोन: 91-44-28554655/28587297/28415416/28524655
टेलीफैक्स: 91-44-28554740
ई-मेल: itpochn@md4.vsnl.net.in

कोलकाता
इन्टरनेशनल ट्रेड फेसिलिटेशन सेन्टर
पांचवां तल, 1/1, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता-700016
फोन: 91-33-22825820, 22822904, 22828586
फैक्स: 91-33-22828269
ई-मेल: itpocal@cal3.vsnl.net.in

मुम्बई
7, कूपरेज रोड, तृतीय तल,
झांसी कैसल,
मुम्बई-400001
फोन: 91-22-22026629/22021788/22044918/22021730
फैक्स: 91-22-22044922
ई-मेल: itpomumbai@gmail.com/itpoby@rediffmail.com

प्रगति मैदान के एक थिएटर में संगीत सन्ध्या

आईटीपीओ

2012-13

अध्यक्ष का वक्तव्य

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

36वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

देवियो और सज्जनो,

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की 36वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ।

वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए निदेशकों का अपना प्रतिवेदन एवं परीक्षित लेखे तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं । ये सभी आपको पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ मान लेती हूं।

आई टी पी ओ का वित्तीय कार्यनिष्पादन

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के कार्य-निष्पादन के फलस्वरूप 152.29 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ जो वर्ष 2011-2012 में 183.03 करोड़ रुपये तथा 2010-11 में 70.87 करोड़ रुपये था । वर्ष 2012-13 के दौरान सकल आय 336.58 करोड़ रुपये हुई जबकि 2011-12 के दौरान यह 373.80 करोड़ रुपये तथा 2010-11 के दौरान 305.12 करोड़ रुपये थी क्योंकि चार प्रमुख मेलों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन द्विवार्षिक/त्रिवार्षिक प्रकृति के थे जिनसे 2011-12 में 107.28 करोड़ रुपये के अधिशेष की प्राप्ति हुई तथा उनका आयोजन वर्ष 2012-13 में नहीं किया जाना था । यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित है, इसलिए कोई लाभांश देय नहीं है । व्यय से अधिक आय की 152.29 करोड़ रुपये की राशि कम्पनी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षित निधि तथा अधिशेष खाते में डाल दी गयी है। इस वर्ष भी फिर से कम्पनी को भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि कम्पनी श्रेष्ठ लेखा गणना तथा प्रकटन पद्धतियों के लिये प्रतिबद्ध है ।

विदेशों में आयोजित मेलो में भागीदारी

कम्पनी ने विश्व भर में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान 22 विदेशी व्यापार मेलों में भारत की राष्ट्रीय भागीदारी आयोजित

की । इन 22 मेलों में से 8 मेले यूरोप में, छः अफ्रीका / पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में, चार उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संघ / लैटिन अमेरिकी देशों में तथा एक-एक मेला एशिया, सार्क, राष्ट्रकुल एवं स्वतंत्र राज्य संघ तथा आस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए । इन कुल 22 मेलों में से 10 सामान्य मेले एवं 12 विशेषीकृत मेले थे । उपर्युक्त मेलों में शामिल कुछ मेले अफ्रीका के बिग सेवन, जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका); समर फैन्सी फूड शो, वाशिंगटन (यूएसए); सियाल खाद्य पदार्थ मेला, पेरिस (फ्रांस); एशिया पैसीफिक चमड़ा मेला, (हांगकांग); एएफएल आरटीजियानो डी फिएरा-अन्तरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, मिलान (इटली); राष्ट्रीय हार्डवेयर शो, लास वेगास; आपेक्स, लास वेगास; सऊदी एग्रो फूड, (रियाद); एसीएलई, शंघाई; सियाल, पेरिस; तथा मेडिका (जर्मनी) हैं । कम्पनी ने उपर्युक्त के अलावा ओसाका जापान में आयोजित किये जा रहे भारतीय परिधान मेला एवं भारतीय घरेलू फर्निशिंग मेला को क्रमश: 33 वीं एवं 23 वीं बार आयोजित किया । इन दोनों मेलों में 28.14 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का व्यापार हुआ तथा इसे देखने के लिए 2057 व्यापारी दर्शक पधारे ।

भारत में आयोजित मेले

वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने भारत में 10 राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियां आयोजित की । इन 10 मेलों में से 7 मेले दिल्ली में और 3 अन्य नगरों में आयोजित किए गये । वर्ष के दौरान प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में दूसरा भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, 18वां दिल्ली पुस्तक मेला, 14वां स्टेशनरी मेला, 15वीं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 32वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, (आई आई टी एफ), नक्षत्र, 28वां आहार अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला शामिल थे । अन्य नगरों में आयोजित शेष 3 मेले, 7वां आहार अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ मेला, चेन्नई, 28 वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, चेन्नई तथा अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला, कोलकाता थे ।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित मेलों के मुख्य आकर्षण

दूसरे भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेले (आई आई एल एफ) दिल्ली में चीन, ताइवान, सिंगापुर एवं इटली जैसे देशों के 40 भागीदार आये । आई आई एल एफ दिल्ली, रिवा डेल गार्ड डेनमार्क, इटली द्वारा आयोजित दूसरे "एक्स्पो रिवा शूह इण्डिया" के साथ-साथ आयोजित किया गया जिसमें 92 विदेशी दर्शक 23 देशों से आये थे । ये विदेशी दर्शक आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इटली, जापान, नेपाल, पोलैण्ड, ओमान, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्वीडन, ताईवान, नीदरलैण्ड, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के. तथा यूएसए के थे ।

भारतीय प्रकाशक संघ के सहयोग से 18 वां दिल्ली पुस्तक मेला, 2012 तथा 14 वां स्टेशनरी मेला 2012 के साथ-साथ आयोजन किया गया जिसमें यू एस ए, यू.के, चीन एवं पाकिस्तान की कम्पनियों ने विदेशाी भागीदारी की । लगभग तीन लाख दर्शकों ने मेला देखा । प्रगति मैदान में गृह मंत्रालय के समर्थन से 15वीं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । यह प्रदर्शनी बढ़ती धमकी की चुनौतियों तथा मंदी से अप्रभावित इस उद्योग में निरन्तर वृद्धि की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरुप आयोजित की गयी थी ।

प्रगति मैदान में 14-27 नवम्बर 2012 तक 32वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2012 (आई आई टी एफ 2012) आयोजित किया गया । भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने मेले का उद्घाटन किया । माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री श्री आनन्द शर्मा मुख्य अतिथि थे । आई-आई टी एफ 2012 का थीम 'दक्षतापूर्ण भारत' था । उत्तराखण्ड 'साझेदार' राज्य तथा अण्डमान एवं निकोबार 'फोकस' राज्य थे । 26 देशों के 414 प्रदर्शकों सहित (392 ने अपने राष्ट्रीय मण्डपों तथा 22 ने स्वतंत्र रूप से भागीदारी की)

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

6 हजार से अधिक प्रदर्शकों ने इस मेले में अपने उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया । मेले के साथ-साथ मेले के दौरान सामयिक रुचि के अनेक सेमिनार एवं सम्मेलन भी आयोजित किये गये। 45 देशों के 290 व्यापार प्रतिनिधि मंडलों सहित भारत एवं विदेश के 7181 व्यापारी दर्शकों के अलावा 15 लाख से अधिक आम दर्शक आई आई टी एफ 2012 देखने आये । दर्शकों में मीडिया कर्मियों के अलावा अग्रणी उद्योगपति, थोकविक्रेता, खुदरा विक्रेता, निर्यातक, आयातक, विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल एवं क्रेता, विनिर्माता, आपूर्तिकर्त्ता, विपणन एवं डायरेक्ट सेलिंग कम्पनियां, सरकारी एजेंसियां, सेवा एंजेसियां, आम जनता, नौकरशाह एवं नीति-निर्माता शामिल थे । प्रदर्शकों एवं दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुरक्षा पद्धति अपनायी गयी । लगभग 400 वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र की विशाल क्षमता भी तैयार की गयी । इसके परिणामस्वरूप मथुरा रोड एवं भैरों मार्ग पर यातायात का प्रवाह सुगम रहा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए सभी प्रदर्शनी हालों में आग बुझाने के आधुनिक उपकरण लगाए गये । बचाव संबंधी उपायों के रूप में मोबाइल कार्गो स्कैनर एवं फायर टैन्डर लगाये गये । एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कराया गया जिसमें यह बात सिद्ध हुई कि लगभग 90 प्रतिशत से अधिक प्रदर्शक आई आई टी एफ के अगले आयोजन में अपनी भागीदारी को दोहराना चाहते हैं ।

प्रगति मैदान में 8वां नक्षत्र मेला आयोजित किया गया । भारत के विभिन्न भागों से 84 प्रदर्शकों ने मेले में भागीदारी की तथा अनुमानतः 50 हजार दर्शक मेला देखने आये । मेले का थीम था 'तनाव मुक्त एवं खुशहाल जीवन कैसे हो' आई टी पी ओ ने प्रगति मैदान में आहार – खाद्य एवं आतिथ्य मेले की 28वीं कड़ी के अन्तर्गत ^QM bf.M;k* vkj ^gkfLiVfyVh bf.M;k* नामक दो प्रदर्शनियों का आयोजन साथ-साथ किया। यह आयोजन भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अन्य सहयोगियों के सहयोग से किया गया। इसमें 676 भागीदारों ने भाग लिया जिसमें से 50 भागीदार आस्ट्रिया, चीन, कनाड़ा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, कोरिया, रोमानिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, थाइलैंड, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए जैसे देशों से थे।

आई टी पी ओ ने पहली बार सारे देश की स्कूल विज्ञान परियोजनाओं की 'इंसपायर' नामक राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए आद्योपांत परियोजना का कार्यान्वयन किया। आई टी पी ओ ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विभिन्न आयोजनों सहित इस प्रदर्शनी के लिए न केवल स्थान और सेवाओं की व्यवस्था की बल्कि इस प्रदर्शनी का सभी पहलुओं का पूरी तरह से प्रंबधन भी किया।

{k=h; Lrj ij vk;kftr eyk

आई टी पी ओ ने तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन और एम ओ एफ पी आई, एपेडा, एन एस आई सी सिहरा, आर्ची, आई एफ सी ए/एस आई सी ए और होट्रेमाई जैसे उद्योग संघों के सहयोग से चेन्नई व्यापार केन्द्र में सातवें आहार मेले– अन्तरराष्ट्रीय खाद्य मेला का आयोजन किया। 28 वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला के चेन्नई व्यापार केन्द्र में सह-आयोजक केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, भारतीय जूता संघ, भारतीय संसाधित चमड़ा निर्माता एवं निर्यातक संघ, फुटवीयर डिजाइन ऐण्ड डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट तथा इण्डियन फुटवीयर कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें 31 देशों के 2810 व्यापारी दर्शकों द्वारा भागीदारी की गयी । आईटीपीओ ने मिलन मेला परिसर, कोलकाता में चमड़ा निर्यात परिषद और भारतीय चमड़ा उत्पाद संघ के सहयोग से 18वें अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेले का आयोजन किया। इस मेले के आयोजन में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सहयोग दिया ।

आई टी पी ओ ने भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यमों के सहयोग से पहली बार आटो एन्सीलरी मेले का आयोजन

किया । इस मेले के आयोजन का उद्देश्य आटो कम्पोनेन्ट्स के उत्पादकों के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करना एवं एसेम्बली प्रौद्योगिकी उन्नयन, टाईअप एवं उन विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना था जो भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने का इरादा रखती है ।

vU; 0;kikj lo/kZu dk;ZdykiZ ,oa FkMZ ikVhZ vk;kstu

प्रगति मैदान में विशेषीकृत एवं सामान्य व्यापार मेले–प्रदर्शनियां–सम्मेलनों और अन्य मेलों एवं गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रदर्शनी हाल एवं सम्मेलन स्थल, सुविधाएं व्यापार एवं उद्योग–जगत के लिए उपलब्ध करायी गयी। उद्योग संघों, केन्द्रीय मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन संगठनों और अन्य मेला आयोजकों द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान प्रगति मैदान में 74 थर्ड पार्टी मेले / प्रदर्शनियां आयोजित की गयी। इन बड़े प्रोफाइल मेलों में एसीटेक 2012, इण्डियन आसियान व्यापार मेला 2012, नई दिल्ली विशव पुस्तक मेला 2013, आई आई टी एफ 2012, विल्स लाइफ स्टाइल फैशन वीक ऐण्ड आटोमेकेनिका 2013 थे ।

Hkkoh nf"Vdks.k

वातानुकूलित हालों एवं गैर वातानुकूलित हालों का क्षमता उपयोग बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ही एक प्रकार की डिसप्ले प्रोफाइल वाले दो आयोजनों के बीच में 15 दिन का अन्तर रखने की पहलें वाली नीति को समाप्त कर दिया गया है। अब इस प्रकार का कोई अनिवार्य अन्तर नहीं रखा जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान इस समय की स्थिति के अनुसार प्रगति मैदान में 60 मेलों/ प्रदर्शनियों के आयोजन का कार्यक्रम है। आई टी पी ओ व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में सदस्यता अथवा समझौता ज्ञापन जैसी सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के जरिए अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है । आई टी पी ओ एशियन व्यापार संवर्धन मंच (ए टी पी एफ) का संस्थापक सदस्य है तथा उसने 5–7 मार्च 2013 को आगरा में ए टी पी एफ में सदस्य व्यापार संवर्धन संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वार्षिक बैठक की मेजबानी की थी । इस 26 वीं वार्षिक बैठक में 22 देशों के सदस्य व्यापार संवर्धन संगठनों के 51 प्रतनिधिमंडलों ने भाग लिया था । इन पूर्ण सम्मेलनों में वैश्विक रूप से जुड़े बाजारों में व्यापार संवर्धन संगठनों की भूमिका के अन्तर्गत आने वाले मुद्दों पर भागीदारों के बीच सक्रिय विचार विमर्श हुआ । कम्पनी का प्रस्ताव है कि प्रगति मैदान को पुनर्विकसित करके चरणबद्ध ढंग से एक आधुनिकतम प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेन्टर बना दिया जाये । कम्पनी के छवि निर्माण के अभ्यास के अंग के रूप में आई टी पी ओ द्वारा आयोजित मेले 2013–14 के दौरान ट्रेड मार्क रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड किये जायेंगे ।

सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पहल

अर्जित अनुभव के आधार पर, वर्ष के दौरान कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमताओं को और अधिक सुदढ़ किया गया जिसका उद्देश्य परिचालनात्मक उत्कृष्टता के लिये वेब एप्लीकेशन को उन्नत करना था । इसके अतिरिक्ति ई–गवर्नेंस कार्यकलाप कार्यान्वित किये गये जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, परिशुद्धता और विश्वसनीयता बढ़ाना था । आई टी पी ओ द्वारा आयोजित आई आई टी एफ 2012, आहार अन्तरराष्ट्रीय मेला 2013, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2012 आदि प्रदर्शनियों के लिये संभावित प्रदर्शकों द्वारा स्थान की आन-लाइन बुकिंग जैसी बड़ी पहल की गयी । वर्ष के दौरान कम्पनी के सभी प्रमुख प्रदर्शनियों/ मेलों में व्यापारी दर्शकों के लिये इलैक्ट्रानिक सुविधाएं जैसे इंटरनैट, ई-मेलिंग, व्यापारी दर्शक रजिस्ट्रेशन प्रदान की गयी । विभिन्न मोबाइल प्लेटफार्मों और कम्पैटिबल मोबाइल वेबसाइटों - m.iitf.in इन पर भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2012 के विवरण दिखने के लिये एप्लीकेशन का सृजन किया गया । इस एप्लीकेशन में दर्शकों के लिये मेले, प्रदर्शकों, उत्पादों, फ्लोर प्लान, फैक्टशीट, सुविधाओं, आयोजनों से सम्बन्धित सूचना दी गई ।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कारपोरेट वेबसाइट को भी मूल्यवर्धित फीचर्स के जरिए अपग्रेड किया गया और उसे और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल, नागरिक केन्द्रित और बेहतर एक्सेसेबिलिटी फीचर्स और परिवेश वाला बना दिया गया है । राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) द्वारा विकसित दस्तावेज प्रबन्धन सूचना प्रणाली को लागू कर दिया गया ताकि हमारे स्थानीय एरिया नेटवर्क पर फाइलों और नोट्स को ट्रैक किया जा सके । इसके अतिरिक्त रोबस्ट आन लाइन एकीकृत व्यापार साफ्टवेयर लागू करने की बड़ी पहलें भी की गयी हैं जिससे वाइड एरिया नैटवर्क पर सर्वोत्तम व्यापारिक कार्यप्रणालियों को एन्कैप्सुलेट कर दिया जायेगा ।

हिन्दी राजभाषा

आई टी पी ओ ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन जारी रखा । भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किये गये । 22-24 सितम्बर 2012 को जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में हुए नौवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में दो अधिकारियों ने आई टी पी ओ का प्रतिनिधित्व किया । आई टी पी ओ के दैनन्दिन फाइल के काम में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गयी है।

अनुषंगी कम्पनी

चेन्नई और बंगलौर में आई टी पी ओ के दो क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र हैं जो क्रमश: तमिलनाडु औद्योगिकी विकास निगम लि. तथा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त उद्यम है । वर्ष 2012 -13 में चेन्नई व्यापार केन्द्र के प्रदर्शनी हालों में 100 प्रदर्शनियां लगायी गयी । इसके अतिरिक्त कन्वेंशन सेन्टर में 120 कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत कार्यानिष्पादन

वर्ष 2012-13 के लिए आई टी पी ओ तथा वाणिज्य विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कार्यनिष्पादन के लेखा परीक्षित परिणामों के अनुसार आई टी पी ओ के कार्यनिष्पादन का 'उत्कृष्ट' ग्रेड प्राप्त हुआ है।

मानव संसाधन प्रबन्धन

मानव संसाधनों के विकास के लिये 50 कर्मचारियों को प्रलेखन और सिस्टम यूजिंग आई टी टूल्स के क्षेत्र में कौशल उन्नयन को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया । दिल्ली अग्निशमन विभाग ने कम्पनी के सुरक्षा कर्मचारियों को अग्निशमन का उन्नत प्रशिक्षण दिया । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कम्पनी के सुरक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों और विस्फोटक डिटेक्टर आदि को हैंडल करने का विशेष प्रशिक्षण दिया ताकि उनके एक्सेस कन्ट्रोल में सुधार किया जा सके । इसके अतिरिक्त एक दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया ।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों आदि के संबंध में नियुक्ति/ पदोन्नति में आरक्षण के लिये अनुपालन किया गया । वित्त वर्ष 2012-13 में कुल 14 नियुक्तियां की गई । 150 अधिकारियों को पदोन्नति दी गयी तथा प्रोत्साहन परक सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन योजना (आई ए सी पी एस) के अन्तर्गत 171 कर्मचारियों को व्यक्तिगत उन्नयन प्रदान किया गया ।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी ने अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्वों संबंधी कार्यकलापों के अन्तर्गत दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की सहायता से विभिन्न रूप से विकलांग 745 व्यक्तियों को जिनको व्हीलचेयर या तिपहिया साइकिल और ब्रेलस्टिक और सलेट की आवश्यकता थी, प्रदान की गयी जो उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (एलिम्को) कानपुर से खरीदी थीं । इसके अलावा कम्पनी ने समाज कल्याण विभाग को चार एम्बुलेन्स उपलब्ध करायी । इस सम्बन्ध में कम्पनी सभी स्टेक धारियों के हित को ध्यान मे रखते हुए टिकाऊ विकास के लिये पहल कर रही है।

आई टी पी ओ कारपोरेट गवर्नेंस के मानकों के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता है और इस समय लोक उद्यम विभाग के कारपोरेट गर्वनेंस संबंधी नवीनतम दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहा है । इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया था । लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों और सिद्धातों के अनुसार बोर्ड समिति और लेखा परीक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर की जा रही हैं । कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन में कम्पनी अपने 'उत्कृष्ट' ग्रेड को बनाये हुए हैं।

आभार

मैं इस अवसर पर कम्पनी के सभी सदस्यों द्वारा उनके सतत और निर्बाध सहयोग और कम्पनी के प्रबन्धन में व्यक्त किये विश्वास के लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं वाणिज्य विभाग का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूं जिसने तहेदिल से और निरन्तर सहयोग प्रदान किया। मैं सहायता के लिए अन्य मंत्रालयों/दूतावासों और केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों की भी आभारी हूं । आई टी पी ओ की ओर से, मैं सभी स्टेकधारियों से सहयोग और विगत की भांति और अधिक गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं को जारी रखने के लिये आश्वासन की कामना करती हूं । मैं निदेशक मंडल के अपने सभी सहयोगियों, लेखापरीक्षकों तथा आई टी पी ओ के सभी कर्मचारियों का भी उनके अनुशासन, निष्ठा, प्रतिबद्धता और कर्मठता के लिये हार्दिक धन्यवाद करती हूं जिसके चलते कम्पनी अपने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को बनाये रख सकी । हमें विश्वास है कि इस सहयोग और विश्वास के साथ आई टी पी ओ भविष्य में आगे चल कर और अधिक कई उपलब्धियां तथा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा ।

ह/-
रीता मेनन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 अक्तूबर 2013

गेट नं. – 1 पर नयाचार का दृश्य

आईटीपीओ

2012

13

वार्षिक आम बैठक की सूचना

आईआईटीएफ 2012 में थीम एरिया ''दक्षतापूर्ण भारत''

okf"'kd vke cBd dh lpuk

,rn}kjk lpuk nh tk jgh g fd bf.M;k VfM iek'ku vkxukbt'ku dh 36oh okf"'kd vke cBd fuEufyf[kr dk;okgh ijh dju d fy, bld itÑr dk;ky; & ixfr Hkou] ixfr enku] ubl fnYyh&110001 e cèkokj] 23 vDrcj 2013 dk nkigj 12-00 ct gkxh%&

lkekU; dk;okgh

1. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन–पत्र और कम्पनी का आय और व्यय विवरण तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट एवं संलग्न सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना।

2. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीऐण्डएजी) द्वारा नियुक्त कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक तय करना।

fun'kd e.My d vkn'k l
Ñr bf.M;k VfM iek'ku vkxukbt'ku

ह./–
,l-vkj- lkg
dEiuh lfpo

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 09.10.2013

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

fVIif.k;k

1- cBd e Hkkx yus vkj ernku djus d gdnkj dkbZ Hkh lnL; Lo;a d ctk; ernku d le; cBd e mifLFkr gkus vkj ernku djus d fy, fdlh nljs 0;fDr dks fu;Dr djus dk Hkh gdnkj g vkj ml 0;fDr dk dEiuh dk lnL; gkus dh t:jr ugh gA rFkkfi nljs 0;fDr ;k dks fu;Dr djus lcèkh foys[k cBd vkjEHk gkus l 48 ¼vM+rkyhl½ ?kV l igy dEiuh d i thÑr dk;ky; e tek djuk gkxkA

2. प्राक्सी फार्म इसके साथ संलग्न है।

fun'kd e.My d vkn'k l
bf.M;k VM iek'ku vkxukbt'ku

ह./–
, l-vkj- lkg
dEiuh lfpo

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09.10.2013

bf.M;k VªM ieks'ku vkxukbts'ku
iath—r dk;kZy;%& ixfr Hkou] ixfr eSnku] ubZ fnYyh&110001

ikDlh QkeZ

मैं/हम .... जिले के .... उपर्युक्त कम्पनी का सदस्य होने के नाते एतदद्वारा .... जिले में .... को कम्पनी की .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में और उसके किसी भी स्थगन की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से, हमारे स्थान पर मतदान देने के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं।

आज .... दिनांक .... 2013 को हस्ताक्षरित

यहां पर 15 पैंसे
का रसीदी टिकट
लगाएं

fVIi.kh% प्राक्सी फार्म को समुचित रूप से भरकर बैठक के समय से 48 घंटे से पूर्व प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001 स्थित पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

शाकुन्तलम् सम्मेलन केन्द्र

आईटीपीओ

2012-13

निदेशकों की रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

निदेशकों की रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (कम्पनी) का निदेशक मण्डल इस संगठन की 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित लेखा सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2012-13 के दौरान इस आर्गनाइजेशन के कार्य-निष्पादन के फलस्वरूप 152.29 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष 183.01 करोड़ रुपये था । सकल आय पिछले वर्ष के 373.80 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान 336.58 करोड़ रुपये हुई क्योंकि चार प्रमुख मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन द्विवार्षिक/त्रिवार्षिक प्रकृति के थे जिनसे 107.28 करोड़ रुपये के अधिशेष की प्राप्ति हुई तथा उनका आयोजन वर्ष 2012-13 में नहीं किया गया था । वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कुल व्यय 184.29 करोड़ रुपये किया जबकि गत वर्ष 190.77 करोड़ रुपये किया गया था ।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है, इसलिए कम्पनी पर लागू इस अनुच्छेद के अन्तर्गत उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार कम्पनी कोई लाभांश घोषित नहीं करती है । अत: व्यय से अधिक आय अपने पास रखी गयी है और आरक्षित निधि तथा अधिशेष खाते में डाल दी गयी है।

2. निदेशक मण्डल

श्रीमती रीता मेनन को 3 जनवरी 2012 से आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया था और इस समय भी इसी पद पर हैं । श्री नीरज कुमार गुप्ता 25 अक्तूबर 2012 को कम्पनी के कार्यकारी निदेशक के पद से मुक्त हो गए हैं । श्री असित कुमार त्रिपाठी ने 7 नवम्बर 2012 को कम्पनी के कार्यकारी निदेशक का पद संभाला और 23 जनवरी 2013 को कर्तव्य मुक्त हो गए । श्री मलय श्रीवास्तव ने 24 जनवरी 2013 को कम्पनी में कार्यकारी निदेशक का पद ग्रहण किया और अब भी पद पर हैं । कम्पनी बोर्ड के अन्य निदेशकों की अवधि इस प्रकार है :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	से	तक
1.	सुश्री अनीता अग्निहोत्री अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	18.06.2012	जारी
2.	श्री जे. एस. दीपक अपर सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	18.08.2010	जारी
3.	श्री सी. के. मिश्रा संयुक्त सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली	11.05.2012	जारी
4.	श्री प्रभात कुमार संयुक्त सचिव (ई एस ऐण्ड आई टी पी) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	24.07.2012	जारी
5.	श्री एस.एम. लोढ़ा 72, पूमिमा, 63 ए, सर पोचखानवाला रोड, वर्ली, मुम्बई	12.01.2012	जारी
6.	श्री अभिजित बासु पूर्व रक्षा लेखाओं के भूतपूर्व अपर महानियंत्रक	12.01.2012	जारी
7.	श्री डी. एस. रावत महासचिव एसोचैम नई दिल्ली	12.01.2012	जारी

क्र. सं.	निदेशक का नाम	से	तक
8.	श्री अमरेन्द्र सिन्हा अपर सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली	30.11.2010	11.05.2012
9.	डा. राजन कटोच अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	30.11.2010	18.06.2012
10.	सुश्री राधिका एल. लोकेश संयुक्त सचिव (आईटीपी) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	07.07.2011	24.07.2012

3. समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

समझौता ज्ञापन 2013–14 पर हस्ताक्षर के अवसर पर आईटीपीओ की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती रीता मेनन तथा वाणिज्य सचिव श्री एस.आर. राव

कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासनिक मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है । तदनुसार वर्ष 2013 –14 के लिए 20 मार्च 2013 को हस्ताक्षर किए गए ।

इस समझौता ज्ञापन का मुख्य आकर्षण वर्ष 2013–14 के दौरान 100.00 करोड़ रुपये का अधिशेष दिखाना है। समझौता ज्ञापन में अनुमोदन के लिए प्रगति मैदान में आधुनिक एवं स्टेट–आफ–दि–आर्ट समन्वित प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र के पुनर्विकास हेतु केन्द्रीय मन्त्री मण्डल को कम्पनी के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा भी निर्धारित करना है।

समझौता ज्ञापन में शामिल अन्य उल्लेखनीय लक्ष्य वर्ष के दौरान कम्पनी के वरिष्ठ एवं अन्य कर्मचारियों को 850 मानव दिवस का प्रशिक्षण देना तथा बिजली एवं पानी की खपत क्रमश: 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत तक कम करने जैसे हैं ।

उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के अलावा, कम्पनी ने अन्य संगठनों के साथ कई द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध मजबूत करने और सम्बन्धित देशों के पारस्परिक हितों पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित करने के क्षेत्र में सहयोग एवं सहयोग के उपाय विकसित करने के लिए 9 अप्रैल, 2012 को कतर के सामान्य पर्यटन प्राधिकरण के साथ समझौता किया गया ।

कम्पनी ने 26 जुलाई 2012 को मदुरै डिस्ट्रिक्स टिनी ऐण्ड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (मेडिटसिया) के साथ एक दूसरे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसका लक्ष्य तमिलनाडु राज्य से निर्यात को बढ़ाना है। समझौता ज्ञापन में सेमिनारों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं तथा व्यापार मेलों के आयोजन और अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी पर कम्पनी की सलाह पर बल दिया गया है । समझौता ज्ञापन में व्यापार मेलों के आयोजन में कम्पनी का सहयोग भी प्रदान किया गया है ।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कम्पनी ने प्रगति मैदान में भारतीय रत्न एवं आभूषण मेले के आयोजन में सहयोग करने के क्रम में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जी जे ई पी सी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कम्पनी एवं जी जे ई पी अगले तीन वर्षों तक प्रदर्शनी आयोजित करने तथा इसे अन्तरराष्ट्रीय स्तर का मेला बनाने पर सहमत हुए ।

कम्पनी ने प्रगति मैदान में वार्षिक विश्व पुस्तक मेले के आयोजन में सहयोग करने के लिए 14 सितम्बर, 2012 को नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्व पुस्तक मेला भारत में आयोजित होने वाले किताबों और प्रकाशनों के सबसे विशाल मेलों में से एक है ।

4. विदेशों में आयोजित मेले

कम्पनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान 22 विदेशी व्यापार मेलों में भारत की राष्ट्रीय भागीदारी आयोजित की । इन 22 मेलों में से 8 मेले यूरोप में, छः अफ्रीका/पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में, चार उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संघ/लैटिन अमेरिकी देशों में और एक-एक मेला एशिया, सार्क एवं स्वतंत्र राज्य संघ तथा आस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए । इन कुल 22 मेलों में से 10 सामान्य मेले एवं 12 विशेषीकृत मेले थे।

उपर्युक्त मेलों में शामिल कुछ मेले अफ्रीका बिग सेवन, जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका); समर फेन्सी फूड शो, वाशिंगटन (यूएसए); सियाल खाद्य पदार्थ मेला, पेरिस (फ्रांस); एसिया पैसीफिक चमड़ा मेला, हॉंगकांग; एएफएल आरटी जियानो डी फिएरा-अन्तरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला मिलान (इटली); राष्ट्रीय हार्डवेयर शो, लास वेगास; एपेक्स, लास वेगास; सऊदी एग्रो फूड, रियाद; एसीएलई, शंघाई; सियाल पेरिस तथा मेडिका(जर्मनी) हैं ।

कम्पनी ने उपर्युक्त के अलावा लम्बे समय से ओसाका जापान में आयोजित किये जा रहे भारतीय परिधान मेला एवं भारतीय घरेलू फर्निशिंग मेलों को क्रमशः 33वीं एवं 23वीं बार आयोजित किया । इन दोनो मेलों में 28.14 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का व्यापार हुआ तथा इसे देखने के लिए 2057 व्यापारी दर्शक पधारे ।

वर्ष 2013-14 के दौरान, कम्पनी 33 विदेशी व्यापार मेलों में भारत की राष्ट्र स्तरीय भागीदारी आयोजित करेगी। इन 33 मेलों में से 8 सामान्य मेले और 25 विशेषीकृत मेले हैं ।

5. विपणन विकास सहायता (एम डी ए) एवं बाजार अभिगमन प्रोत्साहन (एम ए आई) योजनाएं

चूंकि जो निर्यातक अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों आदि के सदस्य हैं तथा वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित विदेशी मेलों में कम्पनी के माध्यम से भागीदारी कर रहे हैं, उन्हें एम डी ए योजना के अन्तर्गत अनुदान का निपटान हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा कम्पनी के विपणन विकास सहायता (एम डी ए) गारंटी आर्गनाइजेशन नामित किया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए वाणिज्य विभाग ने एम डी ए योजना के अन्तर्गत 5 विदेशी मेले अनुमोदित किये हैं तथा इसके लिए 30 लाख रुपये का अनुदान दिया है ।

वाणिज्य विभाग ने 9 विदेशी व्यापार मेलों के लिए 811.45 लाख रुपये मूल्य का अनुदान बाजार अधिगमन प्रोत्साहन (एम ए आई) के अन्तर्गत अनुमोदित किया है ।

6. भारत में आयोजित मेले

वर्ष 2012-13 के दौरान कम्पनी ने भारत में 10 राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियां आयोजित की । इन 10 मेलों में से 7 मेले दिल्ली में और 3 अन्य नगरों में आयोजित किए गये । वर्ष के दौरान प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में दूसरा भारतीय चमड़ा अन्तरराष्ट्रीय मेला, 5-7 जुलाई 2012; 18वां दिल्ली पुस्तक मेला,

1-9 सितम्बर 2012; 14वां स्टेशनरी मेला, 1-9 सितम्बर 2012; 15वीं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 13-16 सितम्बर 2012; 32वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 14-27 नवम्बर 2012; नक्षत्र, 2-10 फरवरी 2013; 28वां आहार अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 14-18 मार्च 2013 शामिल थे । अन्य नगरों में आयोजित शेष 3 मेले 7वां आहार अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ मेला, 23-25 अगस्त, 2012 चेन्नई; 28 वां चमड़ा भारतीय अन्तरराष्ट्रीय मेला, 31जनवरी - 3 फरवरी 2013, चेन्नई तथा अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला 15-17 मार्च 2013, कोलकाता थे ।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित मेले

दूसरे भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेले (आई आई एल एफ) दिल्ली, 5-7 जुलाई 2012 में चमड़ा उद्योग-परिष्कृत चमड़ा, सिंथेटिक सामग्री, जूते, संघटक, मशीनरी एवं उपकरण, रसायन, साफ्टवेयर एवं परामर्श सेवाएं, प्रकाशन आदि से संबंधित विविध कार्य उत्पादों और सेवाओं का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया । यह मेला कुल 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया था । इनमें चीन, ताइवान, सिंगापुर एवं इटली आदि देशों के 40 भागीदारों सहित 128 प्रदर्शकों ने भाग लिया । आई आई एल एफ दिल्ली का आयोजन रिवा डेल गार्डा डेनमार्क, इटली द्वारा आयोजित "एक्स्पो रिवा शूह इण्डिया" की दूसरी श्रृंखला के साथ-साथ आयोजित किया गया। इसमें लगभग 3489 व्यापारी दर्शक पधारे जिनमें से 92 विदेशी दर्शक 23 देशों से आये थे । विदेशी दर्शक आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इटली, जापान, नेपाल, पोलैण्ड, ओमान, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्वीडन, ताईवान, नीदरलैण्ड, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के. तथा यूएसए के थे । मेले में एस एस आई आर-केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एल आर आई) एवं कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से "नई रंग बिरंगी दुनिया-प्रवृत्ति एवं प्रौद्योगिकी की झांकी" विषय पर थीम मण्डप स्थापित किया गया जिसमें उत्कृष्ट भारतीय उत्पाद तथा रंग, शैली एवं डिजाइन की भावी प्रवृत्तियों को दिखाया गया था। इस मेले के दौरान सी एल आर आई "न्यू ओरिएन्टेशन" नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया ।

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2012

आई टी पी ओ ने 1-9 सितम्बर 2012 तक भारतीय प्रकाशक संघ के सहयोग से 18 वां दिल्ली पुस्तक मेला, 2012 तथा 14 वां स्टेशनरी मेला 2012 का साथ-साथ आयोजन किया गया जिसमें 5355 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 230 प्रदर्शकों ने भाग लिया। दिल्ली के तत्कालीन माननीय राज्यपाल श्री तेजेन्द्र खन्ना ने पुस्तक मेले का उद्घाटन किया । इस मेले में

पुस्तक मेला 2012

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्टेशनरी मेला 2012

यू एस ए, यू.के, चीन एवं पाकिस्तान की कम्पनियों ने विदेशी भागीदारी की। लगभग 3 लाख दर्शकों ने मेला देखा। इस वर्ष मेले का थीम **"ई बुक्स"** था।

कम्पनी ने 13-16 सितम्बर 2012 तक प्रगति मैदान में 15वीं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसके आयोजन में गृह मंत्रालय ने सहयोग दिया। यह प्रर्दशनी बढ़ती धमकी की चुनौतियों तथा मंदी से अप्रभावित उद्योग निरन्तर वृद्धि की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ते आधुनिकीकरण के सरकार के उद्देश्य के अनुरुप आयोजित की गयी थी क्योंकि लोगों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा उनके स्वास्थ्य पर आश्रित है । इस प्रदर्शनी में वाटर डील के अन्तर्गत 2 एवं सहआयोजकों के 14 संघटकों सहित 67 कम्पनियों ने भाग लिया । प्रदर्शनी में आर एफ आई

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी 2012

डी, होमलैण्ड सिक्यूरिटी, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, पैरीमीटर प्रोटेक्सन डिवाइस, निगरानी उपकरण, वर्गलर अलार्म सिस्टम, विमानन सुरक्षा, आपदा प्रवंधन एवं एन बी सी डब्ल्यू बचाव उपकरण, बैंक एवं अस्पताल सुरक्षा उपकरण, सूचना सुरक्षा उपकरण, फोरेन्सिक साइंस प्रयोगशाला उपकरण, फायर अलार्म एवं अग्निबचाव उपकरण, रेडियो संचार सिस्टम, ट्राफिक मानेटरिंग एवं प्रबंधन सिस्टम, काउन्टर टेरीरिजम उपकरण, विद्रोही एवं नक्सलवादी रोधी उपकरण, प्लास्टिक एवं ब्लास्ट प्रोटेक्शन गियर, बुलेटप्रूफ जैकेट आदि पर प्रकाश डाला गया था ।

प्रदर्शनी में भारत एवं विदेश के व्यापारी दर्शकों सहित 3920 से अधिक दर्शक पधारे । दर्शकों में केन्द्रीय एवं अर्ध सैनिक बलों के हाईप्रोफाइल क्रेता, राज्य पुलिस बल, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के संस्थागत क्रेता तथा सरकार के नीति-निर्माता शामिल थे । बेलजियम, न्यूजीलैण्ड, यू के, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, स्विटजरलैण्ड, कनाडा, रूस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैण्ड, जर्मनी, पाकिस्तान और दुबई से विदेशी दर्शक पधारे । प्रदर्शनी के दौरान सामुहिक रुचि के अनेक सेमीनार भी आयोजित किये गये ।

प्रगति मैदान में 14-27 नवम्बर 2012 तक 32वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2012 (आई आई टी एफ 2012) आयोजित किया गया । भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने मेले का उद्घाटन किया । माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री श्री आनन्द शर्मा मुख्य अतिथि थे। आई आई टी एफ 2012 का थीम **दक्षता पूर्ण भारत** था । उत्तराखण्ड **"साझेदार राज्य"** तथा अण्डमान एवं निकोबार **"फोकस राज्य"** थे ।

मेले को व्यापारोन्मुखी स्वरूप प्रदान करने के लिए मेले के पहले 5 दिन अर्थात 14-18 नवम्बर 2012 तक प्रवेश केवल व्यापारी दर्शकों के लिए आरक्षित किया गया था ।

26 देशों की 414 प्रदर्शकों सहित (392 ने अपने राष्ट्रीय मण्डपों तथा 22 ने स्वतंत्र रूप से भागीदारी की) 6 हजार से अधिक प्रदर्शकों ने इस मेले में अपने उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया ।

मेले के साथ-साथ मेले के दौरान सामुहिक रुचि के अनेक सेमीनार एवं सम्मेलन भी आयोजित किये गये।

45 देशों के 290 व्यापार प्रतिनिधि मंडलों सहित भारत एवं विदेश के 7181 व्यापारी दर्शकों के अलावा 15 लाख से अधिक आम दर्शक आई आई टी एफ देखने आये । दर्शकों में मीडियाकर्मियों के अलावा अग्रणीय उद्योगपति, थोकविक्रेता, खुदरा विक्रेता, निर्यातक, आयातक, विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल एवं क्रेता, विनिर्माता, आपूर्तिकर्त्ता, विपणन एवं डायरेक्ट सेलिंग कम्पनियां, सरकारी एजेंसियां, सेवा एंजेसियों, आम जनता, नौकरशाह एवं नीति-निर्माता शामिल थे ।

प्रदर्शकों एवं दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुरक्षा पद्धति अपनायी गयी । दर्शक लाउंज गेट नं.1 के पास स्थानातंरित किया गया । लगभग 400 वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र की विशाल क्षमता भी तैयार की गयी । इसके परिणामस्वरूप मथुरा रोड एवं भैरों मार्ग पर यातायात का प्रभाव सुगम रहा ।

किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए सभी प्रदर्शनी हालों में आधुनिक आग बुझाने के उपकरण लगाए गये । बचाव संबंधी उपायों के रूप में मोबाइल कार्गो स्कैनर एवं फायर टेन्डर लगाये गये ।

एक स्वतंत्र एंजेंसी द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कराया गया जिसमें यह बात सिद्ध हुई थी कि लगभग 90 प्रतिशत से अधिक प्रदर्शक आई आई टी एफ के अगले आयोजन में अपनी भागीदारी को दोहराना चाहते हैं ।

प्रगति मैदान में 2-10 फरवरी 2013 तक 8वां नक्षत्र मेला आयोजित किया गया । भारत के 84 प्रदर्शकों ने मेले में भागीदारी की तथा अनुमानत: 50 हजार दर्शक मेला देखने आये । मेले का थीम **'तनाव मुक्त एवं खुशहाल जीवन कैसे हो'** रखा गया । थीम विषय से संबंधित अनेक सेमीनार भी आयोजित किये गये ।

आई टी पी ओ ने 14-18 मार्च 2013 के दौरान प्रगति मैदान में आहार- अन्तरराष्टीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले की 28वीं कड़ी के अन्तर्गत **'फूड इण्डिया' और 'हास्पिटेलिटी इण्डिया'** नामक दो प्रदर्शनियों का आयोजन साथ-साथ किया। विगत वर्षों की भांति यह आयोजन भी खाद्य

नक्षत्र मेला 2012

प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अन्य सहयोगियों के सहयोग से किया गया। इस मेले का उद्घाटन कृषि एवं उद्योग खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री माननीय डॉ0 चरणदास महंत ने किया। प्रदर्शित उत्पादों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी और उपकरण, पैकिजिंग व मिलिंग उपकरण, मुर्गी पालन, डेयरी और कंफैक्शनरी उपकरण, वातानुकूलन, रेफ्रिजेशन, शीत भण्डारण सिस्टम तथा वायु व जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, लॉण्ड्री, आन्तरिक और घर की देखभाल संबंधी उपकरण, होटल और रसोई उपकरण, स्वास्थ्य और फिटनेस उपकरण एवं परामर्शदायी सेवाएं शामिल थे। पाककला शो पर विशेष जोर दिया गया। मेले का उद्दिष्ट विषय था- 'टेंसेबिलिटी-एन इसेंस आफ फूड प्रोडक्टस'। इसमें 676 भागीदारों ने भाग लिया जिसमें से 50 भागीदार आस्ट्रिया, चीन, कनाड़ा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, कोरिया, रोमानिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, थाइलैंड, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए जैसे देशों से थे। यह मेला 41,666.84 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र में लगा।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आहार मेला 2012

आई टी पी ओ ने पहली बार सारे देश की स्कूल विज्ञान परियोजनाओं की 'इंसपायर' नामक राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए आद्योपांत परियोजना का कार्यान्वयन किया। आई टी पी ओ ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विभिन्न आयोजनों सहित इस प्रदर्शनी के लिए न केवल स्थान और सेवाओं की व्यवस्थाओं की बल्कि इस प्रदर्शनी के सभी पहलुओं की पूरी तरह से प्रंबधन भी किया।

दिल्ली से बाहर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित मेले

आई टी पी ओ ने तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन और एम ओ एफ टी आई, एपेडा, एन एस आइ सी, सिहरा, आर्ची, आई एफ सी ए/ एस आई सी ए और होट्रेमाई जैसे उद्योग संघों के सहयोग से चेन्नई व्यापार केन्द्र में 23-25 अगस्त 2012 के दौरान सातवें आहार मेले- अन्तरराष्ट्रीय खाद्य मेला 2012 का आयोजन किया। इस मेले में 119 भागीदारों ने भाग लिया और 4479 व्यापारी दर्शकों ने मेला देखा।

28 वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 31 जनवरी से 3 फरवरी 2013 तक चेन्नई व्यापार केन्द्र में सह-आयोजक केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, भारतीय जूता संघ, भारतीय संसाधित चमड़ा उत्पादन एवं निर्यातक संघ, फुटवीयर डिजाइन ऐण्ड डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट तथा इण्डियन फुटवीयर कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस मेले का उद्घाटन माननीया केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री डा0 (श्रीमती) डी. पूरनदेश्वरी ने किया । माननीय केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि थे । इस मेले का आयोजन 9698.5 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया। इस मेले में 439 प्रदर्शकों ने भागीदारी की जिनमें 23 देशों के 159 भागीदार भी शामिल थे । ये 23 देश थे- बंगलादेश, ब्राजील, चीन, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इण्डोनेशिया, इरान, इटली, कोरिया, पाकिस्तान, पुर्तगाल, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्वीटजरलैण्ड, ताईवान (आरओसी) थाईलैण्ड, नीरदरलैण्ड, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाटेड किंगडम थे। इस मेले में चमड़ा उद्योग से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया गया जिसमें संसाधित चमड़ा, चमड़ा वस्त्र, चमड़े का सामान, जूते, जूतों के संघटक, मशीनें एवं उपकरण, रसायन, फैशन असेसरीज एवं प्रकाशन इत्यादि शामिल थे। आई टी पी ओ सीएलई और सीएलआरआई ने भारतीय चमड़ा क्षेत्र के सहयोग से **"वास्तविकता की ओर"** नामक थीम "ट्रेंड मण्डप" का आयोजन किया। इस मेले में लगभग 22 हजार व्यापारी दर्शक पधारे जिनमें बड़ी संख्या में क्रेता शामिल थे। इन व्यापारी दर्शकों में 31 देशों के 2810 विदेशी व्यापारी दर्शक भी शामिल थे। इस मेले के दौरान **"आईआईएलएफ हेपनिंग्स"** नामक एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया जिसमें प्रतिदिन की मेले की विशेषताओं एवं महत्वपूर्ण कार्याकलापों को शामिल किया गया ।

आईटीपीओ ने मिलान मेला परिसर कोलकाता में चमड़ा निर्यात परिषद और भारतीय चमड़ा उत्पाद संघ के सहयोग से 18वें अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेले का आयोजन 15 – 17 मार्च 2013 तक किया। इस मेले के आयोजन

में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सहयोग दिया । यह मेला व्यापारोन्मुखी है जिसके आयोजन का उद्देश्य भारत से चमड़े के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना एवं विशाल स्तर पर चमड़ा उद्योग के सहायक क्षेत्रों जैसे चमड़ा संवर्धन, रसायन कम्पनियां, चमड़ा सामान उत्पादन कम्पनियां, संघटक एवं सहायक सामान उत्पादन कम्पनियां इत्यादि को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया। मेले के प्रदर्शन में चमड़ा सामान की अनेक किस्में शामिल थी जैसे हैंड बैंग, पर्स, वेलेट, रूकसस, ब्रीफकेस, बेल्ट, खेल का सामान, जूते, ट्रेवल बैग, औद्योगिक चमड़ा सामान, दस्ताने, चमड़ा एवं लाइनिंग चमड़ा, संघटक एवं चमड़े के सामान की असेसरी, जूता संघटक, चमड़ा परिधान, चमड़ा प्रसंस्करण मशीनें, चमड़े का सामान एवं उत्पादक मशीनें तथा चमड़ा संवर्धन रसायन शामिल थे। इस मेले का आयोजन कुल 912 वर्ग मीटर में किया गया था । इसमें से 858 वर्ग मीटर एरिया प्रदर्शकों को बेचा गया । इस मेले में भारत के विभिन्न भागों की 56 अग्रणी कम्पनियों ने भागीदारी की । इस तीन दिवसीय व्यापारोन्मुखी मेले में 65 विदेशी विक्रेताओं ने भाग लिया जिनमें क्रेता एजेन्ट भी शामिल थे। इनमें से 21 क्रेताओं को भारत सरकार की मार्किट एसेट इनेसिएटिव (एम ए आई) स्कीम के अन्तर्गत आमंत्रित किया गया तथा शेष क्रेता बिना किसी आर्थिक सहायता से स्वयं मेले में पधारे थे । ये विक्रेता 21 देशों से आये थे जिनमें जापान, स्पेन, आस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, रूमानिया, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैण्ड, कनाडा, बंगलादेश, इथोपिया, जिम्बाब्वे, आस्ट्रिया, रूस, यूनाइटिड किंगडम, अर्जेन्टाइना, हांगकांग, जर्मनी, नीदरलैण्ड और पोलैण्ड शामिल थे। कुल 56 भागीदारों में से 51 प्रदर्शकों ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वे इस मेले में अगले साल भी भागीदारी करेंगे ।

आई टी पी ओ ने भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग के सहयोग से पहली बार आटो एन्सीलरी मेले का आयोजन 8-12 अक्तूबर 2012 तक पुणे में किया । इस मेले के आयोजन का उद्देश्य आटो कम्पोनेन्ट्स के उत्पादन एवं एसेम्बली प्रौद्योगिकी उन्नयन, सम्पर्क करना एवं उन विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना था जो कि भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने का इरादा रखती हैं ।

7. अन्य मेले

प्रगति मैदान में विशेषीकृत एवं सामान्य व्यापार मेले-प्रदर्शनियां-सम्मेलनों और अन्य मेलों एवं गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रदर्शनी हाल एवं सम्मेलन स्थल, अन्य सुविधाएं व्यापार एवं उद्योग-जगत के लिए उपलब्ध करायी गयी। उद्योग संघों, केन्द्रीय मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन संगठनों और अन्य मेला आयोजकों द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान प्रगति मैदान में 74 मेले आयोजित किये गए। इन मेलों में एसीटेक, 2012, इण्डियन आसियान व्यापार मेला, 2012, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2013, आई ई टी एफ, 2013, विल्स लाइफ स्टाइल फैशन वीक और आटोमैकेनिका 2013 प्रमुख थे।

वर्ष 2012-13 के दौरान वातानुकूलित हालों और गैर वातानुकूलित हालों की क्षमता की उपयोग दर क्रमश: 46.60 प्रतिशत और 27.65 प्रतिशत थी। क्षमता उपयोग को और बढ़ाने के लक्ष्य को देखते हुए एक ही प्रकार की डिस्प्ले प्रोफाइल वाले दो आयोजनों के बीच में 15 दिन का अन्तर रखने की पहले वाली नीति को समाप्त कर दिया गया है। अब इस प्रकार का कोई अनिवार्य अन्तर नहीं रखा जाता।

वर्ष 2013-14 के दौरान, इस समय की स्थिति के अनुसार प्रगति मैदान में 60 मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन का कार्यक्रम हैं।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

8. व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

आई टी पी ओ ने व्यापार संवर्धन के लिए आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, कोलम्बिया, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, थाइलैंड, यू.के., उरुग्वे, यमन, जिम्बाब्वे आदि के 35 प्रतिनिधिमण्डलों की मेजबानी की और उनकी यात्राओं के दौरान व्यापार मेलों एवं आन-साइट बैठकों में विविध किस्म के उत्पादों एवं सेवाओं से संबद्ध संभावित भारतीय कम्पनियों के साथ उनकी बैठकें आयोजित की।

9. विचार गोष्ठियां

व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लाभ के लिए आई आई टी एफ तथा अन्य मेलों के दौरान साझेदार/ फोकस राज्य/ राज्य सरकारों/ संगठनों के सहयोग से 34 विचार गोष्ठियां आयोजित की गईं।

10. अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों के साथ सहयोग

आई टी पी ओ ने एशिया व्यापार संवर्धन फोरम (ए टी पी एफ) का संस्थापक सदस्य होने की हैसियत से 5-7 मार्च 2013 के दौरान आगरा में ए टी पी एफ के सदस्य व्यापार संवर्धन संगठनों (टी पी ओ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की। इस 26वीं वार्षिक बैठक में 22 देशों के सदस्य व्यापार संवर्धन संगठनों से 51 प्रतिनिधिमण्डलों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक रूप से जुड़े बाजारों में निर्यात संवर्धन संगठनों की भूमिका विषय के अन्तर्गत आने वाले मुद्दों पर भागीदारों के बीच सक्रिय विचार-विमर्श हुआ।

आई टी पी ओ इण्डियन कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आई सी पी बी) के कार्यकलापों को प्रकाशित करने के लिए तथा प्रगति मैदान मेला ग्राउण्ड के संवर्धन के लिए इस ब्यूरो का एक सदस्य भी बन गया।

11. व्यापार सूचना संबंधी कार्यकलाप

आई टी पी ओ व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के लाभ के लिए नियमित रूप से 'इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन' (आई.ई. बी.) नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन भी प्रकाशित कर रहा है जिसमें विदेशों की बाजार संबंधी जानकारी, व्यापारिक अवसर, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, व्यापार मेले और प्रदर्शनी, राष्ट्रीय तथा विदेशी टेण्डर सूचनायें और आई टी पी ओ के क्रियाकलाप शामिल होते हैं।

आई टी पी ओ एक ट्रेड पोर्टल www.tradeportalofindia.org का रख-रखाव एवं संचालन कर रहा है। इस पोर्टल की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत एवं यूरोपीय संघ के मध्य व्यापार संवर्धन हेतु यूरोपीय संघ-भारतीय व्यापार निवेश एवं विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी थी। यह पोर्टल भारत-यूरोपीय संघ के देशों को सूचना उपलब्ध कराने के अलावा अन्य देशों तथा क्षेत्रों को भी सूचना प्रदान करता है । इस समय इस पोर्टल में यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित 100 से भी अधिक देशों के विषय में सूचनाएँ उपलब्ध हैं।

इस केन्द्र की कोम्पास डाटाबेस में 66 देशों के निर्यातकों/ आयातकों/निर्माताओं/ एजेंटों/ विभागीय भंडारों/ वितरकों/ थोक विक्रेताओं/ व्यापारियों के बारे में ऑनलाइन पहुंच है। कोम्पास एक ऐसा बी2बी डाटाबेस है जिसमें 30 लाख से अधिक अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं और यह डाटाबेस विश्वव्यापी स्तर पर क्रेताओं और विक्रेताओं को जोड़ता है।

12. सांस्कृतिक कार्यकलाप

प्रगति मैदान में 5 ओपन एअर थियेटर और एक वातानुकूलित थियेटर हैं। वार्षिक बड़े मेले अर्थात् भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ) के दौरान इन ओपन थियेटरों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित किये जाते हैं।

प्रगति मैदान में विभिन्न थियेटरों में प्रख्यात कलाकारों /समूहों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किये जाते हैं और उनकी मेजबानी की जाती है।

इन कार्यक्रमों में शमिल हैं- शाकुन्तलम् थियेटर में वाद्य एवं गायन संगीत प्रस्तुतियाँ और शास्त्रीय नृत्य, फलकनुमा थियेटर में आयोजित कव्वाली, गीत और गजल कार्यक्रम। ऐतिहासिक चौक पर नुक्कड़ नाटक और फूड कोर्ट में स्थित विशेष ओपन एअर थियेटर में विभिन्न सामाजिक विषयों पर अनेक कठपुतली शो आयोजित किये जाते हैं।

हंसध्वनि थियेटर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राज्य दिवस कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। राज्य दिवस समारोहों में राज्यों की भागीदारी होती है और ये समारोह भी लाल चौक थियेटर में आयोजित किये जाते हैं।

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले को छोड़कर, अन्य मेलों के दौरान शाकुन्तलम् थियेटर में कभी-कभी प्रसिद्ध हिंदी फिल्में दिखाई जाती हैं।

विभिन्न थियेटर मेला आयोजकों को किराये पर दिये जाते हैं जहां वे व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों के लिए प्रगति मैदान में प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं।

1.4.2012 से शाकुन्तलम् थियेटर में फिल्मों को नियमित रूप से दिखाया जाना बंद कर दिया है और इस थियेटर को संगोष्ठियां और सम्मेलनों के आयोजकों के लिए शाकुन्तलम् कन्वेंशन सेन्टर में परिवर्तित कर दिया गया है।

आई आई टी एफ 2012- लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए

13. कारपोरेट संचार सेवाएं

वर्ष 2012-13 के दौरान मीडिया के साथ सार्थक इंटरफेस के जरिए आई टी पी ओ के कार्यकलापों के विभिन्न पक्षों को सामने लाया गया। आई टी पी ओ ने प्रिंट मीडिया (राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और व्यापार संबंधी विशेषीकृत पत्रिकाओं), इलेक्ट्रानिक मीडिया (दूरदर्शन, टी वी चैनलों, ऑल इण्डिया रेडियो और एफ एम चैनलों)। आडटडोर पब्लिसिटी और वेबसाइटों आदि के जरिये डिजिटल प्रमोशन द्वारा व्यापार प्रचार अभियान चलाया गया ताकि भारत और विदेशों में इसके विभिन्न आयोजनों तथा अन्य कार्यकलापों में भागीदारी जुटाई जा सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके।

इन प्रचार अभियानों को चलाने के लिए ब्रोसर, इन्वीटेशन लेटर, पोस्टर, मेले के कैटेलॉग आदि प्रकाशित किये गये। आई टी पी ओ के कार्यकलापों और उसकी कारपोरेट छवि को मजबूत बनाने के लिए व्यापार संवर्धन में आई टी पी ओ की भूमिका के संबंध में भारत और विदेशों में चुनिंदा प्रचार माध्यमों में राइटअप/लेख तथा कारपोरेट विज्ञापन भी प्रकाशित किये गये।

हिंदी व अंग्रेजी में क्रमश: 'दर्पण' एवं 'लॉग आन' नाम से प्रकाशित तिमाही न्यूज लेटरों में भारत और विदेशों में आई टी पी ओ के कार्यकलापों के बारे में व्यापार और उद्योग जगत को जानकारी दी जाती है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, निर्यात संवर्धन परिषदें, वस्तु बोर्ड शामिल हैं।

14. कम्प्यूटरीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

वर्ष के दौरान अनुभव को ध्यान में रखते हुए कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता का उन्नयन किया गया जिसका उद्देश्य संचालन में वेब के उपयोग को बढ़ाना था । पारदर्शिता, शुद्धता एवं वास्तविकता को बढ़ाने हेतु ई-गवर्नेन्स कार्यकलाप लागू किये गए । आई टी पी ओ ने आई आई टी एफ 2012, आहार अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 2013 एवं भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2012 में सम्भावित

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रदर्शकों द्वारा स्थान की आनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया को मुख्य रूप से अपनाया गया । वर्ष के दौरान कम्पनी के सभी प्रमुख मेलों में इलेक्ट्रानिक सुविधाएं जैसे इंटरनेट, ई-मेल, व्यापारी दर्शक रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराई गई । भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2012 का विवरण किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सके, इसके लिए विभिन्न मोबाइल प्लेटफार्मों एवं कम्पिटेबल मोबाइल वेबसाइट- m.iitf.in का सृजन किया गया । इसकी मुख्य विशेषताओं में मेला प्रदर्शक, उत्पाद फ्लोर प्लान, तथ्य पत्र, सुविधाएं एवं मेलों तथा प्रदर्शनियों से सम्बन्धित जानकारी दर्शकों को प्रदान करना है ।

उपयोग करने में सरल, नागरिक केन्द्रित, उत्तम पहुंच एवं परिवेश, अधिक संचार एवं आसानी से खोजबीन युक्त माड्यूलर इत्यादि के द्वारा कारपोरेट वेबसाइट का उन्नयन किया गया । हमारी कारपोरेट ज्ञान प्रबन्ध प्रणाली पर आधारित है जो कम्पनी के कार्य प्रक्रिया, अनुदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, नोटिस, ड्रिल जो कि विभिन्न अनुभागों/विभागों से सम्बन्धित हैं उनको नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है । डाक्यूमेन्ट प्रबन्ध सूचना प्रणाली को नेशनल इन्फोरमेटिक सेन्टर (एन आई सी) द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उपयोग हमारे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के द्वारा फाइलों एवं नोटों (टिप्पणी) को भेजने के लिए किया जाता है ।

इसके अलावा कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं जिनमें (i) रोबस्ट आन-लाइन इंटिग्रेटेड बिजनेस साफ्टवेयर का कार्यान्वयन जो कि विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क पर उत्पाद कार्य अभ्यास का सुदृढीकरण करता है। (ii) कम्पनी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी एवं मेलों के प्रदर्शकों/ आयोजकों एवं दर्शकों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करता है जो कि व्यापार अभियान, ग्राहकों में वृद्धि एवं व्यापार सूचना का प्रसार करता है (iii) अद्यतन उपलब्ध प्लेटफार्म का प्रौद्योगिकी के उन्नयन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना ।

15. प्रशासन और मानव संसाधन विकास

वर्ष 2012-13 के दौरान 150 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया तथा 171 कर्मचारियों को गहन सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना (आई ए सी पी एस) के अन्तर्गत व्यक्तिगत ग्रेड उन्नयन किया गया ।

प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति/चयन की बैठकों में इन वर्गों के उम्मीदवारों के हितों पर ध्यान देने के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के उचित स्तर के अधिकारी को शामिल किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए (सामान अवसर एवं अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में अन्तर्विष्ट अशक्त व्यक्तियों को पदों/ सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी उपबन्धों का अनुपालन किया गया ।

मानव संसाधन विकास हेतु डाक्यूमेन्टेशन एवं आई टी टूल्स उपयोग करने में दक्षता उन्नयन हेतु 50 कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण दिया गया । कैन्टीन कर्मचारियों को भी तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया । दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा कम्पनी के सुरक्षा कर्मचारियों को अग्निशमन का उन्नत प्रशिक्षण दिया गया । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा एसेस नियंत्रण में सुधार करने हेतु कम्पनी के सुरक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों एवं विस्फोटक तलाश करने इत्यादि का संचालन करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया । इनके अतिरिक्त 25 कर्मचारियों को एक दिन का प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया ।

भारत सरकार की आरक्षण नीति

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित नियुक्ति/ पदोन्नति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 14 नियुक्तियां की गईं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	कुल
श्रेणी 'क'	01	01	02	06	10
श्रेणी 'ख'	–	–	02	02	04

वर्ष के दौरान, 150 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई। इनमें 23 अनुसूचित जाति के और 4 अनुसूचित जनजाति के शामिल थे। ऐसे मामलों में जिनमें आरक्षित श्रेणी के पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं उन पदों को आगे ले जाया जाता है।

14 अप्रैल 2012 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया तथा पुष्पांजलि अर्पित की गई।

16. स्थापत्य सेवाएं

कम्पनी द्वारा दिल्ली एवं अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में अपनी प्रदर्शनियों के लिए स्थापत्य ले-आउट प्लान स्वयं तैयार किये गए।

कम्पनी ने विभिन्न राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों की अपेक्षाओं के अनुसार दृष्टिकोण डिजाइन एवं ड्राईंग तैयार किए तथा मण्डपों के डिजाइन बनाने से सम्बधित परामर्श सेवाएं प्रदान करना जारी रखा।

17. प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित प्रदर्शनी केन्द्र

भारत की राजधानी, नई दिल्ली के मध्य में 123.50 एकड़ क्षेत्रफल में फैले प्रगति मैदान के 16 हालों में लगभग 65000 वर्ग मीटर आच्छादित प्रदर्शनी क्षेत्र सुलभ है और इसके अलावा 12000 वर्ग मीटर खुला प्रदर्शनी क्षेत्र भी है। 42000 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र में वातानुकूलित हाल नं. 7,8,9,10,11,12,12ए,14,15 एवं 18 हैं जिनमें हाल नं.7 में लाउन्ज सुविधा है और हाल नं.8 में लाउन्ज सुविधा के साथ ही 200 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला कान्फ्रेंस हाल सुविधाएं हैं, गेट नं.1 पर वातानुकूलित व्यापार विकास सुविधाएं (क्रमश: 450 और 650 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली) और 25000 वर्ग मीटर क्षेत्र में गैर-वातानुकूलित हाल हैं जिनमें हाल सं. 1,2,3,4,5,6 एवं 16 शामिल हैं।

इंजीनियरिंग विंग प्रगति मैदान में तथा दिल्ली से बाहर प्रदर्शनियों/मेलों/ सम्मेलनों तथा अन्य मेलों के आयोजन के लिये अपेक्षित सुविधाएं/ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराता है।

प्रगति मैदान में वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित ढांचागत विकास कार्य पूरे किए गए:-

(1) फुलवारी की बिल्डिंग का कन्वेंशन सेंटर के रूप में नवीकरण/अपग्रेडेशन।

(2) हाल नं.7 में प्रथम तल पर कान्फ्रेंस हाल फेस-1 का नवीकरण (ढाँचागत कार्य प्रगति पर है)।

(3) गेट नं.10 पर टिकट बूथ और शौचालय ब्लाक का विनिर्माण।

(4) प्रशासन भवन में कैफेटेरिया का सुधार तथा शौचालय ब्लाक का नवीकरण।

(5) विद्युत सब-स्टेशन नं.8 के नवीकरण का कार्य तथा उसके आस पास के क्षेत्रों की मरम्मत।

(6) हाल नं.18 (बेसमेंट) स्थित शौचालय ब्लाक का नवीकरण और मियानी तल पर अतिरिक्त शौचालय का निर्माण।

(7) गेट नं.1 पर अतिरिक्त व्यापार विकास सुविधा प्रदान करना।

आगामी वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित विकास कार्य किए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) हाल नं.18 के गुम्बद के ऊपर वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेन्ट।

(2) हाल नं.7 के फोयर बी के क्षतिग्रस्त कोटा पत्थर के फर्श को बदलना।

(3) हाल नं.7 के प्रथम तल पर स्थित सम्मेलन कक्ष फेस-द्वितीय का जीर्णोद्धार (आन्तरिक कार्य)।

18. क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र (आर टी पी सी)

चेन्नई व्यापार केन्द्र

चेन्नई में एक महत्त्वपूर्ण स्थल नन्दनबक्कम में 25.48 एकड़ क्षेत्रफल में स्थित इस केन्द्र को बनाया गया है। इस केन्द्र में तीन वातानुकूलित हाल हैं। इन हालों का क्षेत्रफल क्रमश: 4400 वर्गमीटर, 1760 वर्गमीटर और 4400 वर्गमीटर है। इन हालों में खम्भों और कॉलम का उपयोग नहीं किया गया है। जनवरी 2001 में एक सम्मेलन केन्द्र का भी शुभारम्भ किया गया। इस कन्वेंशन सेन्टर में 1500 भागीदारों की बैठने की क्षमता है तथा इस हाल को दो बराबर भागों में विभाजित करने का भी प्रावधान है। चेन्नई व्यापार केन्द्र का संचालन तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा किया जाता है जो कि आई टी पी ओ और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का संयुक्त उद्यम है।

वर्ष 2012-13 के दौरान चेन्नई व्यापार केन्द्र के प्रदर्शनी हालों में 100 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इनके अलावा सम्मेलन केन्द्र में 120 कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

बंगलौर व्यापार केन्द्र

व्हाइटफील्ड, बंगलौर में प्रमुख स्थान पर स्थित यह व्यापार केन्द्र 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें 5371 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वातानुकूलित हाल है और 11 खुले क्षेत्र वाले स्थल हैं जिनमें प्रत्येक में 38 वर्गमीटर जगह है। इस प्रदर्शनी हाल को चारों ओर से भारी उपकरण, मशीनों का प्रदर्शन एवं फूड कोर्ट, व्यापार केन्द्र स्थापित करने हेतु बनाया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान बंगलौर व्यापार केन्द्र में 35 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 25.46 प्रतिशत भूतल क्षेत्र का उपयोग किया गया।

19. राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईटीपीओ ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन जारी रखा। भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मामलों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए गए।

दैनंदिन सरकारी कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी लेखन और श्रुतलेख, हिन्दी निबंध और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगितायें अगस्त, 2012 में आयोजित की गयी जिनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिये गये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन के रूप में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित 'वीर का बलिदान' उपन्यास दिया गया।

हिन्दी मासिक उद्योग व्यापार पत्रिका के नियमित प्रकाशन के अलावा, व्यापारी दर्शक संदर्शिका, आई आई टी एफ 2012 की सामान्य जानकारी, प्रगति मैदान में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों के मोबिलाइजेशन फोल्डर, वार्षिक रिपोर्ट 2011-12, आई टी पी ओ और वाणिज्य विभाग के मध्य हुए समझौता ज्ञापन को हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। तिमाही कारपोरेट पत्रिका 'दर्पण' (लाग आन का हिन्दी संस्करण) को प्रकाशित करना जारी रहा।

आई टी पी ओ के दिन-प्रतिदिन के फाइलों के कार्य में हिन्दी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना पहले से ही लागू है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिन्दी में शत-प्रतिशत कार्य करने के लिए 3 कर्मचारियों को 5000-5000 रुपये के नकद पुरस्कार, एक कर्मचारी को 600 रुपये का तथा दो कर्मचारियों को 400-400 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

आई टी पी ओ के 2 कर्मचारियों ने विश्व हिन्दी सम्मेलन जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में (22-24 सितम्बर 2012) आई टी पी ओ का प्रतिनिधित्व किया।

20. सुरक्षा

सुरक्षा से सम्बन्धित उपलब्धियां एवं सुधारों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवाएं प्रगति मैदान में लेने के लिए प्रयास अन्तिम चरण में हैं।

(2) दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा आई टी पी ओ के सुरक्षा कर्मचारियों को अग्नि शमन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आई टी पी ओ के सुरक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, खोजी उपकरण को चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया जिससे विस्फोटक वस्तु को खोजने में सुधार हो।

21. सतर्कता

कम्पनी में सतर्कता सम्बन्धी कार्य किये गए जिनमें शिकायतों का निवारण, विभागीय/अनुशासनात्मक जांच करना, मसौदा विधि उत्तर/ एफिडेविट/ रीजोएन्डर, औचक निरीक्षण, खुफिया जानकारी, विजिलेन्स क्लियरेन्स प्रदान करना, कर्मचारियों की वार्षिक सम्पत्ति के ब्यौरे की जांच, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सम्पदा विवरण भेजना, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ समन्वय करना शामिल हैं।

22. अनुषंगी कम्पनियां

आईटीपीओ की अपनी दो सहायक कम्पनियां- तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में 51-51 प्रतिशत इक्विटी है । कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अन्तर्गत इन सहायक कम्पनियों का अपेक्षित विवरण अनुबंध-I में दिया गया है तथा वह इस रिपोर्ट का भाग है ।

23. सावधि जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 के खण्ड 58 ए और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं ।

24. लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स किशोर ऐण्ड किशोर चार्टरित लेखाकार, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए आई टी पी ओ का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है ।

25. सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं में से प्रत्येक बिन्दु के बारे में बोर्ड के उत्तर संलग्न अनुबन्ध-II में दिये गये हैं जो इस रिपोर्ट का अंग है ।

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपकी कम्पनी के वार्षिक लेखे के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अनुबन्ध-III में दी गई हैं जो इस रिपोर्ट का भाग है ।

26. कर्मचारियों का विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान आई टी पी ओ का कोई भी कर्मचारी प्रतिमाह धारा 217 (2क) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं प्राप्त कर रहा है। निदेशकों की रिपोर्ट में धारा 217 (2क) के अन्तर्गत घोषणा के संबंध में सूचना को शून्य समझा जाए ।

27. कापोरेट गवर्नेंस

बोर्ड की आडिट कमेटी और बोर्ड की पारिश्रमिक कमेटी का पुनर्गठन हो गया है । आई टी पी ओ ने यह कार्य कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया है । सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित अन्तराल पर नियमित रूप

से बोर्ड और आडिट कमेटी की बैठकें की गयी । पारिश्रमिक कमिटी की पहली बैठक 25 मार्च 2013 को हुई ।

वर्ष 2012-13 के दौरान उपर्युक्त दिशा - निर्देशों का आई टी पी ओ द्वारा अनुपालन किये जाने के बारे में चार तिमाही रिपोर्ट वाणिज्य विभाग को भेजी गई हैं । निर्धारित समय में रिपोर्ट भेजी गयी जिससे 'उत्कृष्ट' ग्रेड पाने के लिए 88.80 प्रतिशत वार्षिक औसत अंक प्राप्त किये जा सकें । कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट अनुबन्ध - IV में दी गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। कारपोरेट गवर्नेंस से सम्बधित प्रमाण-पत्र अनुबन्ध - V में दिया गया है ।

28. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी ने ऐसे सम्भावित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिनको दिनचर्या में उपकरणों की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया । इस विभाग ने 745 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जिनको व्हीलचेयर या तिपहिया साइकिल और ब्रेल स्टिक और स्लेट की आवश्यकता थी। इनकी सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, कानपुर से उपकरणों एवं सहायक उपकरणों की खरीद की ।

इनके अलावा कम्पनी ने समाज कल्याण विभाग को चार एम्बुलेन्स उपलब्ध करायी । दिल्ली सरकार की समाज कल्याण मंत्री प्रो. किरण वालिया ने सभी सहायक सामग्री उपकरणों तथा चार एम्बुलेन्सों को लाभार्थियों को प्रदान किया ।

29. प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है क्योंकि यह कारपोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है (अनुबन्ध-VI) ।

सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र

मै. चन्द्रशेखर एसोसिएट्स कम्पनी सचिव, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के अनुबन्ध-VII के साथ संलग्न है जो इस रिपोर्ट का भाग है ।

30. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी मुद्रार्जन एवं निर्गम

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1)(ई) के अनुसार तथा नियम 1988 के साथ पढ़ा जाए (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरण संलग्न है) । आपके निदेशकों ने निम्न सूचना दी हैं :-

ऊर्जा संरक्षण	कम्पनी के कार्यकलापों के लिए ऊर्जा की निरन्तर खपत नहीं होती, तथापि लाइटों, पंखों, एयर कंडीशनरों और लिफ्टों आदि के सीमित प्रयोग जैसे ऊर्जा संरक्षण के लिये आवश्यक उपायों को लागू किया जा चुका है ।
प्रौद्योगिकी अपनाना	आई टी पी ओ ने अपने घरेलू मेलों के लिए आनलाइन स्थान की बुकिंग और भुगतान प्रणाली को अपनाया है तथा यह अब से स्थायी प्रक्रिया के रूप में सभी भावी देशी मेलों के लिए अपनायी जायेगी । आई टी पी ओ ने इंटिग्रेटेड साफ्टवेयर माड्यूल के विकास का कार्य शुरू कर दिया है जिससे एक पैकेज बिजनेस साफ्टवेयर सिस्टम का विकास आई टी पी ओ के कार्यकलापों के आटोमेशन एवं इंटिग्रेशन के द्वारा किया जा सके तथा ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सामान्य डाटा का उपयोग किया जा सके । पहली बार भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2012 के दौरान एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास एवं क्रियान्वयन किया गया जिससे स्मार्ट फोन/ टेबलेट पर आई आई टी एफ 2012 के विषय में सूचनाओं को देखा जा सके ।

निर्यात सम्बन्धी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए की गई कोशिशें, उत्पादों तथा सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास तथा निर्यात योजना	भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के आधार पर विदेशी मेलों में भागीदारी करने का कार्यक्रम बनाया जाता है । इन कार्यक्रमों को बनाते समय वाणिज्य विभाग द्वारा पहचान किये गए नए बाजार, भारत के अन्य देशों के साथ किए गए द्विपक्षीय एवं बहुउद्देश्यीय व्यापार समझौतों, भारतीय मिशनों के विचारों तथा घरेलू अनुसंधान को ध्यान में रखा जाता है ।	
विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय	**चालू वर्ष (2012-13) रुपये**	**गत वर्ष (2011-12) रुपये**
आय	14,22,36,534	10,19,49,828
व्यय	16,20,96,157	17,40,27,498

31. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 क क)में यथा अनुबंधित निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण का समर्थन करते हैं तथा निम्नलिखित मामलों की पुष्टि करते हैं :-

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक सारभूत परिवर्तनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू गणना मानकों को अपनाया गया है ।

(ii) निदेशकों ने गणना की ऐसी नीतियां चुनी हैं और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे आकलन किये हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं और इस कम्पनी के बारे में वित्त वर्ष और उसी अवधि में कम्पनी के व्यय से अधिक आय की सही तथा उचित तस्वीर पेश करते हैं ।

(iii) निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, गबन एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं पर्याप्त गणना रिकार्ड रखे हैं ।

(iv) निदेशकों ने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किये हैं ।

32. आभार

हम निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, विशेषत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के आभारी हैं । निदेशक मण्डल दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों के प्रति भी आई टी पी ओ को दिये गये उनके तत्पर सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं । निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक उद्यम विभाग और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के भी आभारी हैं जिनका बहुमूल्य सहयोग हमें प्राप्त हुआ।

कते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(रीता मेनन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डी आई एन नं. 00543058

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 24 सितम्बर 2013

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुषंगी कम्पनियों के बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अनुसार ब्यौरा

अनुबन्ध-I

अनुषंगी कम्पनी का नाम	**तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन**	**कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन**
1. अनुषंगी कम्पनी का समाप्त वित्त वर्ष	31 मार्च, 2013	31 मार्च,2013
2.(क) अनुषंगी कम्पनी को जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी (ख) अनुषंगी कम्पनी की पूंजी में आईटीपीओ का हिस्सा	1000 रुपये की दर से 100 इक्विटी शेयर 1000 रुपये की दर से 51 इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत)	1000 रुपये की दर से 5000 इक्विटी शेयर 1000 रुपये की दर से 2550 इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत)
3. अनुषंगी कम्पनी के लाभ / घाटे की निवल कुल राशि जहां तक यह आईटीपीओ के सदस्यों से संबंधित है तथा आईटीपीओ के खाते में नहीं दिखाई गयी है (क) 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष में (ख) अनुषंगी कम्पनी के 31.3.2012 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में संचयी राशि जब से यह आईटीपीओ की अनुषंगी बनी	 1105.15 लाख रुपये 3465.52 लाख रुपये धारा 25 में पंजीकृत कम्पनी होने के कारण इसके लिए कोई भी लाभांश घोषित करना मना है ।	 292.55 लाख रुपये 451.02 लाख रुपये धारा 25 में पंजीकृत कम्पनी होने के कारण इसके लिए कोई भी लाभांश घोषित करना मना है ।
4. अनुषंगी कम्पनी के लाभ-घाटे की निवल कुल राशि जहां तक इस घाटे के आईटीपीओ के खातों में प्रावधान किये गये हों (क) 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष में (ख) अनुषंगी कम्पनी के 31.3.2012 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में संचयी राशि जब से यह आईटीपीओ की अनुषंगी बनी	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य

ह./-
(पी.सी. शर्मा)
वरिष्ठ महाप्रबन्धक
एवं कम्पनी सचिव

ह./-
(मलय श्रीवास्तव)
कार्यकारी निदेशक

ह./-
(रीता मेनन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अनुबन्ध-II

स्वतंत्र लेखा परीक्षक	बोर्ड के उत्तर

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के सदस्यों को

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कम्पनी के वित्तीय विवरण का परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2013 समाप्त वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र तथा आय और व्यय का विवरण और कैश-फ्लो विवरण एवं विशिष्ट गणना नीति के सारांश और वित्तीय विवरण का नोट शामिल हैं ।

वित्तीय विवरण से सम्बन्धित प्रबन्धन का उत्तरादायित्व

प्रबन्धन वित्तीय विवरण को तैयार करता है जो कि वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं कैश-फ्लो का उचित दृश्य प्रस्तुत करने के लिए उत्तरादायी है और यह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) के अन्तर्गत गणना मानक के अनुसार है। इस उत्तरादायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और आन्तरिक नियंत्रण प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शामिल हैं जो कि सत्य एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करे जो असत्य एवं धोखाधड़ी असुविधाओं से मुक्त हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किये गए लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरण के विषय में अपना विचार प्रकट करना है । हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा जारी मानक के अनुसार लेखा-परीक्षण किया है जो मानक की अपेक्षाएं हैं, हमने उनका अनुपालन किया है तथा वित्तीय विवरण के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करके लेखा परीक्षण किया है जो असत्य न हो ।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

लेखा परीक्षण में धनराशि एवं वित्तीय विवरण से सम्बन्धित घोषणा के विषय में लेखा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है । प्रक्रिया चुनने और वित्तीय विवरण के विषय में जोखिम का आकलन एवं असत्य का पता लगाने का निर्णय लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जो कि धोखाधड़ी और गलती से मुक्त हो । जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तीय विवरण को तैयार करने एवं उसको उचित रूप से प्रस्तुत करने में आन्तरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो कि परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रिया उचित हो । लेखा परीक्षण में लेखा गणना नीति का उचित मूल्यांकन एवं प्रबन्धन द्वारा किये लेखा अनुमान का उचित सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण हो ।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे द्वारा स्पष्ट लेखा विचार प्रस्तुत करने के लिए उचित आधार है ।

वित्तीय विचार के आधार

वित्तीय विवरण के नोट के अनुसार:-

क) कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पी आर पी) हेतु वर्ष के दौरान 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया (संचित आधार पर 31.3.2013 के लिए 23.90 करोड़ रुपये) और 31.3.2013 तक 10.27 करोड़ रुपये कम्पनी ने स्कीम को बिना अनुमोदित कराये जारी किये- नोट 9

ख) स्थायी सम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन में पायी गई कमियों के लिए धनराशि निश्चित नहीं की गई और न ही उनकी पहचान की गई और न उनको समायोजित किया ।

वास्तविक विवरण । कृपया वित्तीय विवरण नोट 9 का अवलोकन करें ।

वास्तविक विवरण । कृपया वित्तीय विवरण नोट 10.2 का अवलोकन करें ।

ग) आकलन वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमश: 86.06 करोड़ रुपये और 36.76 करोड़ रुपये आयकर की प्रमाणिक देयता का प्रावधान नहीं किया गया और इसके पश्चात आकलन वर्ष 2011-2012, 2012-13 और 2013-14 की गैर प्रमाणिक देयता का प्रावधान ही नहीं किया गया । 33.53 करोड़ रुपये टी डी एस वापसी का रुका हुआ 6 करोड़ रुपये दिखाया गया है तथा वर्ष के दौरान (कुल 39.53 करोड़ रुपये) जमा दिखाया गया है जिसको 31.3.2013 को 'आयकर की वसूली' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है जब आयकर विभाग ने अपने आकलन वर्ष 2009-10 की मांग के प्रति समायोजित किया है । - नोट 31 और

घ) पिछले वर्ष ब्याज तथा सर्विस टेक्स की 10.88 करोड़ रुपये की मांग हेतु प्रावधान नहीं किया गया है, न ही वर्ष 2006-07 से 2009-10 हेतु दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि कोई हो तो, इस वर्ष 2011-12 हेतु 0.43 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें ब्याज एवं दण्ड शामिल नहीं है - धनराशि अनिश्चित-नोट 32

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आय का 130.13 करोड़ रुपये का अधिकथन हुआ जो 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार चालू देयताओं के अल्पकथन के बराबर और प्रावधानों के बराबर था। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त पैरा ख, ग और घ के परिणामस्वरूप अनिश्चित प्रभाव पड़ा और परिसम्पत्तियां 39.53 करोड़ रुपये अधिक दर्शायी गयी (पैरा- ग)।

अहर्ता विचार

हमारे विचार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमको दिए गये स्पष्टीकरण, उपर्युक्त अहर्ता विचार अनुच्छेद हेतु दिये गये विवरण के प्रभाव को छोड़कर, इस मामले में अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण दिया गया है जो सत्य एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों से मेल खाता है।

वास्तविक विवरण 1 कृपया वित्तीय विवरण का नोट सं. 31 देखें ।

वास्तविक विवरण । कृपया वित्तीय विवरण का नोट 32 देखें ।

क) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2013 को कम्पनी के कार्यकलापों का विवरण

ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, वर्ष की समाप्ति की तिथि को आय, और

ग) कैश-फ्लो विवरण के मामले में वर्ष की अन्तिम तिथि को कैश-फ्लो

रिपोर्ट से सम्बन्धित अन्य कानून एवं नियमितताओं की अपेक्षा

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4 क) के अनुसार कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के द्वारा अपेक्षित जिन मामलों पर हमारी टिप्पणियां मांगी गई हैं, वे नहीं दी गई हैं क्योंकि कम्पनी में यह निश्चित प्रावधान है कि जिन कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त है, उन पर यह लागू नहीं होगा ।

2. अधिनियम की धारा 227 (3)की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

क) हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

ख) हमारे मत में कम्पनी एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कानून के अन्तर्गत अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियों को रखा गया है जबकि उनसे प्राप्त लेखा बहियों की जांच से यही स्पष्ट होता है और इन्हें हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त माना गया है ।

ग) तुलन पत्र, आय एवं व्यय का विवरण एवं कैश-फ्लो विवरण इस रिपोर्ट का भाग है जो लेखा पुस्तकों में दिखाया गया है ।

घ) प्रमाणिक मद अनुच्छेद हेतु प्रमाण के विवरण को छोड़कर, हमारे मत में तुलन-पत्र, आय एवं व्यय का विवरण तथा कैश-फ्लो विवरण अधिनियम की धारा 211 (उप धारा 3 ग) से लेखा मानक मेल खाता है ।

ड.) विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय के कम्पनी कार्य विभाग द्वारा परिपत्र संख्या 2/5/2001- सी एल वी- सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 दिनांक 22.3.2002 को जारी किया गया तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1)(जी) निवेशकों की अयोग्यता से संबन्धित है जो इस कम्पनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह सरकारी कम्पनी है ।

कृते किशोर ऐण्ड किशोर
चार्टरित लेखापाल
एफ आर एन 000291 एन

ह. /-
(अंशु गुप्ता)
भागीदार
एम सं. 077 891

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 अगस्त 2013

अनुबन्ध-III

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबन्धन की है । कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी भारत के चार्टरित लेखापालों के संस्थान के व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन - मानकों के अनुरूप स्वतन्त्र लेखा परीक्षा पर आधारित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है । ऐसा 23 अगस्त 2013 को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया बताया गया है ।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (3) (ख) के अन्तर्गत 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है । यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के परिकलन दस्तावेज के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है । मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा उस पर अनुपूरक रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ी हो ।

कते एवं भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की ओर से

ह. /-
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं लेखारीक्षक बोर्ड-I के भूतपूर्व पदेन सदस्य
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 अक्तूबर 2013

अनुबन्ध – IV

कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

निदेशकगण कम्पनी की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं ।

1. कम्पनी की गवर्नेंस फिलासफी

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी — इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं गवर्नेंस में अर्जित उत्कृष्टता की झांकी प्रस्तुत करता है ।

कार्पोरेट प्रशासन कम्पनी में इसके विभिन्न स्टाकहोल्डरों के हित के बारे में कार्पोरेट, पारदर्शिता और जिम्मेवारी को बढ़ावा देने के बारे में है । यह ऐसा सिस्टम है जिससे व्यापारिक निगमों को निर्देश दिये जाते हैं तथा उन पर नियंत्रण रखा जाता है ।

आई टी पी ओ को विश्वास है कि अच्छे गवर्नेंस का सरकार की नीतियों के प्रति प्रोएक्टिव रहते हुए प्रबन्धन की न्यासधारिता, सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रतिष्ठित करनी चाहिए । आई टी पी ओ की गवर्नेंस प्रक्रिया, इसके उददेश्य — उद्योग एवं व्यापार जगत को व्यापक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना तथा भारत का व्यापार बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने पर केन्द्रित है। आई टी पी ओ भारत में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन को अनुमोदित करता है और भारत में विभिन्न प्रदर्शनियों के आयोजन को नियंत्रित करता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही प्रकार की प्रदर्शनियों के दुहराव से बचा जा सके और उचित समय का चयन सुनिश्चित किया जा सके । यह संगठन भारत में विश्व स्तर के एकमात्र प्रदर्शनी मैदान का प्रबन्ध कर रहा है जिसे उत्कृष्ट स्तर पर तैयार रखने के लिए उसका निरन्तर उन्नयन किया जाता है।

आई टी पी ओ के मुख्य कार्यकलाप और सेवाएं हैं:-

- भारत में आयोजित किए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का भारत एवं विदेशों में प्रचार करना तथा उनमें भाग लेने हेतु विदेशी भागीदारों को मोबिलाइज करना ।
- भारत तथा विदेशों में ऐसे मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना जो व्यापार वस्तुओं से सम्बन्धित हों
- निर्यात बढ़ाने एवं परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने हेतु नये बाजारों की खोज और नये उत्पादों के निर्यात का विकास, विविधता को बनाए रखना एवं निर्यात व्यापार का विस्तार करना।
- छोटे एवं मझौले उद्यमों को भारत एवं विदेशों के बाजार में पांव जमाने के लिए सहायता करना ।
- भारत में व्यापार एवं उद्योग जगत के बीच व्यापार सम्बन्धी डाटाबेस तैयार करना तथा उसे अद्यतन करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना ।

- व्यापार संबंधी विषयों पर सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करना।

- अपने प्रदर्शनी हाल एवं सुविधाएं, व्यापार संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अन्य आयोजकों को किराए पर देना ।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का कम्पनी द्वारा अनुपालन तथा उस बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपेक्षाओं का खुलासा इस प्रकार है :-

2. **निदेशक मण्डल**

2.1 **निदेशक मण्डल का आकार**

आईटीपीओ कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार चैरिटेबल संगठन है तथा इस समय इसकी कुल चुकता शेयर पूंजी का 99.98 प्रतिशत भाग भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अन्तर्नियमों के अनुसार इसके निदेशक नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है ।

कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार निदेशकों की संख्या चार से कम तथा बारह से अधिक नहीं होगी ।

2.2 **निदेशक मण्डल की संरचना**

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल में कुल 9 निदेशक हैं जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित 2 निदेशक प्रकार्यात्मक तथा 4 निदेशक भारत सरकार के नामित तथा 3 स्वतंत्र निदेशक हैं ।

श्रीमती रीता मेनन ने 3 जनवरी 2012 को आईटीपीओ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्य भार ग्रहण किया है तथा इस पद पर विद्यमान हैं ।

2.3 **निदेशक मण्डल की बैठक और उसमें उपस्थिति**

निदेशक मण्डल की बैठकें प्राय: कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं । इन बैठकों का समय सामान्यत: पर्याप्त समय पहले तय हो जाता है तथा इसकी सूचना, विस्तृत बोर्ड एजेण्डा, मैनेजमेंट रिपोर्ट तथा अन्य स्पष्टीकरण बोर्ड नोट से निदेशकों में परिचालित किए जाते हैं । निदेशक मण्डल के सदस्यों को कम्पनी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है । निदेशक मण्डल द्वारा बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है उनके बारे में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी देने हेतु इन बैठकों में प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमन्त्रित किया जाता है ।

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष में बोर्ड की 5 बैठकें क्रमश: 8 जून 2012, 27 अगस्त 2012, 21 नवम्बर 2012, 10 दिसम्बर 2012 और 27 फरवरी 2013 को हुई ।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति वाली निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या, पिछली आम वार्षिक बैठक में (एजीएम) उपस्थिति, आईटीपीओ से अन्य निदेशकों (पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों/समिति के सदस्यों अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति के सदस्यों) की संख्या का विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है :-

क्रमांक	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकें		9 नवम्बर 2011 को हुई आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति	31 मार्च 2013 को		
		कार्यकाल में हुई बैठकें	उपस्थिति		अन्य निदेशकों की संख्या	अन्य समितियों के सदस्यों की संख्या	
						अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्रीमती रीता मेनन	5	5	हां	2		
2	श्री नीरज कुमार गुप्ता (25.10.2013 तक)	2	2	नहीं	2		
3	श्री असित कुमार त्रिपाठी (23.01.2013तक)	2	2	नहीं	2		
4	श्री मलय श्रीवास्तव (24.01.2013 से)	1	1	नहीं	–		
5	श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	3	2	नहीं	5		
6	श्री जे. एस.दीपक	5	3	नहीं	0		
7	श्री सी. के. मिश्रा	5	2	नहीं	1		
8	श्री प्रभात कुमार	4	3	नहीं	2		
9	डा. राजन कटोच (18.06.2012 तक)	1	0	नहीं	2		
10	सुश्री राधिका एल. लोकेश (23.07.2012 तक)	1	0	नहीं	0		
11	श्री अभिजीत बासु	5	5	लागू नहीं	–		
12	श्री एस.एम .लोढ़ा	5	5	लागू नहीं	5		
13	श्री डी.एस. रावत	5	1	लागू नहीं	1		

नोट : भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनियां, विदेशी कम्पनियां और कम्पनियों में निदेशक होने पर विचार किया गया है ।

2.4 वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2013 के दौरान नियुक्त/पुनर्नियुक्त निदेशकों का ब्यौरा

क्रमांक	निदेशक का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति की तिथि	अन्य कम्पनियों में धारित पद	कम्पनी में धारित शेयरों की संख्या
1	श्री सी.के. मिश्रा	16.05.1960	11.05.2012	आईआईएफटी	

2	सुश्री अनिता अग्निहोत्री	10.10.1956	18.06.2012	1. एमएमटीसी 2. एसटीसी लि. 3. एनटीसी 4. जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया 5. बी.आई.सी. लि.	
3	श्री प्रभात कुमार	06.05.1967	24.07.2012	1. एनएसआईसी लि. 2.डीएसआईआईडीसी	
4.	श्री ए.के. त्रिपाठी	23.12.1960	07.11.2012	1. अपेडा	
5.	श्री मलय श्रीवास्तव	23.11.1964	24.01.2013	1. केटीपीओ 2. टीएनटीपीओ	

2.5 **निदेशक मण्डल को निम्नलिखित जानकारी भी दी जाती है :-**

निदेशक मण्डल को कम्पनी के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं । उन्हें ये जानकारियां नियमित रूप से दी जाती हैं:-

1. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन जानकारी ।
2. वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि ।
3. आडिट कमेटी तथा निदेशक मण्डल की अन्य कमेटियों की बैठकों के कार्यवृत्त ।
4. प्रमुख निवेश, अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और स्टेटेजिक अलायंसों आदि की जानकारी ।
5. बड़े ठेके देना ।
6. निदेशकों का किन्हीं अन्य कम्पनियों में निदेशक बनने तथा कमेटियों में उनकी हैसियत-इनमें उनके हित का खुलासा ।
7. विभिन्न चालू परियोजनाओं/स्कीमों तथा उनमें बजट के उपयोग की स्टेटस रिपोर्ट ।
8. वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करना आदि जैसे मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधी विषयक कोई भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम ।
9. किसी भी नियामक, विधायी एवं शेयरधारकों संबंधी सेवा का अनुपालन नहीं होना ।
10. अधिशेष फण्डों का अल्पकालिक निवेश ।
11. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य जानकारी ।

3. **निदेशक मण्डल की कमेटियां**

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित कमेटियां गठित की हैं :-
(।) आडिट कमेटी
(।।) पारिश्रमिक कमेटी

3.1 **आडिट कमेटी की संरचना**

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने मई 2010 में कारपोरेट गवर्नेन्स के बारे में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है । इसके परिणामस्वरूप निदेशक मण्डल में तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गयी है । इस आडिट कमेटी का पुनर्गठन लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है ।

क्रमांक	**समिति के सदस्य का नाम**	**पदनाम**	**समिति में पद**
1.	अभिजीत बासु	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	अनिता अग्निहोत्री	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	नीरज कुमार गुप्ता	फंक्शनल निदेशक	सदस्य (25.10.2012 तक)
4.	मलय श्रीवास्तव	फंक्शनल निदेशक	सदस्य
5.	एस.एम. लोढ़ा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6.	डी.एस. रावत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.2 वर्ष 2012-13 के दौरान आडिट कमेटी की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान आडिट कमेटी की चार बैठकें क्रमश: 12 जुलाई 2012, 27 अगस्त 2012, 30 अक्तूबर 2012 और 27 फरवरी 2013 को हुई ।

निदेशक का नाम	समिति में पद	बैठकें	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	भाग लिया
अभिजीत बासु	अध्यक्ष	4	4
एस.एम. लोढ़ा	सदस्य	4	4
डी.एस. रावत	सदस्य	4	1
अनिता अग्निहोत्री*	सदस्य	4	1
नीरज कुमार गुप्ता**	सदस्य	2	2
ए.के त्रिपाठी***	सदस्य	-	-
मलय श्रीवास्तव****	सदस्य	1	1

* निदेशक के रूप में 18.06.2012 को नियुक्त ।

** 25.10.2012 को कार्यकारी निदेशक का पद छोड़ दिया ।

*** 07.11.2012 को कार्यकारी निदेशक के पद का प्रभार लिया और 23.01.2013 को छोड़ दिया ।

**** 24.01.2013 को कार्यकारी निदेशक के पद का प्रभार सम्भाला ।

3.3 पारिश्रमिक समिति की संरचना

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने लोक उद्यम विभाग द्वारा मई 2010 में कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में जारी-दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। लोक उद्यम विभाग के निर्देशानुसार बोर्ड में तीन स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

क्रम सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम	पद नाम	पारिश्रमिक समिति में पद
1.	श्री अभिजीत बासु	स्वतन्त्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस.एम. लोढ़ा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री अनिता अग्निहोत्री	आधिकारिक निदेशक	सदस्य
4.	श्री जे.एस. दीपक	आधिकारिक निदेशक	सदस्य
5.	श्री सी.के. मिश्रा	आधिकारिक निदेशक	सदस्य

3.4 वर्ष 2012-13 के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठकें और उनमें उपस्थिति

25 मार्च, 2013 को पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई।

निदेशक का नाम	पारिश्रमिक समिति में पद	बैठकें	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति
श्री अभिजीत बासु	अध्यक्ष	1	1
श्री एस.एम. लोढ़ा	सदस्य	1	1
सुश्री अनिता अग्निहोत्री*	सदस्य	1	1
श्री जे.एस. दीपक	सदस्य	1	1
श्री सी.के. मिश्रा**	सदस्य	1	0

*18.06.2012 को निदेशक नियुक्त
**11.05.2012 को निदेशक नियुक्त

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कर्मचारी निदेशक को दिये गये पारिश्रमिक के अतिरिक्त यह कम्पनी निदेशक मण्डल की अथवा निदेशक मण्डल की उप-समिति की बैठकों में भाग लेने वाले प्रत्येक अंशकालिक स्वतन्त्र निदेशक को 10,000 रुपये प्रति बैठक सीटिंग फीस देती है। परन्तु कम्पनी अंशकालिक सरकारी नामितियों को कोई फीस नहीं देती है।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

5. आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के आयोजन की तिथि, समय और स्थान का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2009-10	30.11.2010	दोपहर पूर्व 11.30 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001	शून्य
2010-11	9-11-2011	दोपहर पूर्व 11.30 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001	शून्य
2011-12	21-11-2012	सायं 4.00 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001	हां- एक

6. प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

(i) सम्बन्धित पार्टियों के साथ किये गये लेन-देन में ये शामिल हैं:- (i) संयुक्त उद्यम समझौते के अन्तर्गत तथा कार्यों/ सेवाओं की संविदाओं के कारण कम्पनियों को किया गया भुगतान (ii) महत्वपूर्ण प्रबन्धन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक और (iii) अनुषंगी कम्पनियों को इक्विटी अंशदान जो बड़े स्तर पर कम्पनी हित के संभावित विवाद के रूप में नहीं हैं। संबंधित पार्टी लेन-देन संबंधी विस्तृत ब्यौरे, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी तथा केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखा गणना मानक सलाहकार समिति के परामर्श से अधिसूचित लेखा गणना मानक-18 के अनुसार लेखा संबंधी टिप्पणियों में शामिल किए गए हैं।

(ii) आईटीपीओ लागू होने योग्य एकाउंटिंग स्टैण्डर्डो का अनुपालन कर रहा है। केवल सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय ब्यौरों की जांच के बाद बोर्ड पारित करता है। वित्त वर्ष 2012-13 का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में उल्लिखित एकाउंटिंग स्टैण्डर्डों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

(iii) पिछले तीन वर्ष के दौरान कम्पनी पर सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों से संबंधित किसी मामले के बारे में सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई दण्ड अवक्षेप नहीं दिया गया है।

(iv) व्हीसिल ब्लोअर नीति के संबंध में कम्पनी ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करना है।

(v) आई टी पी ओ के वरिष्ठ प्रबन्धन ने घोषणा की है कि उनका अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है जिसका डी पी ई के कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के खंड 7.5.2 दृष्टि से कम्पनी के हितों के साथ कोई सम्भावित टकराव हो।

(vi) एकाउंटिंग स्टैण्डर्डों-21,23 और 27 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना आई टी पी ओ पर लागू नहीं होता हैं, क्योंकि आई टी पी ओ सूचीबद्ध कम्पनी नहीं है।

(vii) एकाउटिंग स्टैण्डर्डों 17 के प्रावधानानुसार 'सेगमेन्ट रिपार्टिंग' के मामले में आई टी पी ओ लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

(viii) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार एक व्यापक रिस्क मैनेजमेंट पालिसी का निदेशक मंडल ने 26.3.2013 को अनुमोदन कर दिया है।

(ix) लेखा पुस्तकों में व्यय की ऐसी कोई मद दर्ज नहीं की गयी जो संगठन के प्रयोजन के लिए नहीं थी।

(x) निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए निजी किस्म का कोई व्यय कम्पनी की निधि से नहीं किया गया।

(xi) कर्मचारियों के लाभ संबंधी व्यय और कुल व्यय स्थिति इस प्रकार है:-

क्रमांक	विवरण	2012-13	2011-12
1	कर्मचारी लाभ व्यय	98.86 करोड़ रुपये	100.54 करोड़ रुपये
2	कुल व्यय	184.29 करोड़ रुपये	190.76 करोड़ रुपये

7. संचार साधन

यह कम्पनी एक गैर सरकारी कम्पनी है, इसलिए यह तिमाही/ छ:माही आधार पर कम्पनी के परिणामों के संबंध में कोई सूचना प्रेषित नहीं कर रही है।

8. लेखा परीक्षा योग्यता

लेखा परीक्षा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां तथा प्रबन्धन के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं।

9. बोर्ड के निदेशकों का प्रशिक्षण

2012-13 के दौरान आई टी पी ओ के निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया। तथापि निदेशक संस्थान की संकाय ने 25 जून 2013 को पहले प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया था। इसके बाद 23 अगस्त 2013 को दूसरे सत्र का आयोजन किया गया जिसमें हाल ही में पारित कम्पनी बिल 2012 का बोर्ड रूम पर पड़ने वाले प्रभावों पर फोकस गया है।

10. व्हीसिल ब्लोअर पालिसी

आई टी पी ओ ने अपनी व्हीसिल ब्लोअर नीति बनायी है जिसको अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी ने ऐसे सम्भावित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिनको दिनचर्या में उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है उनकी पहचान करने के लिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया। इस विभाग ने 745 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जिनको व्हीलचेयर या तिपहिया साइकिल और ब्रेलस्टिक और स्लेट की आवश्यकता थी। इनकी सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए आर्टिफिसीयल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, कानपुर से उपकरणों एवं सहायक उपकरणों की खरीद की।

इनके अलावा कम्पनी ने समाज कल्याण विभाग को चार अम्बुलेंस उपलब्ध करायी। दिल्ली सरकार की समाज कल्याण मंत्री प्रो. किरण वालिया ने सभी सहायक सामग्री तथा उपकरणों तथा चार अम्बुलेंसों को लाभार्थियों को प्रदान किया।

ह./-
(रीता मेनन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. 00543058

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 सितम्बर 2013

अनुबंध-V

कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन,
नई दिल्ली

हमने, सरकारी उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (डीपीई) द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सरकारी उद्यम 2010 के कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा उनके अन्तर्गत उल्लिखित अनुबंध में यथाविहित रूप में, 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के कार्पोरेट गवर्नेंस की सभी शर्तों के अनुपालन में जांच कर ली है।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कम्पनी द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यथाविहित रूप में कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उनके बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यथाविहित रूप में कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया।

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो कम्पनी की भावी जीवन क्षमता और न ही उसकी कार्यकुशलता और उस प्रभावकारिता का आश्वासन है जिससे प्रबन्ध ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./-
(डा. एस. चन्द्रशेखरन)
वरिष्ठ साझीदार
(सदस्यता संख्या एफ सी एस 1644, सीपी 715)

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 08.10.2013

अनुबंध-VI

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आई टी पी ओ की समृद्धि- एक दृष्टि

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के परिचालनों से, मौद्रिक वर्ष 2011-12 के 183.03 करोड़ रुपये के मुकाबले और वर्ष 2010-11 वित्तीय मौद्रिक वर्ष के 70.87 करोड़ रुपये के मुकाबले 152.29 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ। ये आंकड़े पिछले 2 मौद्रिक वर्षों अर्थात् 2011-12 और 2010-11 की तुलना में क्रमश: 16.79 प्रतिशत की गिरावट और 114.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान सृजित आय के कुल आंकड़े 2011-12 के 373.80 करोड़ रु. और वर्ष 2010-11 के 305.12 करोड़ रु. के मुकाबले 336.58 करोड़ रु. है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित इस कम्पनी के ज्ञापन और संस्था की नियमावली के अनुसार कोई लाभांश देय नहीं है । अत: व्यय के मुकाबले आय की इस अधिक राशि 152.29 करोड़ रुपये को कम्पनी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु उपयोग करने के लिए आरक्षित और अधिशेष लेखा में अग्रेषित किया गया है।

भावी संभावनाएं

कम्पनी की योजना वर्ष 2013-14 के दौरान 100 करोड़ रुपये का निवल अधिशेष अर्जित करने की है। यह इस आशा पर आधारित है कि सकल बिक्री बढ़कर 225.00 करोड़ रुपये हो जायेगी और 104.00 करोड़ रुपये का सकल लाभ होगा।

कम्पनी का प्रस्ताव है कि प्रगति मैदान को चरणबद्ध ढंग से एक आधुनिक तरीके से एकीकृत प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेन्टर के रूप में पुनर्विकसित किया जाये। इस परियोजना का पहला चरण, 2014 के आरम्भ से मध्य तक की अवधि के दौरान आरंभ किए जाने की योजना है।

यह भी कम्पनी के छवि निर्माण अभियान की ही मांग है कि कम्पनी द्वारा आयोजित सभी मेलों का पंजीकरण 2013-14 के दौरान ट्रेडमार्क पंजीयक के पास कराये जाने की आशा है।

अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों के साथ सहयोग

आईटीपीओ सदस्यता अथवा समझौता ज्ञापन जैसी सहयोगकारी व्यवस्था के जरिये व्यापार और वाणिज्य क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नैटवर्किंग कर रहा है। आईटीपीओ ने कतार के जनरल टूरिज्म एजेंसी के साथ करार पर हस्ताक्षर किये हैं। जिसके अन्तर्गत प्रकाशनों और अपने-अपने देश में दोनों पक्षों द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेलों के कैलेण्डर के आदान-प्रदान सहित एक दूसरे के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को आदान-प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय संगठनों में आईटीपीओ ने व्यापार संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग के लिए मदुरै जिला अति लघु एवं लघु उद्योग एसोसिएशन (मेडीटीसिया) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आईटीपीओ एशिया व्यापार संवर्धन मंच (केटीपीएफ) का संस्थापक सदस्य भी है और इसने मार्च 5-7 मार्च 2013 के दौरान आगरा में एटीपीफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वार्षिक बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में आईटीपीओ सहित 22 देशों के सदस्य व्यापार संवर्धन के 51 प्रतिनिधि मण्डलों ने भाग लिया और वैश्विक रूप से जुड़े बाजारों में व्यापार संवर्धन संगठनों की भूमिका विषय को 26वीं बैठक के लिए स्वीकृत विषय से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय विचार-विमर्श किया गया।

आईटीपीओ अपने कार्यकलापों के प्रकाशन के लिए और प्रगति मैदान के मेला स्तर को प्रमोट करने के लिए इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) का सदस्य भी बन गया।

कम्पनी के कार्य निष्पादन का विवरण देने वाली इस प्रबंधन विश्लेषण और चर्चा रिपोर्ट में दिये गये विवरण लागू होने वाले कानूनों और विनियमों की दृष्टि से भविष्यलक्षी हो सकते हैं। विभिन्न सरकारी नीतियों और विद्यमान आर्थिक स्थितियों के आधार पर ये परिणाम यहां अभिव्यक्त अथवा लक्षित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुबंध-VII

सचिवीय अनुपालन प्रमाण-पत्र

कम्पनी की अभिज्ञान संख्या : यू 74899 डी एल 1976 एन पी एल 008453
अंकित पूंजी: 50,00,000/- रु.

सेवा में,
सदस्यगण
मैसर्स इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान
नई दिल्ली-110001

हमने कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन मैसर्स इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (धारा 25 के अधीन गठित कम्पनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 में है, के 31 मार्च 2013 (वित्त वर्ष) को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उन रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों तथा कागजातों की जांच कर ली है जो कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) और तदन्तर्गत निर्मित नियमों और कम्पनी के ज्ञापन तथा अन्तर्नियमावली में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार रखने अपेक्षित हैं। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार एवं कम्पनी, इसके अधिकारियों और एजेन्टों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम उपर्युक्त वित्त वर्ष के बारे में यह प्रमाणित करते हैं कि :-

1. कम्पनी ने इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप सभी रजिस्टर बनाये हैं जो इस प्रमाण पत्र के **'अनुबंध-क'** में वर्णित हैं और उनमें सभी प्रविष्टियां यथोचित रूप से अंकित हैं।

2. कम्पनी ने अधिनियम एवं इसके लिए बने नियमों के अन्तर्गत यदि विलम्बित है तो अतिरिक्त शुल्क सहित निर्धारित समय के अन्दर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास इस प्रमाण पत्र के **'अनुबंध-ख'** में विहित फार्म एवं विवरणियां जमा कर दी हैं।

3. धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत होने के कारण कम्पनी के पास निर्धारित न्यूनतम प्रदत्त शेयर पूंजी जरूरी नहीं है और उक्त वित्त वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की संख्या तीन थी जिसमें इसके वर्तमान और पूर्व कर्मचारी शामिल नहीं हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने -

   (i) अपने शेयर अथवा डिबेन्चर खरीदने के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं किया है।

   (ii) अपने सदस्यों, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई जमा राशि न तो आमंत्रित की है और न ही स्वीकार की है।

4. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 5 (पांच) बैठकें क्रमश: 8 जून 2012, 27 अगस्त 2012, 21 नवम्बर 2012, 10 दिसम्बर 2012 और 27.2.2013 को हुई थी जिनके संबंध में बैठकों के समुचित नोटिस दिये गये थे और जिनकी कार्यवाही इस प्रयोजन से बनायी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से अभिलिखित है और हस्ताक्षरित की गई थी।

5. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने सदस्यों तथा डिबेंचर होल्डरों का रजिस्टर बंद करना अपेक्षित नहीं था।

6. कम्पनी के सदस्यों को नोटिस देकर, 31.3.2012 को समाप्त वित्त वर्ष की 35वीं वार्षिक आम बैठक 21 नवम्बर 2012 को आयोजित हुई थी और उसमें पारित प्रस्तावों को इस प्रयोजन के लिए रखी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में यथोचित रूप से रिकार्ड किया गया था। वार्षिक आम बैठक की तिथि बढ़ाने के लिये आवश्यक स्वीकृति अधिनियम के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार से उसके पत्र दिनांक 17.09.2012 द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी।

7. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गयी।

8. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण इस पर अधिनियम की धारा 295 लागू नहीं होती।

9. वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कम्पनी ने कोई ऐसी संविदा नहीं की है जो इस अधिनियम की धारा 297 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती हो।

10. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गये रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर ली हैं।

11. चूंकि ऐसे कोई मामले नहीं थे जो कम्पनी अधिनियम की धारा 314 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों, अत: कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशक मण्डल से, उसके सदस्यों अथवा केन्द्र सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

12. इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर प्रमाण पत्रों की कोई दूसरी प्रतिलिपि जारी नहीं की है।

13. कम्पनी ने :

(i) समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शेयरों के अन्तरण के लिये अवस्थिति संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की सुपुर्दगी कर दी है। वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का आबंटन नहीं किया है।

(ii) चूंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित है, अत: इसे अपने सदस्यों को कोई लाभांश देना मना है और इस प्रकार इसको अलग बैंक खाते में कोई राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं थी।

(iii) चूंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित है और इस प्रकार इसे अपने सदस्यों को किसी लाभांश का भुगतान करना मना है, अत: कम्पनी को अपने किसी भी सदस्य को वारन्ट पोस्ट करना आवश्यक नहीं है।

(iv) अदत्त लाभांश खाते, वापसी देय एप्लिकेशन मनी, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर तथा उस पर उद्भूत ब्याज जिसका सात वर्ष से दावा न किया गया हो अथवा भुगतान न किया गया हो, की राशि का अन्तरण निवेशक शिक्षा एवं बचाव फण्ड में कर दिया है।

लागू नहीं होता

(v) कम्पनी अधिनियम की धारा 217 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत् गठन किया गया है और निदेशकों की नियुक्ति कम्पनी की नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गयी है।

15. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण, इस कम्पनी पर प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 269 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई भी थोक विक्रेता एजेंट नियुक्त नहीं किये हैं। सरकारी कम्पनी होने के करण कम्पनी पर अधिनियम 1956 की धारा 294 एवं 294 क क के उपबंध लागू नहीं होते।

17. कम्पनी ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत विहित रूप में दिनांक 17.9.2012 के अपने पत्र द्वारा 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय बढ़ाने हेतु कम्पनी रजिस्ट्रार की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी।

ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा, कम्पनी को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार, कम्पनी विधि परिषद्, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार और/या ऐसी अन्य अथारिटी से स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं था।

18. अधिनियम के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार निदेशकों ने निदेशक मण्डल को अन्य फर्मों / कम्पनियों में अपना हित स्पष्ट कर दिया है।

19. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं।

20. कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।

21. चूंकि कम्पनी ने कोई अधिमान शेयर या डिबेन्चर जारी नहीं किया है। अतः इस वित्त वर्ष के दौरान किसी अधिमान शेयर/डिबेंचर का मोचन नहीं किया गया है।

22. ऐसे कोई लेन-देन नहीं हुए जिससे कम्पनी को शेयरों के अन्तरण का रजिस्ट्रेशन होने तक, लाभांश के अधिकारों, राइट शेयरों, बोनस शेयरों को प्रास्थगित करने की आवश्यकता पड़ी हो।

23. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58 क और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले अनारक्षित ऋण सहित किसी भी जमा को आमन्त्रित/स्वीकार नहीं किया है।

24. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण, कम्पनी पर वित्त वर्ष के दौरान लिए गए ऋण पर अधिनियम की धारा 293(1)(घ) के उपबंध लागू नहीं होते।

25. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण इस पर अधिनियम की धारा 372 क के उपबंध लागू नहीं होते।

26. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में अवस्थित करने के लिए ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन किये हैं।

28. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

29. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

30. कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान अपने आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

31. कम्पनी अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कम्पनी के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, उसे कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और उस पर कोई जुर्माना या शास्ति नहीं लगाई गई या दंड नहीं दिया गया।

32. इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से कोई राशि प्रतिभूति के रूप में प्राप्त नहीं की है।

33. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 418 के अन्तर्गत यथापेक्षित अपने कर्मचारियों के लिए कोई पृथक भविष्य निधि न्यास का गठन नहीं किया है।

कृते चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स

ह./-
(रूपेश अग्रवाल)
पार्टनर
सी. पी. संख्या 5673,
ए सी एस संख्या 16302

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 8 अक्तूबर, 2013

अनुबंध-'क'

कम्पनी द्वारा बनाये गए रजिस्टर

सांविधिक रजिस्टर

1. सदस्यों का रजिस्टर धारा 150 के अंतर्गत
2. शेयरधारकों और समिति की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका धारा 193 के अंतर्गत
3. निदेशक मण्डल की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका धारा 193 के अंतर्गत ।
4. उन संविदाओं का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं धारा 301 के अंतर्गत ।
5. निदेशकों, प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक और सचिव का रजिस्टर धारा 303 के अंतर्गत ।
6. निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर धारा 307 के अंतर्गत

अन्य रजिस्टर

1. शेयर हस्तान्तरण रजिस्टर
2. निदेशकों का उपस्थिति रजिस्टर
3. शेयरधारकों का उपस्थिति रजिस्टर

अनुबंध 'ख'

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों को दाखिल किये गये फार्म और विवरणियां।

क्रम संख्या	फार्म संख्या	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	एस आर एन	दाखिल करने की तारीख	दाखिल करने का प्रयोजन	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया	यदि दाखिल करने में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी।
01	फार्म 32	303	बी 40744229	7.6.2013	श्री चन्द्र किशोर मिश्रा की भारत सरकार के नामिति के रूप में कम्पनी के गैर कार्यकारी नामिति निदेशक के रूप में 11.5.2012 से नियुक्ति और श्री अमरेन्द्र सिन्हा की कम्पनी के नामिती निदेशक के पद से 11.5.2012 से त्याग पत्र।	हां	लागू नहीं होता
02	फार्म 32	303	बी 43598572	18.7.2012	सुश्री अनिता अग्निहोत्री की भारत सरकार के नामिती के रूप में कम्पनी के गैर कार्यकारी नामिती निदेशक के रूप में 18.6.2012 से नियुक्ति और श्री राजन कटोच का कम्पनी के नामिति निदेशक के पद से 18.6.2012 से त्यागपत्र	हां	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	फार्म संख्या	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	एस आर एन	दाखिल करने की तारीख	दाखिल करने का प्रयोजन	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया	यदि दाखिल करने में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी।
03	फार्म 32	303	बी 5588183	22.8.2012	श्री प्रभात कुमार के भारत सरकार के नामिती के रूप में कम्पनी के गैर कार्यकारी नामिती निदेशक के रूप में 24.7.2012 से नियुक्ति और सुश्री राधिका लाल लोकेस का कम्पनी के नामिती निदेशक के पद से 24.7.2012 से त्याग पत्र	हां	लागू नहीं होता
04	**फार्म** 61	166	बी 57507188	13.9.2012	31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए धारा 166(1) के अन्तर्गत वार्षिक आम बैठक की अवधि बढ़ाने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार को आवेदन।	हां	लागू नही होता
05	**फार्म** 23	303	बी 60208675	22.10.2012	कार्यालय आदेश के अनुसरण में सुश्री रीता मेनन की नियुक्ति के लिए कम्पनी निदेशक मंडल की 3.2.2012 को हुई बैठक द्वारा पारित संकल्प का पंजीकरण	नहीं	हां

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

क्रम संख्या	फार्म संख्या	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	एस आर एन	दाखिल करने की तारीख	दाखिल करने का प्रयोजन	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया	यदि दाखिल करने में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी।
06	फार्म 23		बी 60209004	22.10.2012	श्री राजीव खेर की वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के कार्यालय आदेश संख्या ए-12022/ 05 /2006 ई 4 दिनांक 10.8. 2011 के अनुसरण में तत्काल प्रभाव से 3 माह के लिए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की 29.8.2011 को हुई बैठक में पारित संकल्प का पंजीकरण।	नहीं	हां
07	फार्म 66	383	पी 92947878	29.10.2012	31.3.2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत अनुपालन प्रमाण पत्र और 9.11.2011 को हुई वार्षिक आम बैठक।	नहीं	हां
08	फार्म 23	-	बी 63955215	15.12.2012	भारत और विदेश में मेलों, प्रदर्शनियों और कन्वेंशन से जुड़ी अथवा संबंधित सामान और सेवाओं के व्यापार संवर्धन के एमओए के उद्देश्य खण्ड में परिवर्तन	हां	लागू नहीं होता
09	फार्म 20 बी	169	पी 84499078	16.1.2013	31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी का प्रस्तुतीकरण और दिनांक 21.11.2012 को हुई वार्षिक आम बैठक।	हां	लागू नही होता

क्रम संख्या	फार्म संख्या	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	एस आर एन	दाखिल करने की तारीख	दाखिल करने का प्रयोजन	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया	यदि दाखिल करने में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी।
10	**फार्म** 23 एसी एवं एसीए – एक्स बीआरएल	220	पी 84294099	8-1-2013	31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे दाखिल करना और दिनांक 21.11.2012 को हुई वार्षिक आम बैठक	हां	लागू नही होता
11	**फार्म** 32	303	बी 68224898	18.2.2013	श्री नीरज कुमार गुप्ता के कार्यकाल की 25.10.2012 से समाप्ति	नहीं	हां
12	**फार्म** 32	303	बी 68314780	19.2.2013	श्री असित कुमार त्रिपाठी की 2.11.2012 से निदेशक के रूप में नियुक्ति	नहीं	हां
13	**फार्म** 32	303	बी 68520618	21.2.2013	श्री मलय श्रीवास्तव को 24.1.2013 से पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और असित कुमार त्रिपाठी के कार्यकाल की 24.1.2013 से समाप्ति।	हां	लागू नहीं होता
14	**फार्म** 66	383	क्यू 06419501	01.02.2013	31.3.2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाण पत्र और दिनांक 12.11.2012 को हुई वार्षिक आम बैठक	नहीं	हां

आई आई टी एफ 2012 में विदेशी मण्डप का दृश्य

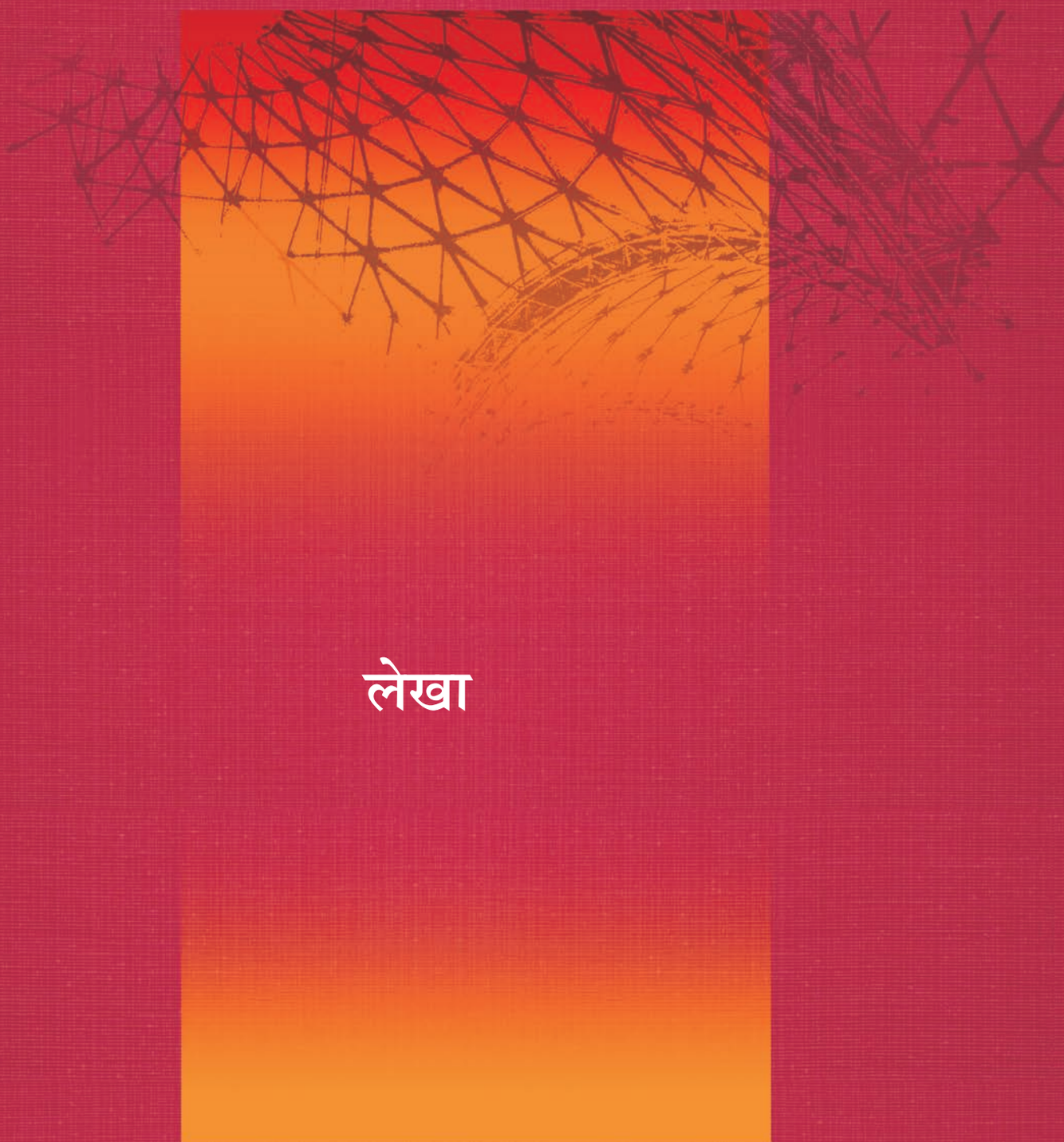

लेखा

आई टी पी ओ द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के लिए आयोजित थीम एरिया इन्सपायर 2012

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	नोट	31.3.2013 को यथास्थिति	31.3.2012 को यथास्थिति
I इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयर धारकों के फंड			
(क) शेयर पूंजी	3	25,00,000	25,00,000
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	4	11,12,66,50,352	9,60,37,11,301
		11,12,91,50,352	9,60,62,11,301
(2) गैर-चालू देयताएं			
(क) अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	3,54,67,194	5,01,08,519
(ख) दीर्घवधि प्रावधान	6	51,96,41,939	48,21,14,554
		55,51,09,133	53,22,23,073
(3) चालू देयताएं			
(क) ट्रेड पेएबल	7	13,03,06,531	15,54,77,483
(ख) अन्य चालू देयताएं	8	66,84,55,179	58,43,04,349
(ग) अल्पावधि प्रावधान	9	31,37,66,924	27,14,37,077
		1,11,25,28,634	1,01,12,18,909
कुल		**12,79,67,88,119**	**11,14,96,53,283**
II. परिसम्पत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसम्पत्तियां			
(क) स्थाई परिसम्पत्तियां	10		
(i) मूर्त परिसम्पत्तियां		54,56,92,339	58,00,23,073
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां		25,33,742	–
(iii) पूंजीकृत कार्य प्रगति पर		5,41,98,747	83,68,781
(iv) विकास के अन्तर्गत मूर्त परिसम्पत्तियां		62,00,000	–
		60,86,24,828	58,83,91,854
(ख) गैर-चालू निवेश	11	12,20,51,250	12,20,51,250
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	12	14,55,54,821	16,97,00,826
(घ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	13	3,75,34,195	4,05,68,383
		30,51,40,266	33,23,20,459
(2) चालू परिसम्पत्तियां			
(क) चालू निवेश	14	24,01,212	22,24,267
(ख) ट्रेड रिसिएबल	15	9,12,51,633	11,05,80,059
(ग) नकद एवं बैंक शेष	16	9,72,17,51,959	8,29,99,96,053
(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	17	1,61,23,65,886	1,36,09,61,712
(ङ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	18	45,52,52,335	45,51,78,879
		11,88,30,23,025	10,22,89,40,970
कुल		**12,79,67,88,119**	**11,14,96,53,283**

महत्त्वपूर्ण गणना नीतियां — 2

अनुषंगी टिप्पणियां वित्तीय ब्यौरों के अभिन्न अंग हैं।

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(पी.सी. शर्मा)	**(बी.एल. मीणा)**	**(मलय श्रीवास्तव)**	**(रीता मेनन)**
वरि. महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव	विशेष कार्याधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते किशोर ऐण्ड किशोर
चार्टरित लेखाकार

ह./–
(अंशु गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 077891
एफ आर एन 000291 एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.08.2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय ब्यौरों का विवरण

(राशि रुपये में)

	विवरण	नोट	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए
I	**आय**			
	संचालन से राजस्व	**19**	2,22,55,00,714	2,73,18,65,507
	अन्य आय	**20**	1,11,08,89,664	96,50,56,501
	कुल आय		**3,33,63,90,378**	**3,69,69,22,008**
II	**व्यय**			
	कर्मचारी हित व्यय	**21**	98,86,32,949	1,00,54,08,535
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**22**	4,71,94,129	4,38,00,668
	अन्य व्यय	**23**	80,70,78,868	85,55,02,822
	कुल व्यय		**1,84,29,05,946**	**1,90,47,12,025**
III	**अपवादात्मक, पिछली अवधि, विशेष मदों और कर से पहले आय से अधिक व्यय**		**1,49,34,84,432**	**1,79,22,09,983**
	पिछली अवधि का समायोजन (निवल)	**24**	10,40,573	(29,29,819)
	अपवादात्मक मदें	**25**	2,84,14,046	4,10,30,622
IV	**कर से पूर्व आय से अधिक व्यय**		**1,52,29,39,051**	**1,83,03,10,786**
V	**कर संबंधी व्यय**	**31**	-	-
VI	**अवधि के लिए आय से अधिक व्यय**		**1,52,29,39,051**	**1,83,03,10,786**
VII	100 रु. प्रति इक्विटी शेयर से आय	**26**		
	(1) मूल		60,918	73,212
	(2) कमी		60,918	73,212

महत्त्वपूर्ण गणना नीतियां 2

अनुषंगी टिप्पणियां वित्तीय ब्यौरों के अभिन्न अंग हैं।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(पी.सी. शर्मा)	**(बी.एल. मीणा)**	**(मलय श्रीवास्तव)**	**(रीता मेनन)**
वरिष्ठ महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव	विशेष कार्याधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते किशोर ऐण्ड किशोर
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(अंशु गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 077891
एफ आर एन 000291 एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.08.2013

31.03.2013 को समाप्त वर्ष का कैश-फ्लो विवरण

(राशि रुपये में)

		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का	
क.	**परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो**				
	कर एवं असाधारण मदों से पूर्व व्यय से अधिक आय		1,52,29,39,051		1,83,03,10,786
	समायोजन: निम्नलिखित मदों के लिए				
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	4,71,94,129		4,38,00,668	
	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई लाभ	(97,388)		(4,68,489)	
	ब्याज एवं लाभांश से हुई आय	(96,48,00,069)		(75,52,94,891)	
	प्रावधान	5,27,56,037		13,70,05,682	
	ऐसे प्रावधान/देयताएं जो अब अपेक्षित नहीं हैं	(2,84,14,046)		(4,10,30,622)	
	बट्टेखाते में डाली गयी परिसम्पत्तियां	-	(89,33,61,337)	10,138	(61,59,77,514)
			62,95,77,714		1,21,43,33,272
	कार्यशील पूंजी विनियम से पूर्व परिचालन लाभ				
	अन्य दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी	(1,46,41,325)		3,45,68,800	
	दीर्घावधि प्रावधानों में वृद्धि/कमी	3,75,27,385		6,15,52,526	
	ट्रेड देय में वृद्धि/कमी	(2,51,70,952)		(39,34,56,024)	
	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/कमी	8,41,50,830		55,93,113	
	अल्पावधि प्रावधानों में वृद्धि/कमी	4,23,29,847		5,62,71,287	
	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि/कमी	2,41,46,005		(3,13,45,541)	
	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि/कमी	30,34,188		(13,18,675)	
	ट्रेड प्राप्य मे वृद्धि/कमी	1,93,28,426		(85,52,803)	
	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि/कमी	(30,03,70,053)		61,66,523	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि/कमी	(38,63,614)		(13,01,88,807)	
	ऐसे प्रावधान/देयताएं जो अब अपेक्षित नहीं हैं	2,84,14,046	(10,51,15,217)	4,10,30,622	(35,96,78,979)
	संचालनशील गतिविधियों से निवल कैश (क)		52,44,62,497		85,46,54,293
ख.	**निवेशी गतिविधियों से कैश फ्लो**				
	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	(6,81,85,212)		(3,72,386)	
	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	8,55,497		5,35,714	
	निवेश एवं इंटरकारपोरेट जमा	(1,76,945)		(65,01,68,426)	
	ब्याज एवं लाभांश से आय	96,48,00,069		75,52,94,891	
	निवेशी गतिविधियों से निवल नकदी (ख)		**89,72,93,409**		**10,52,89,793**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो (ग)**		**शून्य**		**शून्य**
	नकदी एवं नकदी तुल्य राशि में निवल बढ़ोत्तरी/कमी (क+ख+ग)		**1,42,17,55,906**		**95,99,44,086**
	वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		**8,29,99,96,053**		**7,34,00,51,967**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		**9,72,17,51,959**		**8,29,99,96,053**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य के संघटक				
	अपने पास विद्यमान नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		10,47,659		18,82,000
	बैंकों में बकाया - चालू एवं बचत खातों में		36,07,16,301		40,81,14,053
	बैंकों में बकाया - जमा खातों में		9,35,99,87,999		7,89,00,00,000
			9,72,17,51,959		**8,29,99,96,053**

टिप्पणी: पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था उन्हें वर्गीकृत किया गया है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(पी.सी. शर्मा)	**(बी.एल. मीणा)**	**(मलय श्रीवास्तव)**	**(रीता मेनन)**
वरिष्ठ महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव	विशेष कार्याधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के उपर्युक्त कैश फ्लो विवरण की जांच कर ली है। यह विवरण इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक-3 की शर्तों के अनुसार तैयार किया गया है तथा कम्पनी के सदस्यों को 23 अगस्त, 2013 को दी गयी हमारी रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी के तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखे पर आधारित है।

किशोर ऐण्ड किशोर
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(अंशु गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 077891
एफ आर एन 000291 एन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. सामान्य जानकारी

यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अर्न्तगत 30.12.1976 को मुख्य रूप से भारत तथा विदेश में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से भारत के व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से ट्रेड फेयर अथारिटी ऑफ इण्डिया (टीएफएआई) के रूप में स्थापित की गयी थी। बाद में 1.1.1992 को टी एफ ए आई का भूतपूर्व ट्रेड डेवलेपमेंट अथारिटी के साथ विलय हो जाने पर विलयित संगठन को 16.04.1992 को कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत स्वीकृति लेकर पुनर्नामित करके इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन कर दिया गया। यह कम्पनी भारत सरकार का शीर्ष व्यापार संवर्धन निकाय है तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है।

2. महत्त्वपूर्ण लेखा-गणना नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

(क) वित्तीय ब्यौरे तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा गणना सिद्धांतों और ऐतिहासिक लागत परम्परा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन अधिसूचित लेखा गणना मानकों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

(ख) कम्पनी निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर, अक्रुअल आधार पर लेखा गणना की मर्केन्टाइल पद्धति अपनाती है तथा आय-व्यय की महत्त्वपूर्ण मदों को मानती है:-

(i) छुट्टी यात्रा रियायत सम्बन्धी व्यय की गणना उस वर्ष में दिखायी गयी है जिस वर्ष वह लिया गया हो।

(ii) विलम्ब शुल्क की माफी, जिसमें अन्य पार्टियों की ओर से भी निपटारा हो जाने पर किये गये मामले शामिल हैं।

(iii) कार्य देर से पूरा करने के लिए ठेकेदारों से परिशोधन क्षतिपूर्ति के दावे, जब धनराशि अन्तिम तौर पर तय कर ली गयी हो एवं उस पर सहमति हो चुकी हो।

(iv) नियमित सदस्यों से प्राप्त सेवा प्रभार तथा एसोसिएट सदस्यता शुल्क। किन्तु जो सदस्यता शुल्क अग्रिम रूप में प्राप्त हुआ है, उसे उसी वर्ष में दिखाया गया है जिस वर्ष की सदस्यता के लिए हो।

(ग) सरकार से प्राप्त अनुदान को व्यय की प्रकृति के अनुसार पूंजी अथवा राजस्व खाते में दिखाया गया है। विशेष पूंजी अनुदान को विशेष परिसम्पत्तियों को लागत में घटाया गया है।

(घ) भारत एवं विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों की आय/व्यय उसी वर्ष में दिखाये गये हैं, जिस वर्ष वे आयोजित किये गये हों। लेकिन दीर्घावधि वाली ऐसी प्रदर्शनियों के मामले में जिसकी अवधि तीन माह या इससे अधिक जो दो लेखा गणना अवधि में शामिल हों और जिसकी अधिकांश अवधि बाद की अवधि में हो, ऐसे मेलों का अधिशेष/घाटा उस वर्ष में दिखाया गया है, जिस वर्ष में मेले का समापन हुआ हो।

(ङ) कम्पनी की प्रदर्शन-वस्तुओं एवं मेलों में प्रदर्शित आन्तरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय माना गया है। किन्तु भविष्य में आयोजित होने वाले मेलों में उपयोग किये जाने हेतु नयी प्रदर्शन-वस्तुओं के स्टाक को इति शेष स्टाक माना गया है।

(च) जिन मामलों में बिल प्राप्त होने हैं तथा वर्तमान वर्ष से संबंधित व्यय अभी किया जाना है उनके लिए प्रावधान अनुमानित आधार पर किया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(छ) सिविल, बिजली और बागवानी कार्य के बारे में सी पी डब्ल्यू डी के माध्यम से किया गया व्यय उनके द्वारा दिये गये लेखों के आधार पर लगाया गया है।

(ज) पिछले वर्षों से संबंधित आय एवं व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000 रु. से अधिक नहीं है, को वर्तमान वर्ष में माना गया है।

(झ) लाभांश से हुई आय को उस समय का मानकर गणना की जाती है, जब उसकी घोषणा की गई हो।

(ञ) जिन मामलों में लाइसेंस धारकों के साथ करारों की अवधि समाप्त हो गयी है, उनके बारे में देय राशि का अनन्तिम आकलन, समाप्त हो गये ठेके के आधार पर, उस मामले में अन्तिम निर्णय लिये जाने/संशोधित ठेका दिया जाने की तिथि तक किया गया है।

2.2 स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पत्तियां लागत, 'प्राप्त अनुदानों' अथवा 'संचित मूल्यह्रास' और मूल्य में हुई कमी पर बतायी गयी है।

2.3 मूल्यह्रास

(क) 5000 रु. अथवा उससे कम लागत वाली अलग-अलग परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से लगाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का आकलन, प्रबन्धन द्वारा निर्धारित दरों पर परिवर्धन/विलोपन के माह से/तक प्रोरेटा आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया गया है। ये दरें कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित दरों से कम नहीं है।

(ग) स्थायी पट्टा आधार पर प्राप्त पट्टे वाली जमीन का परिशोधन नहीं किया जा रहा है।

2.4 अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां

आन्तरिक रूप से उपार्जित या विकसित साफ्टवेयर की लागत को आस्थगित रूप से राजस्व व्यय माना गया है तथा जिस वर्ष में साफ्टवेयर प्रयोग के लिए उपलब्ध हुआ है उस वर्ष से तीन वर्षों की अवधि में समान रूप से बट्टे-खाते में डाला गया है।

2.5 निवेश

वर्तमान निवेश, कम लागत तथा बाजार मूल्य पर किये गये हैं। दीर्घावधि निवेश, लागत में दिखाये गये हैं। दीर्घावधि निवेशों के मूल्यों में कमी का प्रावधान तभी तय किया गया है जब मूल्य में कमी प्रबन्धन के विचार से अस्थायी से इतर हो।

2.6 कर्मचारियों के हितलाभ

ग्रेच्युटी तथा छुट्टियों के नगदीकरण हेतु देयताओं का प्रावधान इस विषय में संगठन के नियमों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के अन्त में एक्चुरिअल मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

2.7 चालू परिसम्पत्तियां

(क) विविध-देनदारी तथा अग्रिम के लिए तीन वर्ष से अधिक अवधि से बाकी देयताओं के बारे में सन्दिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान निवल, अथवा जिन मामलों में कम्पनी को वसूली की आशा है, उनको छोड़कर अन्यथा बताये गये हैं।

(ख) परिसम्पत्ति-सूची का मूल्य, न्यूनतम लागत एवं निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

2.8 विदेशी मुद्राएं

(क) चालू परिसम्पत्तियां एवं चालू देयताएं तुलन-पत्र की तिथि को लागू विनिमय-दर बतायी गयी हैं तथा उसके पारिणामिक अन्तर को मुद्रा विनिमय में लाभ अथवा हानि के रूप में दिखाया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(ख) विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन-देन से सम्बन्धित आय एवं व्यय की मदें, विदेश भेजी गयी धनराशि की औसत दर पर बतायी गयी है।

(ग) स्थायी परिसम्पत्तियां जिस वर्ष में प्राप्त की गई थी उस वर्ष की रेमिटेंस की औसत दर पर बतायी गयी है। यदि पहले के फण्डों का उपयोग हो गया हो तो मुद्रा विनिमय का प्रयोजन हेतु पिछली प्रेषित धनराशि की औसत दर ली गयी है।

3. शेयर पूंजी

	31.3.2013 को (रुपये)	31.3.2012 को (रुपये)
प्राधिकृत पूंजी 100 रुपये प्रति शेयर की दर से 50000 इक्विटी शेयर	50,00,000	50,00,000
जारी की गयी, अभिदत्त और पूर्णत: प्रदत्त 100 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्णत: प्रदत्त 25000 इक्विटी शेयर	25,00,000	25,00,000
	25,00,000	**25,00,000**

(क) रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में और उसकी समाप्ति पर बकाया शेयरों का निपटारा

	31.3.2013 को	
	शेयरों की संख्या	**(रुपये)**
इक्विटी शेयर		
अवधि के आरम्भ में	25,000	25,00,000
वर्ष के दौरान जारी किये गये	-	-
अवधि के अन्त में बकाया	25,000	25,00,000

(ख) इक्विटी शेयरों के साथ जुड़ी शर्तें / अधिकार

कम्पनी के पास 100 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारी प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। चूंकि यह कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित कम्पनी है। इसमें लाभांश, बोनस शेयरों या अन्यथा रुपये अपने सदस्यों को कम्पनी के अधिशेष, यदि कोई हो, या अन्य आय का वितरण करने की मनाही है।

कम्पनी के बंद किये जाने या विघटित किये जाने की स्थिति में यदि सभी ऋणों और देयताओं के भुगतान और सरकार को मूल पूंजी वापस किये जाने के बाद कोई भी सम्पत्ति बचती है तो उसे कम्पनी के सदस्यों में वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि कम्पनी के लक्ष्यों के समान लक्ष्यों वाली कम्पनी को, कम्पनी के विघटन के समय या उसके पूर्व कम्पनी के सदस्यों द्वारा निर्धारित रुपये अथवा ऐसा न होने पर, मामले की अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रुपये दे दिया जाएगा या अन्तरित कर दिया जाएगा ।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(ग) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों वाले शेयर धारकों का ब्यौरा

	31.3.2013 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
पूर्णतः प्रदत्त 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर		
– भारत सरकार	25,000	100

4. आरक्षित एवं अधिशेष

	31.3.2013 को (रुपये)	31.3.2012 को (रुपये)
आरक्षित पूंजी		
(क) भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान (पूरी तरह उपयोग कर लिया)*		
-पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	62,90,83,618	62,90,83,618
-वर्ष के दौरान जुड़ी राशि	-	-
-समायोजन/कटौतियां	-	-
इतिशेष	62,90,83,618	62,90,83,618
(ख) अन्य आरक्षित राशि**		
-पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	71,21,985	71,21,985
-वर्ष के दौरान जुड़ी राशि	-	-
-समायोजन/कटौतियां	-	-
इतिशेष	71,21,985	71,21,985
आय एवं व्यय लेखा के अनुसार अधिशेष/घाटा		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	8,96,75,05,698	7,13,71,94,912
जोड़ें: वर्ष का अधिशेष	1,52,29,39,051	1,83,03,10,786
इतिशेष	10,49,04,44,749	8,96,75,05,698
	11,12,66,50,352	**9,60,37,11,301**

*49,65,61,618 रुपये की अनिर्दिष्ट ग्रान्ट शामिल हैं।

**कम्पनी में विलय किये गये संगठनों की देयताओं से अधिक परिसम्पत्तियां और उनकी अर्जन लागत आदि के मुकाबले परिसम्पत्तियों की बिक्री से वसूल हुई अधिक राशियां दर्शाती हैं।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

	31.3.2013 को (रुपये)	31.3.2012 को (रुपये)
अन्य		
अग्रिम प्राप्त आय	3,54,67,194	5,01,08,519
	3,54,67,194	**5,01,08,519**

6. दीर्घावधि प्रावधान

	31.3.2013 को (रुपये)	31.3.2012 को (रुपये)
कर्मचारियों के हित लाभों के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी 34)		
-ग्रेच्यूटी	36,26,00,882	33,11,80,791
-छुट्टी नकदीकरण	15,70,41,057	15,09,33,763
	51,96,41,939	**48,21,14,554**

7. ट्रेड पेयएबल

	31.3.2013 को (रुपये)	31.3.2012 को (रुपये)
ट्रेड पेयेबल#	13,03,06,531	15,54,77,483
	13,03,06,531	**15,54,77,483**

 # सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यमों को देय

ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु तथा मझौला उद्यम नहीं है जिसकी ओर 31 मार्च, 2013 को कोई राशि देय हो। सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उद्घटित किये जाने के लिए अपेक्षित यह सूचना कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है।

8. अन्य चालू देयताएं

	31.3.2013 को (रुपये)	31.3.2012 को (रुपये)
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	27,88,36,916	19,03,44,000
सिक्योरिटी जमा	3,44,45,362	3,07,78,645
अग्रिम अदायगी और जमा	20,73,16,262	19,22,84,721
कर्मचारियों को देय हितलाभ	4,80,67,303	6,69,80,875
सांविधिक देय	2,85,06,255	4,95,75,267
अन्य देय	7,12,83,081	5,43,40,841
	66,84,55,179	**58,43,04,349**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

9. अल्पावधि प्रावधान

	31.3.2013 को (रुपये)	31.3.2012 को (रुपये)
(क) कर्मचारियों के हितलाभ के लिये प्रावधान		
-ग्रेच्युटी (देखें टिप्पणी 34)	4,15,14,201	3,38,78,595
-छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 34)	2,00,23,457	1,47,07,956
-कार्य निष्पादन से संबद्ध वेतन #	23,89,93,046	19,89,93,046
(ख) अन्य		
-आकस्मिक प्रभारों का रिफंड का प्रावधान	1,32,36,220	2,38,57,480
	31,37,66,924	**27,14,37,077**

इस विषय में यह प्रावधान लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। वर्ष के दौरान आडिट बोर्ड के सदस्यों ने पाया कि दिनांक 26.11.2008 के लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीआरपी स्कीम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत इसे समाविष्ट करना कम्पनी में लागू नहीं होता है, उस लाभ को वितरित करना निषेध है। कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि 1.1.2007 से वेतनमान के संशोधन पर लोक उद्यम विभाग ने पीआरपी के भुगतान के साथ-साथ सार्वजनिक उद्यम को प्राप्त सभी लाभ लागू हैं तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उल्लिखित किया है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत समाविष्ट लोक उद्यम में लागू नहीं हैं। कम्पनी के इस दृष्टिकोण को आडिट बोर्ड के सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया। इस मामले को लोक उद्यम विभाग के पास भेजा जा रहा है। कम्पनी को उम्मीद है कि इस मामले में सम्बन्धित प्राधिकरण से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। पीआरपी योजना तैयार होने और स्वीकृत होने तक 10,27,33,416 रुपये का तदर्थ भुगतान (पिछले वर्ष के 7,75,45,924 रुपये) इस आश्वासन पर कि प्रदत्त राशि, इस विषय में हुये निर्णय के अनुसार वसूली या समायोजित कर ली जायेगी तथा "ब्याज रहित अग्रिम" योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को 31.03.2013 तक जारी किया गया।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

10. स्थायी परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल ब्लाक लागत पर			
		31.03.2012 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	कटौती/समायोजन	31.03.2013 को
(क) मूर्त परिसम्पत्तियां					
भूमि (स्थायी पट्टे पर)		74,66,715			74,66,715
प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड)		1			1
भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
'क' श्रेणी	2.50%	32,59,96,484			32,59,96,484
'ख' श्रेणी	5.00%	1,95,69,786			1,95,69,786
'ग' श्रेणी	10.00%	1,32,09,151			1,32,09,151
अनारकली फूड प्लाजा		1			1
आवासीय/कार्यालय फ्लैट	2.50%	-			-
(i) फ्रीहोल्ड		2,19,96,018			2,19,96,018
(ii) स्थायी पट्टे पर		36,46,551			36,46,551
जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज	10.00%	21,41,705			21,41,705
विद्युत संस्थापना / फिटिंग	10.00%	13,40,31,370			13,40,31,370
एयर कंडीशनिंग प्लांट	12.50%	65,57,650			65,57,650
एयर कंडीशनिंग प्लांट	6.67%	28,29,73,939	34,29,530	6,02,072	28,70,05,541
एयर कंडीशनिंग/एयर वैंटीलेशन प्लांट	10.00%	62,47,197			62,47,197
फर्नीचर और फिक्सचर	10.00%	2,47,79,759	4,04,381	-16,49,896	2,35,34,244
वाहन	20.00%	2,40,26,255		-12,84,465	2,27,41,790
दृश्य श्रव्य उपकरण	20.00%	80,01,249			80,01,249
दृश्य श्रव्य उपकरण	22.50%	5,91,264		-2	591,262
आग से बचाव के उपकरण	10.00%	3,07,46,919	38,01,316		3,45,48,235
ऑफिस उपकरण /					
अन्य विविध परिसम्पत्तियां	12.50%	6,95,97,221	5,48,948	-59,15,802	6,42,30,367
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर	17.10%	8,71,76,576	47,63,377	-83,94,177	8,35,45,776
कुल		1,06,87,55,811	1,29,47,552	-1,66,42,270	1,06,50,61,093
(ख) अमूर्त परिसम्पत्तियां					
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		7,38,437	38,00,613		45,39,050
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		83,68,781	4,98,26,083	-39,96,117	5,41,98,747
(घ) विकास के अन्तर्गत अमूर्त परिसम्पत्तियां			62,00,000		62,00,000
महायोग		**1,07,78,63,029**	**7,27,74,248**	**-2,06,38,387**	**1,12,99,98,890**
पिछले साल के आंकड़े		(1,07,90,91,459)	(4,52,18,803)	(-4,64,47,233)	(1,07,78,63,029)

1) 5,000 रुपये अथवा उससे कम मूल्य की परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास रु. 36,952 (रु. 4,11,950) है जो अलग-अलग 100 प्रतिशत की दर से लगाया गया है।

2) स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2013 को एक व्यावसायिक फर्म ने किया था। भौतिक सत्यापन की फाइनल रिपोर्ट जुलाई 2013 में प्राप्त हुई थी। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और बुक बैलेंस में विसंगतियों के बारे में पुनर्मिलान किया जा रहा है। इस तरह परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो, इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

3) व्यावसायिक फर्म द्वारा की गयी स्टडी के आधार पर लेखा मानक-28 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2013 को विद्यमान परिसम्पत्तियों में हानि होने का कोई भी मामला नहीं बनता।

4) परिसम्पतियां लागत 1,40,91,119 रुपये- गैर प्रयोज्य सामग्री के अलावा वर्ष के दौरान नीलामी अवज्ञा मूल्य 6,60,199 रुपये था। परिसम्पतियां की पृथक मदों की बिक्री मूल्य निश्चित नहीं है, नीलामी के समय अवज्ञा मूल्य परिसम्पतियों के बिक्री मूल्य को लिया गया।

(राशि रुपये में)

मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
31.03.2012 तक	कटौती/ समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2013 तक	31.03.2013 को यथास्थिति	31.03.2012 को यथास्थिति
				74,66,715	74,66,715
				1	1
14,34,71,735		78,56,700	15,13,28,435	**17,46,68,049**	18,25,24,749
97,01,816		8,39,752	1,05,41,568	**90,28,218**	98,67,970
42,37,027		9,66,133	52,03,160	**80,05,991**	89,72,124
				1	1
54,48,398		5,22,404	59,70,802	**1,60,25,216**	1,65,47,620
24,24,944		86,605	25,11,549	**11,35,002**	12,21,607
20,34,624			20,34,624	**1,07,081**	1,07,081
10,98,43,056		21,37,790	11,19,80,846	**2,20,50,524**	2,41,88,314
29,53,038		4,18,306	33,71,344	**31,86,306**	36,04,612
3,59,06,288		1,82,17,305	5,41,23,593	**23,28,81,948**	24,70,67,651
58,65,366		69,470	59,34,836	**3,12,361**	3,81,831
2,04,86,286	-15,99,318	5,94,846	1,94,81,814	**40,52,430**	42,93,473
1,99,64,205	-12,20,243	9,73,206	1,97,17,168	**30,24,622**	40,62,050
71,74,824		1,80,015	73,54,839	**6,46,410**	8,26,425
5,61,838			5,61,838	**29,424**	29,426
80,24,255		32,51,989	1,12,76,244	**2,32,71,991**	2,27,22,664
3,91,89,828	-44,91,624	48,54,019	3,95,52,223	**2,46,78,144**	3,04,07,393
7,14,45,210	-79,80,057	49,58,718	6,84,23,871	**1,51,21,905**	1,57,31,366
48,87,32,738	-1,52,91,242	4,59,27,258	51,93,68,754	**54,56,92,339**	58,00,23,073
7,38,437		12,66,871	20,05,308	**25,33,742**	-
				5,41,98,747	83,68,781
			-	**62,00,000**	-
48,94,71,175	**-1,52,91,242**	**4,71,94,129**	**52,13,74,062**	**60,86,24,828**	**58,83,91,854**
(44,71,93,960)	(-15,23,453)	(4,38,00,668)	(48,94,71,175)	(58,83,91,854)	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

11. गैर-चालू निवेश (लागत पर)

	31.03.2013 को (रुपये में)	31.03.2012 को (रुपये में)
(क) व्यापार निवेश		
उद्धरण		
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (संयुक्त उद्यम कम्पनी) में पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक 100 रुपये मूल्य के 2,00,000 इक्विटी शेयर	2,00,00,000	2,00,00,000
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (अनुषंगी कम्पनी) में पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक 1,000 रुपये मूल्य के 51 इक्विटी शेयर	51,000	51,000
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (अनुषंगी कम्पनी) में पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक 1,000 रुपये मूल्य के 2,550 इक्विटी शेयर	25,50,000	25,50,000
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (अनुषंगी कम्पनी) में प्रत्येक 1,000 रुपये मूल्य के 99,450 इक्विटी शेयर, आबंटन पूर्व आवेदन राशि	9,94,50,000	9,94,50,000
	12,20,51,000	12,20,51,000
(ख) अन्य		
उद्धरण		
सी-ग्लिम्प्स कार्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी, मुम्बई में प्रत्येक 50 रुपये के 5 शेयर।	250	250
	12,20,51,250	**12,20,51,250**
(i) उद्धरण निवेश की समग्र राशि,	12,20,51,250	12,20,51,250
(ii) निवेश के मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	शून्य	शून्य

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

12. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम / (असुरक्षित और जब तक अन्यथा घोषित न हो, ठीक समझे गये)

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
पूंजी अग्रिम	4,53,47,082	6,12,39,242
ऋण एवं अग्रिम		
के टी पी ओ- अनुषंगी कम्पनी को दिया गया अग्रिम (देखें टिप्पणी 29 क)	7,73,76,950	7,73,76,950
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम #	1,85,42,447	2,72,09,082
पूर्व प्रदत्त व्यय	2,38,133	
विविध जमा	54,09,492	52,33,872
घटाएं: विविध संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	(13,59,283)	(13,58,320)
	40,50,209	38,75,552
	14,55,54,821	**16,97,00,826**
# इसमें सम्मिलित हैं:-		
(क) निदेशकों से देय	शून्य	शून्य
(ख) ऋण के रूप में अधिकारियों से देय	7,90,000	14,29,420
(ग) पूर्णत: सुरक्षित - निजी गारण्टी पर सुरक्षित	1,85,42,447	2,72,09,082

13. अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां (सुरक्षित और जब तक अन्यथा घोषित न हो, ठीक समझे गये)

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
अन्य		
कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	3,75,34,195	4,05,68,383
	3,75,34,195	**4,05,68,383**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

14. चालू निवेश

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
उद्धृत (लागत पर)		
पुनर्निवेश योजना के अन्तर्गत यूटीआई बैलेन्स फंड स्कीम में प्रत्येक 10 रुपये मूल्य की 1,85,096 यूनिटें (पिछले वर्ष 1,76,945 यूनिटें)	24,01,212	22,24,267
	24,01,212	**22,24,267**
(i) उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	40,23,432	37,03,459
(ii) निवेश के मूल्य में कमी के लिये समग्र प्रावधान	शून्य	शून्य

15. ट्रेड रिसीवेबल (असुरक्षित तथा जब तक अन्यथा घोषित न हो, ठीक समझे गये)

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
भुगतान के लिये देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक अवधि से बकाया		
-ठीक समझे गये	3,90,30,410	5,02,41,001
-संदिग्ध माने गये	15,44,14,828	16,05,25,643
	19,34,45,238	21,07,66,644
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिये प्रावधान	(15,44,14,828)	(16,05,25,643)
	3,90,30,410	5,02,41,001
भुगतान के लिये देय होने की तारीख से छः महीने से कम की अवधि के लिये बकाया		
-ठीक समझे गये	5,22,21,223	6,03,39,058
-संदिग्ध माने गये	-	4,83,176
	5,22,21,223	6,08,22,234
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	-	(4,83,176)
	5,22,21,223	6,03,39,058
	9,12,51,633	**11,05,80,059**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

16. नकदी और बैंक बैलेंस

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
नकदी तथा नकदी समतुल्य		
-बैंकों में चालू / बचत खातों में बकाया #	36,07,16,301	40,81,14,053
-मूलत: 3 महीने की परिपक्वता तक की बैंक जमा	20,00,00,000	25,00,00,000
-अपने पास ड्राफ्ट / चैक	2,05,832	9,26,467
-अपने पास नकदी	5,53,419	7,70,844
-पोस्टेज अग्रदाय	1,05,986	64,701
-मार्गस्थ प्रेषित	-	1,19,988
-अपने पास स्वर्ण मुद्रा	1,82,422	-
	56,17,63,960	**65,99,96,053**
अन्य बैंक बैलेंस		
- 3 महीने से अधिक लेकिन मूलत: 12 महीने तक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	8,80,99,87,999	4,92,00,00,000
- 12 महीने से अधिक तक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	35,00,00,000	2,72,00,00,000
	9,72,17,51,959	**8,29,99,96,053**
# इसमें शामिल हैं:-		
(i) विदेशों में पड़ी बकाया राशि	21,48,383	18,54,059
(ii) उपर्युक्त (i) में से तारीख को अपुष्ट तुलनपत्र	शून्य	4,82,715

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

17. अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम (असुरक्षित और जब तक अन्यथा घोषित न हो, ठीक समझे गये)

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
अनुषंगी कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम		
-टी एन टी पी ओ	2,93,427	9,74,426
-के टी पी ओ	61,27,732	58,79,121
अन्य		
कर्मचारियों को अग्रिम #	12,13,25,832	9,94,98,293
पार्टियों को अग्रिम	11,85,14,398	12,04,41,245
	23,98,40,230	21,99,39,538
घटायें: संदिग्ध अग्रिमों के प्रावधान	(56,85,749)	(58,81,534)
	23,41,54,481	21,40,58,004
वसूली योग्य सेवा कर	-	69,19,185
वसूली योग्य आय कर / टी डी एस	66,70,44,915	38,02,40,592
घटायें: टीडीएस के संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान	(4,88,38,000)	-
	61,82,06,915	38,02,40,592
पूर्व प्रदत्त व्यय	35,83,331	28,90,384
इंटरकारपोरेट जमा	75,00,00,000	75,00,00,000
	1,61,23,65,886	**1,36,09,61,712**
# इसमें सम्मिलित हैं:-		
(क) निदेशकों से देय	शून्य	10,620
(ख) ऋण के रूप में अधिकारियों से देय	8,78,000	12,28,490
(ग) निजी गारंटी पर पूर्णत: सुरक्षित / सुरक्षित	1,07,15,305	1,22,33,866

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

18. अन्य चालू परिसम्पतियां (असुरक्षित तथा जब तक अन्यथा घोषित न हो, ठीक समझे गये)

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
भारत सरकार से वसूलीयोग्य अनुदान	19,52,41,306	24,11,52,670
घटायें: संदिग्ध अनुदान वसूली के लिये प्रावधान	(13,92,83,664)	(13,70,04,537)
	5,59,57,642	10,41,48,133
जमा राशि पर प्रोदभूत ब्याज / जमा	39,16,81,249	33,53,48,970
कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	36,76,530	26,90,182
उपभोज्य सामान (लागत पर मूल्यांकन किया गया)	9,80,467	7,93,120
विदेश स्थित भारतीय मिशनों से देय	22,83,710	1,01,14,806
जमा संबंधी निर्माणकार्यों के बारे में पाटियों से देय	45,71,920	44,71,820
घटायें: सदिंग्ध देय राशियों के लिए प्रावधान	(38,99,183)	(23,88,152)
	6,72,737	20,83,668
	45,52,52,335	**45,51,78,879**

19. परिचालनों से राजस्व

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
स्थान का किराया (निवल) #	1,99,68,79,216	2,45,02,96,183
प्रवेश टिकटों / सीजनल पासों की बिक्री	7,09,04,290	11,04,96,914
प्रकाशनों की बिक्री	6,78,100	5,94,691
फिल्मों के टिकटों की बिक्री (निवल)	-	18,72,632
विज्ञापन (प्रकाशनों में)	28,74,243	24,70,828
होल्डिंगें	3,78,46,191	2,91,08,542
अभिदान शुल्क	12,01,492	16,43,282
प्रदान की गयी विभिन्न सेवाओं के लिए वसूली	3,13,69,876	2,54,32,412
विद्युत एवं जल प्रभार की वसूली	8,37,47,306	10,99,50,023
	2,22,55,00,714	**2,73,18,65,507**

ए एस - 9 के अनुसार वर्ष के लिए 1,97,01,000 रुपये की राशियों को आय नहीं माना गया है । (31.03.2013 तक संचयी 25,16,54,158 रुपये) क्योंकि इसके बारे में दोनों पक्षों द्वारा आपत्ति की जा रही है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

20. अन्य आय

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
निम्नलिखित ब्याज		
-बैंक जमा	87,41,24,856	68,10,48,374
-आयकर वापसी	1,98,73,069	60,19,462
-कर्मचारियों को अग्रिम	32,31,408	42,21,004
-अन्य	6,73,93,790	6,38,37,625
	96,46,23,123	75,51,26,465
यू टी आई से लाभांश	1,76,946	1,68,426
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	97,388	4,68,489
विनिमय में अन्तर (निवल)	15,074	47,55,259
विविध आय #	6,87,26,031	13,80,69,684
भारत सरकार से राजस्व अनुदान	7,72,51,102	6,59,18,178
पश्चिम बंगाल सरकार से राजस्व अनुदान	-	5,50,000
	1,11,08,89,664	**96,50,56,501**

इसमें तीसरे पक्ष वाले आयोजकों द्वारा आयोजन रद्द किये जाने के कारण लगाया गया 6,20,128 रुपये का शास्ति प्रभार (पिछले वर्ष 2,39,49,784 रुपये) शामिल नहीं हैं। क्योंकि यह राशि पार्टियों द्वारा जमा की गयी राशि से अधिक बैठती है। क्योंकि बकाया राशि की वसूली की संभावनाएं संदिग्ध हैं। अतः ए एस-9 के अनुसार यह राशि जब कभी वसूल होगी/ समायोजन किया जायेगा, खाते में दिखायी जाएगी।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

21. कर्मचारियों के हितलाभ संबंधी व्यय

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
वेतन, पारिश्रमिक और भत्ते #	58,90,99,301	56,22,96,141
अन्य अनुलाभ और भत्ते	8,25,88,278	8,69,61,445
चिकित्सा व्यय	6,45,06,635	6,84,70,605
कार्य निष्पादन से संबंद्ध वेतन (देखें टिप्पणी संख्या 9 की पाद टिप्पणी)	4,00,22,854	9,50,00,000
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	5,37,43,441	4,85,52,009
ग्रेच्युटी (देखें टिप्पणी 34)	8,63,20,809	6,51,80,611
छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 34)	4,93,32,248	4,57,37,937
कर्मचारी कल्याण	55,37,688	42,80,360
सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों को हर्जाना	1,33,09,556	2,56,62,272
अन्य लागत	41,72,139	32,67,155
	98,86,32,949	**1,00,54,08,535**

इसमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुग्रह राशि के कारण दी गयी 3,70,37,955 रुपये (पिछले वर्ष 4,37,19,156 रुपये) की राशि सम्मिलित है।

22. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
मूल्यह्रास	4,59,27,258	4,38,00,668
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का परिशोधन	12,66,871	–
	4,71,94,129	**4,38,00,668**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

23. अन्य व्यय

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
प्रतिभागिता प्रभार	14,67,99,410	14,13,46,750
निर्माण एवं आंतरिक सज्जा	8,06,22,624	5,85,27,336
प्रचार	3,74,71,028	3,85,24,202
माल भाड़ा, पैकिंग और उठाधरायी	3,86,030	9,00,998
सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैशन शो	7,98,260	10,54,700
यात्रा एवं वाहन व्यय [इसमें निदेशकों के संबंध में 53,54,363 रुपये (पिछले वर्ष 23,34,027 रुपये) सम्मलित हैं]	2,27,06,017	2,01,30,883
पोस्टेज, टेलीग्राम और टेलीफोन	47,25,401	58,76,921
मनोरंजन (इसमें निवेशकों के जरिये हुआ 1,25,201 रुपये (पिछले वर्ष 52,082 रुपये) का व्यय शामिल हैं।	46,91,249	37,48,132
प्रगति मैदान का रखरखाव		
-सिविल [इसमें भवन की मरम्मत पर खर्च हुआ 17,34,000 रुपये (पिछले वर्ष 4,57,649 रुपये) की राशि शामिल है]	6,20,01,733	4,74,62,465
-इलेक्ट्रिकल	7,49,16,425	7,85,44,793
-बागवानी	1,49,05,562	1,25,97,321
-कंजरवेंसी प्रबंध	2,53,83,971	2,05,57,814
बिजली और जल प्रभार	17,86,04,718	19,82,06,148
मरम्मत, नवीकरण और रखरखाव	1,73,11,065	1,09,66,642
दरें और कर	2,02,55,281	1,87,54,087
घटायें : वसूली	(12,22,951)	(12,28,616)
	1,90,32,330	1,75,25,471
पुस्तकें और पत्रिकाएं	14,13,316	8,73,895
पेंटिग और स्टेशनरी	91,74,099	71,94,707
किराया	14,42,318	13,84,777
घटायें : वसूली	(1,39,800)	(1,39,800)
	13,02,518	12,44,977

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
वाहन रख-रखाव	33,79,219	28,32,751
घटायें : वसूली	(34,863)	(22,742)
	33,44,356	28,10,009
बीमा	9,77,747	5,04,998
विज्ञापन व्यय	58,36,682	78,12,346
कमीशन	57,69,933	38,74,362
विदेशी प्रतिनिधिमंडल	55,447	7,50,933
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	81,33,048	92,46,163
सेमिनार एवं प्रशिक्षण	2,07,316	31,77,780
ब्याज	64,35,241	45,96,794
प्रतिपूर्ति	45,51,377	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	34,47,822	33,00,000
प्रावधान / बट्टे खाते में डाली गयी राशि	5,27,72,536	13,70,64,014
अन्य विविध व्यय	1,26,93,464	1,67,01,268
निदेशकों की बैठक फीस	1,10,000	30,000
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक		
-लेखा परीक्षा फीस	3,00,000	2,55,000
-कर लेखा परीक्षा फीस	80,000	95,000
-अन्य व्यय	1,18,143	-
	80,70,78,868	**85,55,02,822**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

24. पूर्व अवधि समायोजन (निवल)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
	नामे (रुपये)	जमा (रुपये)	नामे (रुपये)	जमा (रुपये)
प्रतिपूर्ति	-	-	23,516	-
बिजली एवं जल प्रभार	-	46,259	1,12,994	-
माल भाड़ा, पैकिंग एवं उठाधरायी	63,205	-	-	-
होर्डिंग विज्ञापन	-	-	6,63,600	-
कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	2,10,000	-	1,50,000	-
प्रगति मैदान का रख-रखाव-सिविल वर्क	73,600	-	-	-
विविध व्यय	-	-	2,54,286	-
विविध आय	-	-	-	1,49,283
प्रतिभागिता प्रभार	-	12,21,476	-	-
पोस्टेज, टेलीग्राम और टेलीफोन	-	-	4,19,165	-
प्रचार व्यय	1,53,648	-	2,91,709	-
किराया एवं कर	-	-	20,210	-
मरम्मत नवीनीकरण एवं रख-रखाव	77,625	-	11,14,444	-
भारत सरकार से प्राप्त राजस्व अनुदान	-	-	-	5,50,000
वेतन एवं भत्ता	-	-	2,36,221	-
स्थान किराया (निवल)	-	-	2,40,000	-
स्टाफ कल्याण	-	1,82,422	-	-
यात्रा एवं वाहन	-	1,68,494	1,02,957	-
	5,78,078	**16,18,651**	**36,29,102**	**6,99,283**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

25. अपवादात्मक मदें

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
ऐसे देयताएं / प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं हैं।	2,26,54,955	3,40,30,495
बट्टे खाते में डाले गए संदिग्ध नामे हेतु प्रावधान	57,59,091	70,00,127
	2,84,14,046	**4,10,30,622**

26. प्रति इक्विटी शेयर आय

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
कर पश्चात निवल अधिशेष	(रुपये)	1,52,29,39,051	1,83,03,10,786
इक्विटी शेयर	(संख्या)	25,000	25,000
प्रति इक्विटी शेयर सांकेतिक मूल्य	(रुपये)	100	100
प्रति शेयर मूलभूत और अवमिश्रित आय	(रुपये)	60,918	73,212

27. विदेशी मुद्रा में व्यय

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
विदेश यात्रा	59,45,402	49,68,766
मेले और प्रदर्शनियां	15,58,53,759	16,90,12,455
अन्य	2,96,996	46,277
	16,20,96,157	**17,40,27,498**

28. विदेशी मुद्रा में हुई आय

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
स्थान का किराया	14,11,04,004	10,11,25,847
अन्य प्राप्तियां	11,32,530	8,23,981
	14,22,36,534	**10,19,49,828**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

29. अनुषंगी कम्पनियां

क) आई टी पी ओ ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) के सहयोग से मिल कर दिसम्बर 2009 में 50,00,000 रुपये की शेयर पूंजी के साथ कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (केटीपीओ) की स्थापना की थी जिसमें कम्पनी का शेयर 51 प्रतिशत है। केआईएडीबी के साथ हुए समझौता के अनुसार आईटीपीओ ने 17,93,76,950 रुपये की कुल लागत से केटीपीओ के लिए एक प्रदर्शनी हाल के निर्माण के लिए सहयोग किया जिसमें 13,25,22,000 रु. का अनुदान वाणिज्य विभाग ने आईटीपीओ को दिया।

09.09.2004 को कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने के टी पी ओ की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाकर 20,00,00,000 कर दी और यह निर्णय भी किया कि प्रदर्शनी हाल में आईटीपीओ द्वारा किये गये 10,20,00,000 रुपये के सहयोग को के टी पी ओ के लिए किया गया पूंजीगत योगदान माना गया। 10,20,00,000 रुपये के अतिरिक्त प्रदर्शनी हाल के निर्माण पर व्यय की गयी, 7,73,76,950 रु. की राशि को भी के टी पी ओ को ब्याज रहित अधीनस्त ऋण माना जाना था और इस राशि की वापसी के टी पी ओ की वार्षिक समीक्षा और कैशफ्लो की स्थिति को देखते हुए की जानी थी। दोनों सह प्रवर्तकों के बीच संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तक के लिए लेखा प्रविष्टियां उपर्युक्त के अनुसार पहले के वर्षों में की गयी। आगे की लेखा प्रविष्टियां यदि कोई हों, संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने / अधीनस्थ ऋण की वसूली हो जाने पर की जायेगी।

(ख) आई टी पी ओ ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 50 लाख रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ नवम्बर 2000 में तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की स्थापना की थी जिसमें आई टी पी ओ के 51 प्रतिश्त शेयर थे। टी एन टी पी ओ की अभिदत्त पूंजी एक लाख रुपये हैं जिसमें आई टी पी ओ ने इक्यावन हजार रुपये दिये हैं। टी आई डी सी ओ के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार आई टी पी ओ ने टी एन टी पी ओ को प्रदर्शनी हाल के लिए 16,37,48,414 रुपये का लागत सहयोग दिया जिसमें से वाणिज्य विभाग ने आई टी पी ओ को 12,06,39,141 रुपये का अनुदान दिया।

वर्ष 2002-3 के दौरान सहप्रर्वतक ने राज्य सरकार द्वारा टी एन टी पी ओ को दी गयी भूमि के बंदोबस्त तथा आई टी पी ओ द्वारा निर्मित हाल की समीक्षा की। तामिलनाडु सरकार ने अपने दिनांक 3.2.2002 के जी ओ एम एस संख्या 28 के द्वारा निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष 1,00,00,000 रुपये के पट्टा किराये का भुगतान टी एन टी पी ओ द्वारा दी गयी भूमि के मद में किया जायेगा और टी एन टी पी ओ, प्रदर्शनी हाल के निर्माण पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि आई टी पी ओ को चालिस तिमाही किस्तों में वापिस करेगा जो वित्त वर्ष 2014 से आरम्भ होगी। दिनांक 3.2.2003 के जीओएमएस की निवंधन एवं शर्तें अभी कम्पनी द्वारा स्वीकार की जानी है। संशोधित निबंधन और शर्तों पर सहमति होने तक टी एन टी पी ओ द्वारा वापस किये जाने के लिए प्रस्तावित राशि की कोई भी लेखा प्रविष्टि कम्पनी की लेखाओं में नहीं की गयी है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

30. आकस्मिक देयताएं और पूंजी वचनबद्धता (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।)

	31.03.2012 को (रुपये)	31.03.2011 को (रुपये)
(क) आकस्मिक देयताएं		
कम्पनी पर किये गये दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	1,64,84,29,943	1,11,53,63,938
(ख) पूंजी सम्बंधी वचनबद्धता		
संविदाओं की अनुमानित राशि जिसे पूंजीलेखा में निष्पादित किया जाना है (अग्रिम की निवल राशि)	11,09,54,091	3,52,43,135

31. आयकर मामले

आयकर महानिदेशक (छूट) ने निर्धारण वर्ष 2009-10 और उससे आगे कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 ग) (iv) को दी गयी छूट इस आधार पर वापस ले ली थी कि आयकर अधनियम 1961 की धारा 2 (15) के संशोधित परन्तु जो 1/4/2008 से प्रभावी था के अनुसार कम्पनी व्यापार वाणिज्य अथवा कारोबार या प्रदत्त सेवाओं संबंधी कार्यकलाप में संलग्न है। बावजूद इसके कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 को धारा 25 और धारा 12 क के अन्तर्गत पंजीकृत होने के कारण अपने चेरिटेबल संगठन के मूलभूत स्वरूप को बरकरार रखा है और अपने कार्यक्रम और कार्यकलापों के पहले के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना अपने कार्यकरण और आय के स्रोतों को आरम्भ से ही यथावत रखा है । उपर्युक्त छूट वापसी के पश्चात निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमशः 86,06,01,190 रुपये और 36,75,99,750 रुपये की मांग की थी । कानूनी सलाह के अनुसार कम्पनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके इस छूट वापसी को चुनौती दी है।

आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए की गयी 86,06,01,190 रुपये की मांग में से 33,53,25,710 रुपये की टी डी एस वापसी को समायोजित कर दिया है । इसके अतिरिक्त कम्पनी ने आयकर निदेशक (छूट) के निर्देशों के अनुसार विरोध पूर्वक 31.3.2013 तक 6,00,00,000 रुपये और जून 2013 में 3,49,00,000 रुपये जमा कर दिये थे । आयकर निदेशक (छूट) ने 43,03,75,480 रुपये की बाकी मांग की वसूली को 31 मार्च 2014 तक के लिए अथवा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आने तक जो भी पहले हो के लिए रोक दिया है ।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए 36,75,99,750 रुपये की मांग में से आयकर निदेशक (छूट) ने कम्पनी को जून 2013 से आरम्भ करके अक्तूबर 2013 तक हर महीने 3,70,00,000 रुपये की पांच बराबर किस्तों में 18,50,00,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया था । पहली किस्त का भुगतान विरोधपूर्वक जून 2013 में कर दिया गया था और 33,05,99,750 रुपये की बकाया मांग की वसूली को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 जुलाई 2013 की अपनी सुनवाई में रोक दिया है ।

चूंकि मामला न्यायालय में विचारधीन है और कम्पनी को अपने पक्ष में निर्णय आने की आशा है, अत: लेखाओं में 86,06,01,190 रुपये और 36,75,99,750 रुपये की मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । इसी प्रकार बाद के निर्धारण वर्षों 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

उपरोक्त के अनुसार निर्धारण वर्ष 2009-10 के संबंध में 31.3.2013 तक कम्पनी द्वारा जमा की गयी 6,00,00,000 रुपये और आयकर विभाग द्वारा 33,53,25,710 रुपये की टी डी एस वापसी के समायोजन को लेखाओं में 'वसूलीयोग्य आयकर' के रूप में दिखाया गया है ।

ऊपर स्पष्ट की गयी परिस्थितियों को देखते हुए लेखाओं में लेखा गणना मानक-22 के अनुसार विलंबित कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । आयकर विभाग द्वारा की गयी मांग जिसके बारे में कम्पनी ने विरोध किया है को टिप्पणी संख्या 30 (क) में आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है ।

32. सेवाकर मामले

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए वर्ष 2011-12 में सेवा कर विभाग द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के पश्चात कम्पनी को दिनांक 29 मार्च 2012 का एक मांग एवं कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें 10,64,27,051 रुपये के सेवाकर और निर्धारित सीमा तक के लिए 23,67,843 रुपये के ब्याज और शास्तियों यदि कोई हो जिनकी राशि निर्धारित नहीं की गयी है सहित 10,87,94,894 रुपये की मांग की गयी थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 21 सितम्बर 2012 का एक मांग एवं कारण बताओ नोटित भी प्राप्त हुआ था जिसमें ब्याज और शास्तियों यदि कोई हो जिनकी राशि निर्धारित नहीं की गयी है को छोड़कर 42,77,135 रुपये की मांग की गयी ये मांगें मुख्यत: कम्पनी को सरकार से प्राप्त अनुदानों से संबंधित है । कम्पनी की राय में जिन सेवाओं के बारे में राय मांगी गयी है वो सेवा कर के योग्य सेवाओं के दायरे में नहीं आती तदनुसार कम्पनी ने इन मांगों के बारे में सेवाकर आयुक्त, दिल्ली के समक्ष अपना विरोध जताया है और लेखाओं में इस राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सेवा कर विभाग द्वारा की गयी जिन मांगों को कम्पनी ने चुनौती दी है उन्हें टिप्पणी संख्या 30 (क) में आकस्मिक देयताओं में शामिल कर लिया गया है ।।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

33. बैलेंस की पुष्टि

विभिन्न पार्टियों से और उनके द्वारा दी गयी, राशि पुष्टि, मिलान और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।

34. कर्मचारियों संबंधी लाभ के बारे में ए एस-15 के अनुसार प्रकटन

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:-

(क) भविष्य निधि

कम्पनी कर्मचारियों की भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान भविष्य निधि ट्रस्ट को निर्धारित दरों से करती है जिसका निवेश वह अनुमत प्रतिभूतियों में करती है। वर्ष के लिए किये गये अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे आय-व्यय विवरण में दर्शाया जाता है, कम्पनी यदि कोई कमी हो तो ट्रस्ट की उस कमी को पूरा करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

नीचे ख और ग में उल्लिखित योजना अनफण्डेड है और उन्हें कम्पनी के लेखाओं में बीमांकिकी मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है। आय-व्यय विवरण और तुलन-पत्र में मान्य विभिन्न परिभाषित लाभों के संबंध में संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:-

(ख) छुट्टी

कम्पनी, कम्पनी के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी जो क्रमश: 30 दिन एवं 20 दिन की दर से प्रोद्भूत होती हैं, के नगदीकरण का लाभ देती है। सेवा के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 15 दिन की अर्जित छुट्टी बकाया को छोड़कर एक बार में अधिकतम 60 दिन की अर्जित छुट्टी नकदीकरण के योग्य होती है । सेवानिवृत्ति / मृत्यु / त्याग पत्र आदि की स्थिति में अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी नकदीकरण के योग्य होती है। कम्पनी के नियमानुसार सेवानिवृत्ति / मृत्यु/ त्याग पत्र आदि होने पर अधिकतम 300 दिन की अधिकतम (150 दिन का पूर्ण वेतन) छुट्टी नकदीकरण के योग्य होती है। अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण की समग्र 300 दिन की अधिकतम सीमा सेवानिवृत्ति / मृत्यु / त्यागपत्र आदि के समय 150 दिन की पूर्ण वेतन छुट्टी के आधार पर नकदीकरण योग्य अधिकतम सीमा को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है।

i. आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय

	2012-2013 (रुपये)	2011-2012 (रुपये)
ब्याज लागत	1,32,51,338	1,32,25,979
वर्तमान सेवा लागत	74,87,772	71,40,156
अवधि में मान्य निवल बीमांकिकी (लाभ) / हानि	48,11,727	41,44,855
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय	**2,55,50,837**	**2,45,10,990**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

ii. तुलन पत्र में मान्य राशि

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
वर्ष के अन्त में देयता का वर्तमान मूल्य	17,70,64,514	16,56,41,719
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल दायित्व / (परिसम्पत्तियां)	17,70,64,514	16,56,41,719
फन्डेड स्थिति	(17,70,64,514)	(16,56,41,719)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	2012-2013 (रुपये)	2011-2012 (रुपये)
अवधि की शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,56,41,719	15,55,99,752
ब्याज लागत	1,32,51,338	1,32,25,979
चालू सेवा लागत	74,87,772	71,40,156
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हो)	(1,41,28,042)	(1,44,69,023)
बीमांकिय (लाभ) / हानि	48,11,727	41,44,855
वर्ष के अंत में दायित्व की वर्तमान मूल्य	17,70,64,514	16,56,41,719

iv. गणनाओं के लिए प्रयुक्त / कल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है

	31.03.2013 को	31.03.2012 को
छूट दर	8.00% प्रतिवर्ष	8.50% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
अवधि कालायतित	एलआईसी 94-96 अन्तत:	एलआईसी 94-96 अन्तत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष

ग. ग्रेच्युटी

कम्पनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरन्तर सेवा कर ली हो, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 x अंत में लिया गया मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की दर से और अधिकतम 10,00,000 रुपये की ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

i. आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय

	2012-2013 (रुपये)	2011-2012 (रुपये)
ब्याज लागत	2,92,04,751	2,94,91,818
वर्तमान सेवा लागत	1,62,86,939	1,49,15,338
अवधि में मान्य निवल बीमांकिक कार्य लाभ/हानि	4,06,77,102	1,58,76,763
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय	**8,61,68,792**	**6,02,83,919**

ii. तुलन पत्र में मान्य राशि

	31.03.2013 को (रुपये)	31.03.2012 को (रुपये)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	40,41,15,083	36,50,59,386
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल दायित्व / परिसम्पत्तियां	40,41,15,083	36,50,59,386
फंडेड स्थिति	(40,41,15,083)	(36,50,59,386)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	2012-2013 को (रुपये)	2011-2012 को (रुपये)
अवधि के आरम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	36,50,59,386	34,69,62,568
ब्याज लागत	2,92,04,751	2,94,91,818
वर्तमान सेवा लागत	1,62,86,939	1,49,15,338
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हों)	(4,71,13,095)	(4,21,87,102)
बीमांकिक लाभ/हानि	4,06,77,102	1,58,76,764
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**40,41,15,083**	**36,50,59,386**

iv. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है।

	31.03.2012 को (रुपये)	31.03.2011 को (रुपये)
छूट दर	8.00% प्रतिवर्ष	8.50% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
अवधि कालायतित	एलआईसी 94-96 अन्तत:	एलआईसी 94-96 अन्तत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

35. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की सैगमेंट वार रिपोर्ट

(i) प्रारम्भिक भौगोलिक सैगमेंटों के बारे में जानकरी

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	विदेशों में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	अनिर्धारित	कुल
राजस्व				
बाह्य	2,12,56,11,444	22,81,87,481	-	2,35,37,98,925
	(2,71,01,59,115)	(21,54,52,940)	-	(2,92,56,12,055)
इण्टर सैगमेन्ट	-	-	-	-
कुल राजस्व	2,12,56,11,444	22,81,87,481		2,35,37,98,925
	(2,71,01,59,115)	(21,54,52,940)		(2,92,56,12,055)
परिणाम				
सैगमेन्ट परिणाम	75,01,99,330	-4,60,96,901	-	70,41,02,429
	(1,31,63,01,763)	(-13,89,10,130)	-	(1,17,73,91,633)
अनिर्धारित आय का अनिर्धारित व्यय निवल	-	-	-12,38,20,465	-12,38,20,465
	-	-	(-8,77,56,541)	(-8,77,56,541)
ब्याज / लाभांश आय	-	-	94,16,16,514	94,16,16,514
	-	-	(74,36,05,513)	(74,36,05,513)
कराधान एवं अपवादात्मक मदों से पूर्व अधिशेष	-	-		1,52,18,98,478
	-	-		(1,83,32,40,605)
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-	-		10,40,573
	-	-		(-29,29,819)
व्यय से अधिक आय	-	-		1,52,29,39,051
	-	-		(1,83,03,10,786)
अन्य सूचनाएं				
सैगमेन्ट परिसम्पत्तियां	91,94,98,313	10,06,79,236	11,77,66,10,570	12,79,67,88,119
	(93,17,46,346)	(18,11,81,507)	(10,03,67,25,430)	(11,14,96,53,283)
सैगमेन्ट देनदारियां	70,13,95,572	6,34,30,488	90,28,11,707	1,66,76,37,767
	(61,92,18,528)	(7,69,40,291)	(84,72,83,163)	(1,54,34,41,982)
पूंजीगत व्यय	7,27,74,248	-	-	7,27,74,248
	(4,52,18,803)	-	-	(4,52,18,803)
मूल्यह्रास और परिशोधन	4,71,94,129	-	-	4,71,94,129
	(4,38,00,668)	-	-	(4,38,00,668)
मूल्यह्रास के अतिरिक्त गैर-नकदी खर्च	-	-	-	-

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय ब्यौरे के बारे में टिप्पणियां (जारी)

(ii) कम्पनी के पास कोई सेकेण्डरी सैगमेन्ट नहीं है।

टिप्पणी:

(क) अनिर्धारित खर्चों में 10 प्रतिशत स्थापनागत एवं कार्यालय खर्च शामिल हैं। इनसे संबंधित राजस्वों के आधार पर बकाया का अन्य सैगमेंटों के मध्य बंटवारा किया गया है।

(ख) अनिर्धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में वे शामिल हैं जिनकी किसी विशिष्ट सैगमेंट में समुचित रूप में पहचान करना संभव नहीं है।

(ग) सैगमेंट रिपोर्ट में कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

36. पिछले वर्ष के आंकड़ें

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया पुन: समूहीकृत / पुन: वर्गीकृत / पुन: निर्धारण किया गया ।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(पी. सी. शर्मा)	**(बी. एल. मीणा)**	**(मलय श्रीवास्तव)**	**(रीता मेनन)**
वरिष्ठ महाप्रबन्धक	विशेष कार्याधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
तथा कम्पनी सचिव	एवं वित्तीय सलाहकार		

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.08.2013

सी एस आर पहल के रूप में आई टी पी ओ द्वारा एम्बुलेंस प्रदान करते हुए।

आईटीपीओ

2012 13

अनुषंगी कम्पनियां

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

निदेशकों की रिपोर्ट

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के निदेशक मंडल को वर्ष 2012-13 के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखे के साथ-साथ संगठन की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

मुख्य वित्तीय विशेषताएं

संगठन की गतिविधियों से पिछले वर्ष के 1,886 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2012-13 में 2,167 लाख रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ। कुल संचालन आय पिछले वर्ष के 2,483 लाख रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान 2,594 लाख रुपये की हुई। कुल व्यय पिछले वर्ष के 1,125 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष 1,220 लाख रु. का था ।

मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-III ने कर आकलन वर्ष 2009-10 और उससे आगे से आयकर अधिनियम की धारा 10 (23) (ग) (iv) के अन्तर्गत 01.04.2008 से प्रभावी आयकर अधिनियम की धारा 2 (15) में किये गये संशोधन के आधार पर आयकर छूट हटा दी है।

इसके परिणामस्वरूप कर आकलन अधिकारी ने कर आकलन वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमश: 475.98 लाख रुपये और 353.26 लाख रुपये की मांग की है। कर आकलन वर्ष 2010-11 के लिए 353.26 लाख रुपये की मांग के विरुद्ध 27.54 लाख रुपये की राशि बचाव के लिए जमा की जा सकती है। शेष कर की संग्रह सी आई टी (ए) द्वारा अपील के निपटान तक अथवा 30.9.2013 तक, जो भी पहले हो, रोक लगा दी है। छूट हटाने का विरोध किया जा रहा है तथा माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की जा रही है।

उपर्युक्त बातों को देखते हुए कम्पनी को आशा है कि निर्णय उनके पक्ष में होगा तथा मांग निरस्त कर दी जायेगी एवं देयता के प्रावधान को आस्मिक माना गया है। उपर्युक्त बातों को देखते हुए, कम्पनी के बही-खातों में कर आकलन वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक आयकर देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आस्मिक कर के लिए प्रावधान किया गया है।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस कारण यह किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा नहीं करती। इसलिए व्यय से अधिक आय को आरक्षित और अधिशेष खातों में प्रतिधारित और अन्तरित कर दिया गया है।

I) रेखा चित्र द्वारा आय एवं व्यय का दिग्दर्शन

(आंकड़े-लाख रु. में)

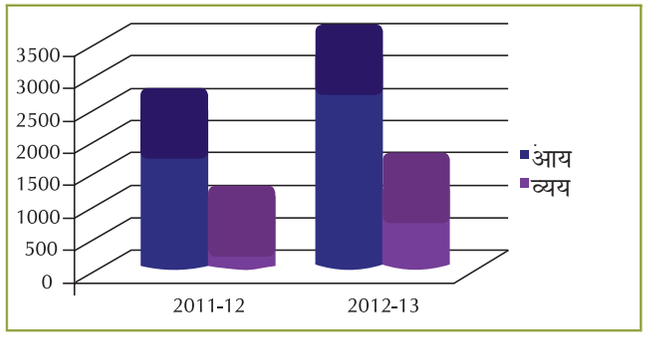

निदेशक मंडल

श्री राजीव खेर, आई. ए. एस. के स्थान पर 03.01.2012 को श्रीमती रीता मेनन, आई. ए. एस. ने टी एन टी पी ओ के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री के. एस. काण्डासामी, डी. आर. ओ. के स्थान पर 01.03.2009 अपराह्न को श्री एस विशाखन, डी आर ओ ने टी एन टी पी ओ के प्रबंध निदेशक का कार्य ग्रहण किया। बोर्ड पदमुक्त होने वाले निदेशकों द्वारा निदेशक के रूप में दी गई सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

क्र.सं.	निदेशक	से	तक
1.	श्री एन एस पलानीअप्पन, आई ए एम, सरकार के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग तमिलानाडु सरकार	07.06.2013	जारी है

क्र.सं.	निदेशक	से	तक
2.	श्री हंसराज वर्मा, आई ए एस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टिडको	11.12.2012	जारी है
3.	श्री मलय श्रीवास्तव, आई ए एस, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ	07.06.2013	जारी है
4.	श्री बी एल मीणा, आई ए एस, विशेष कार्याधिकारी (प्रशा.) आई टी पी ओ	22.08.2012	जारी है
5.	श्री पी सी शर्मा वरिष्ठ महा प्रबंधक, आई टी पी ओ	07.06.2013	जारी है
6.	श्री वी एलनगोवन, महा प्रबंधक, टिडको	20.10.2009	जारी है
7.	श्री आर कार्तिकेयन विकास प्रबंधक, टिडको	20.12.2007	जारी है
8.	श्री नीरज कुमार गुप्ता, आई ए एस, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ	25.03.2010	11.12.2012
9.	डा. एन सुन्दरादेवन, आई ए एस, सरकार के भूतपूर्व प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार	26.09.2011	11.12.2012
10.	श्री के धनावेल आई ए एस भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, टिडको	12.05.2012	11.12.2012
11.	श्री विक्रम कपूर, आई ए एस, सरकार के भूतपूर्व प्रधान सचिव, उद्योग विभाग तमिलनाडु सरकार	11.12.2012	07.06.2013
12.	श्री असित कुमार त्रिपाठी, आई ए एस, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ	11.12.2012	07.06.2013
13.	श्री ए के खन्ना भूतपूर्व वरिष्ठ महाप्रबंधक, आई टी पी ओ		07.06.2013

वर्ष के दौरान आयोजित प्रदर्शनियां एवं मेले

टी एन टी पी ओ के प्रदर्शनी हाल एवं कन्वेंशन सेन्टर, विशेषीकृत एवं सामान्य व्यापार मेले, सम्मेलन, सेमिनार, कारपोरेट वार्षिक दिवस समारोह आदि आयोजित करने हेतु व्यापार एवं उद्योग-जगत को उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदर्शनी हालों में 100 कार्यक्रम तथा सम्मेलन केन्द्रों में 120 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला-2012, हिन्दू मेट्रो प्लस लाइफ स्टाइल एक्स्पो-2012, एन-प्रिनटेक ऐण्ड पेकटेक एक्स्पो-2012, अन्तरराष्ट्रीय मशीन टूल एक्स्पो-2012, रूफ इण्डिया-2012, मेडिकल-2012, आहार-2012, एक्मे-2012, इण्डिया आरो एक्स्पो-2012, इमेज टुडे-2012, इण्डिया इंटरनेशनल बिल्ड एक्स्पो-2012, थाइलैण्ड एग्जीविशन-2012, इण्डिया इंटरनेशनल यार्न ऐण्ड फैबरिक शो-2012, आटो सर्व-2012, विंड पावर इण्डिया-2012, एल आई सी मीट-2012, इनसाइड ऐण्ड आउटसाइड मेगा शो, 2012, होम डेकोर-2012, इण्डिया इंटरनेशनल मार्ट-2012, बाईकॉन-2012, वाटर टुडे-2013, फेयर प्रो-2013 तथा जेम्स ऐण्ड ज्वैलरी इण्डिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन-2013 आदि बहुत महत्वपूर्ण थे।

भावी योजनाएं

यद्यपि हमारे पास उत्कृष्ट सुविधाएं हैं। हम हवाई अड्डे और पोर्ट के नजदीक स्थित हैं, अन्य शहरों से सड़क एवं संचार माध्यमों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं किन्तु अन्य प्रदर्शनी केन्द्रों अथवा कभी-कभी मांग के मुकाबले हमारे प्रदर्शनी हालों का क्षेत्रफल प्रदर्शनी हेतु अपेक्षत: काफी कम स्थान होने के कारण अनेक अंतरराष्ट्रीय मेलों का आयोजन निरस्त हो रहा है। मेला आयोजकों की ओर से निरन्तर 20,000 वर्गमीटर से भी अधिक निर्मित प्रदर्शनी क्षेत्र की मांग आ रही है। अत: उत्पादन, व्यापार को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शनी उद्योग के महत्व पर विचार करते हुए टी एन टी पी ओ का निदेशक मण्डल सिद्धांतत: सी टी सी के विस्तार के प्रति फेस-1 के रूप में 6000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में एक प्रदर्शनी हाल का निर्माण करने के लिए सहमत हो गये हैं।

टी एन टी पी ओ की वेबसाइट

प्रदर्शनी हालों एवं कन्वेंशन सेन्टर में आयोजित होने वाले नवीनतम मेलों तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी देने के

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

लिए टी एन टी पी ओ अपनी कारपोरेट वेबसाइट **www.chennaitradecentre.org** को निरन्तर अपडेट करती रहती है। प्रदर्शनी हालों एवं कन्वेंशन सेन्टर में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी के लिए यह वेबसाइट बहुत उपयोगी है।

सावधि जमा

आपकी कम्पनी कोई सावधि जमा नहीं ले रही है। इसलिए कम्पनी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत तत्संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

लेखा-परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने मैसर्स नटराजन एसोसिएट्स, चार्टरित लेखाकार को इस कम्पनी का सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी समायोजन और ग्रहण एवं उसमें अनुकूलन, विदेशी मुद्रा में आय तथा व्यय

कम्पनी किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यापारिक कार्य नहीं करती है। अत: ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समायोजन और ग्रहण एवं उसमें अनुकूलन और विकास विषयक ब्यौरे इस पर लागू नहीं होते हैं। कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटीकरण) नियमावली 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा में आय और व्यय की जानकारी नीचे दी गयी है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

	मद	2012-13 रु.	2011-12 रु.
1.	विदेशी मुद्रा में आय	**8,61,851**	48,02,722
2.	उपयोग की गयी विदेशी मुद्रा यात्रा व्यय	शून्य	49,282

कर्मचारियों से सम्बन्धित ब्यौरे

किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला है।

लघु औद्योगिक इकाइयों के देय

आपकी कम्पनी पर लघु औद्योगिक इकाइयों को किसी प्रकार का देय बाकी नहीं है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व (कार्पोरेट गवर्नेंस)

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 217 (2कक) के अनुपालन में आपके निदेशकगण 'निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण' का अनुमोदन करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि:-

i. वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखा मानक मेटीरियल डिपार्चर के बारे में उचित स्पष्टीकरण के साथ अपनाए गए हैं।

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखा गणना नीतियों का चयन किया है, उनका निरन्तर अनुपालन किया है तथा निर्णय, प्राक्कलन बनाए हैं जो वित्त वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के मामलों और उस वर्ष कम्पनी को व्यय से अधिक हुई आय का सही एवं उचित तथ्यात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करने में युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं।

iii. निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने में उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखा गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किया है।

आभार

निदेशकगण, आपकी कम्पनी को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग,

आई टी पी ओ और टी आई डी सी ओ से निरन्तर मिले सहयोग के लिए उनका तथा उन कार्यक्रम आयोजकों / उनके प्रबन्धकों का, जिन्होंने चेन्नई व्यापार केन्द्र में प्रदशर्नियों आदि का आयोजन किया, आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, चेन्नई मेट्रो जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, आई डी बी आई एवं यूनियन बैंक आफ इंडिया आदि एजेंसियों तथा व्यक्तियों से टी एन टी पी ओ को मिले सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी मामले विभाग और लेखा परीक्षकों से मिले बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं। अन्त में, आपके निदेशक, टी एन टी पी ओ के कर्मचारियों की अपनी ड्यूटी के प्रति लगन और निष्ठा और सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह./–	ह./–
(एस. विशाखन)	**(बी.एल. मीणा)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक

स्थान : चेन्नई
दिनांक: 08.08.2013

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्वैच्छिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

कम्पनी का नाम : तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कार्पोरेट पहचान सं.	:	यू 91120 टी एन 2000 एन पी एल 046140
प्राधिकृत शेयर पूंजी	:	50,00,000/- रु.
31 मार्च, 2012 को प्रदत्त पूंजी	:	1,00,000/- रु.

सेवा में
प्रबंध निदेशक
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
'चेन्नई ट्रेड सेन्टर'
नं. 6ए, 6बी, 6 सी
माउन्ट-पूनामल्लै हाई रोड
नन्दमबक्कम
चेन्नई-600 089

मैंने 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के बारे में कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और कम्पनी के अन्तर्नियमों और ज्ञापन में अन्तर्निविष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत रखे जाने के लिए अपेक्षित तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों और दस्तावेजों की जांच की है। मेरे विचार से एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों एवं एजेन्टों द्वारा हमें प्रस्तुत की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और उपलब्ध कराये गए रिकार्ड, अभिलेखों और रजिस्टरों के आधार पर हमारे द्वारा की गई जाँच के अनुसार पूर्वोक्त वर्ष के सम्बन्ध में, मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

1. कम्पनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुबन्ध 'क' में उल्लिखित सभी रजिस्टरों का रख-रखाव अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किया है।
2. जैसा कि अनुलग्नक 'ख' में बताया है, कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान फार्म और विवरणियां कम्पनी पंजीयक के पास दाखिल कर दी है।
3. कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कम्पनी है, जिसे कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग न करने की छूट के लिए लाइसेन्स जारी किया गया है और कम्पनी के पास न्यूनतम निर्धारित प्रदत्त पूंजी है।
4. कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक मण्डल की बैठकें तीन बार-22 मई 2012, 26 सितम्बर 2012 और 11 दिसम्बर 2012 को हुईं और जिनके बारे में पूर्व सूचना दी गई और कार्यवाही वृत्तान्त रिकार्ड किया गया तथा इस प्रयोजन से बनाई गई कार्यवाही पुस्तिका में दो परिपत्र संकल्प पारित किये गये और उस पर हस्ताक्षर किये गये।
5. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सदस्यों का रजिस्टर बन्द नहीं किया।
6. वार्षिक आम बैठक आयोजित करने हेतु समय बढ़ाये जाने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी लेने के बाद 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक 26.10.2012 को आयोजित की गई (एस आर एन: बी 58200775 दिनांक 24.09.2012) तथा उसमें पारित किये गये संकल्प इस हेतु बनायी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किये गये।

7. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई भी असाधारण बैठक आयोजित नहीं की गयी।

8. यह कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की वजह से धारा 295 के उपबन्ध इस पर लागू नहीं होते हैं।

9. दिनांक 31 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं. जीएसआर 233 के अनुसार धारा 297(1) के उपबन्ध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ऐसे कोई भी करार नहीं किये गये हैं जिन्हें अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत बनाये जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित हो।

11. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 314 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई भी ऐसी घटनायें नहीं घटी हैं जिनके बारे में कम्पनी को निदेशक मण्डल, सदस्य अथवा केन्द्र सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित हो।

12. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कोई भी डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं किये गये हैं।

    (i) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान शेयरों के स्थानांतरण हेतु किसी से भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

    (ii) यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत गठित होने के कारण अपने सदस्यों के लिए लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है।

    (iii) वापसी भुगतान, परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियां, परिपक्वता अवधि वाले डिबेन्चर और उन पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए कोई भी ऐसी धनराशि देय नहीं है, जिसके लिए सात वर्ष से दावा नहीं किया गया हो या सात वर्ष से जिसका भुगतान नहीं किया गया हो और इसीलिए ऐसी धनराशियों को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अन्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

    (iv) कम्पनी ने सामान्यत: कम्पनी अधिनियम की धारा 217 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

13. कम्पनी के निदेशक मण्डल के गठन के संबंध में मेरी टिप्पणी इस प्रकार हैं:-

    दिनांक 11-12-2012 और 7-06-2012 की बैठक में निदेशक मण्डल ने कुछ खास निदेशकों की नियुक्ति की/ त्याग पत्र स्वीकार किये। कम्पनी के निदेशकों/प्रबंध निदेशकों की नियुक्तियों/कार्यमुक्ति के बारे के लिए फार्म 31 भरना है।

14. चूंकि यह कम्पनी सरकारी कम्पनी है, इसलिए कम्पनी पर धारा 255, 256 और 257 के उपबन्ध लागू नहीं होते और इसीलिए कोई भी निदेशक चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होता है। कम्पनी में आई टी पी ओ और टी आई डी सी ओ के नाम निर्देशित निदेशकों में ऐसा कोई भी निदेशक नहीं हैं जो कम्पनी के अनुच्छेद 111 (vi) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होता हो।

15. दिनांक 31.01.1978 की जी एस आर अधिसूचना संख्या 235 के अनुसार प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/प्रबन्धक की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित धाराएं कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

16. एकमात्र बिक्री एजेन्ट की नियुक्ति संबंधी धारा 294 कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

17. कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुमति प्राप्त की है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166 के अन्तर्गत 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय बढ़ाया जाये। इसके अतिरिक्त हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार कम्पनी को अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार, कम्पनी

लॉ बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी पंजीयक अथवा किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी से किसी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

18. कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कोई भी शेयर और डिबेन्चर जारी नहीं किए हैं।

19. लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी ने किन्हीं भी शेयरों की पुन: खरीद नहीं की है।

20. कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान या उससे पहले कोई भी वरीयता वाले शेयर/डिबेन्चर जारी नहीं किए हैं और इसीलिए वरीयता वाले शेयरों और डिबेन्चरों के मोचन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

21. चूंकि यह कम्पनी धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है और किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करती, इसीलिए शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण होने का लाभांश, राइट शेयर और बोनस शेयर को आस्थगित रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

22. कम्पनी ने जनता से कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं की है और धारा 58 क और 58 क क के उपबंधों का पालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

23. प्राइवेट कम्पनी होने की वजह से अधिनियम की धारा 293(1)(घ) के उपबन्ध इस कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

24. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की वजह से अधिनियम की धारा 372-क के उपबन्ध इस कम्पनी पर लागू नहीं होते।

25. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है।

26. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के उद्देश्य के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के नाम के सम्बन्ध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

28. कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपनी शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

29. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने अन्तर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

30. हमें यह जानकारी दी गई है कि कम्पनी को कोई भी कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है और न ही उसके विरुद्ध कोई भी अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

31. कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में कोई भी जमा राशि प्राप्त नहीं की है।

32. अधिनियम की धारा 418 के उपबन्ध समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 31 जुलाई, 2013

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन को दिनांक 31 अगस्त, 2013 को जारी किए गए स्वैच्छिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट का भाग

अनुबन्ध-क

कम्पनी द्वारा बनाये गये रजिस्टर

1. शेयर आवेदन पत्र और आबंटन रजिस्टर
2. सदस्यों का रजिस्टर
3. शेयर हस्तांतरण रजिस्टर
4. निदेशकों एवं प्रबन्ध निदेशकों का रजिस्टर
5. निदेशकों की शेयर धारिता और डिबेंचर धारिता का रजिस्टर
6. प्रभारों और गिरवी संबंधी रजिस्टर
7. ऐसी संविदाओं का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं।

ह./-
(बी. शंकरनारायणन)
सी. पी. नं. 8301

स्थान : चेन्नई
दिनांक: 31 जुलाई, 2013

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन को दिनांक 7 अगस्त 2012 को जारी स्वैच्छिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट का भाग

अनुबंध-ख

वित्त वर्ष 01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से कम्पनी द्वारा भरे गये फार्म एवं रिटर्न

1. फार्म-20 बी 21.12.2012 को फाइल किया गया - एस आर एन: क्यू 04725677

2. फार्म-23 ए सी और 23 ए सी ए 23.11.2012 को फाइल किया गया - एस आर एन : क्यू 01634872

3. फार्म-61 24.9.2012 को फाइल किया गया - एस आर एन : बी 58200775

ह./-
(बी. शंकरनारायणन)
सी. पी. नं. 8301

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 31 जुलाई, 2013

31.03.2013 को यथास्थिति तुलन पत्र

विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 31.03.2013 को यथास्थिति रु.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 31.03.2012 को यथास्थिति रु.
I इक्विटी एवं देयताएं			
(1) शेयरधारकों का कोष			
(क) शेयर पूंजी	बी	1,00,000	1,00,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष	सी	1,00,95,79,837	79,74,40,158
(2) गैर-चालू दायित्व			
(क) दीर्घावधि ऋण	डी	22,60,75,082	22,60,75,082
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	ई	10,37,414	9,66,837
(3) चालू देयताएं			
(ख) ट्रेड पेएबल	एफ	38,84,628	25,66,305
(ग) अन्य चालू देयताएं	जी	17,15,81,999	15,13,08,285
(घ) अल्पावधि प्रावधान	एच	7,24,204	-
कुल		**1,41,29,83,164**	1,17,84,56,667
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसम्पत्तियां			
(क) स्थायी परिसम्पत्तियां			
मूर्त परिसम्पत्तियां	आई	51,08,95,954	52,95,97,726
(ख) दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	जे	3,55,49,493	2,04,53,849
(ग) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	के	71,000	1,71,000
(2) चालू परिसम्पत्तियां			
(क) ट्रेड रिसीवेबल	एल	1,36,47,726	1,13,42,045
(ख) नकद एवं नकद समतुल्य	एम	81,00,25,896	58,66,07,873
(ग) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	एन	64,28,279	61,23,704
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	ओ	3,63,64,816	2,41,60,470
कुल		**1,41,29,83,164**	1,17,84,56,667

महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां — ए

उपर्युक्त टिप्पणियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

ह./–	ह./–	ह./–
(एम. के. एन. कुमार)	**(के. एस. विशाखन)**	**(बी.एल. मीणा)**
प्रबन्धक (लेखा)	प्रबंध निदेशक	निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स नटराज एसोसिएटस,
चार्टर्ड लेखाकार
(एफ.आर.सं. 002440 एस)

ह./–
(पी.एम. कृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं. 10739

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 08 अगस्त 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय का विवरण

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये)
I. आय			
क) संचालनों से प्राप्त राजस्व	पी	25,93,76,842	24,83,46,525
ख) अन्य आय	क्यू	7,92,87,811	5,22,55,529
		33,86,64,653	30,06,02,054
II. व्यय			
क) कर्मचारी कल्याण व्यय	आर	90,00,023	86,62,798
ख) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	आई	2,20,50,203	2,19,70,242
ग) अन्य व्यय	एस	9,09,67,280	8,18,72,492
		12,20,17,506	11,25,05,532
III. अपवादात्मक मदों एवं कर (I-II) से पूर्व अधिशेष		**21,66,47,147**	18,80,96,522
IV. अपवादात्मक मदें (पिछली अवधि की मदें)		49,252	4,71,427
V. कर पूर्व अधिशेष (III-IV)		**21,66,96,399**	18,85,67,949
VI. कर व्यय	ए-बी (सी)		
VII. वर्ष के लिए अधिशेष/घाटा (V-VI)		**21,66,96,399**	18,85,67,949
VIII. प्रति इक्विटी शेयर आय			
(1) मूल		21,66,964	18,85,679
(2) अपचित		21,66,964	18,85,679

महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां ए

उपर्युक्त विवरण तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

ह./-
(एम. के. एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(एस. विशाखन)
प्रबंध निदेशक

ह./-
(बी.एल. मीणा)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स नटराज एसोसिएटस,
चार्टर्ड लेखाकार
(एफ.आर.सं. 002440 एस)

ह./-
(पी.एम. कृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं. 10739

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 08 अगस्त 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(1) शेयर धारकों की निधि

टिप्पणी बी - शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	संख्या	राशि (रुपये में)	संख्या	राशि (रुपये में)
अधिकृत				
1000 रुपये प्रति शेयर के 5000 इक्विटी शेयर	5,000	50,00,000	5,000	50,00,000
जारी किये गये				
1000 रुपये प्रति शेयर के 100 इक्विटी शेयर	100	1,00,000	100	1,00,000
अभिदत्त और प्रदत्त				
पूर्ण प्रदत्त 1000 रुपये प्रति शेयर के 100 इक्विटी शेयर	100	1,00,000	100	1,00,000
कुल	**100**	**1,00,000**	100	1,00,000

(क) बकाया शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
आरम्भ में शेयरों की संख्या	100		100	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	-		-	
अन्त में शेयरों की संख्या		100		100

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास 1000 रुपये प्रति शेयर सममूल्य के केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारी प्रति शेयर एक मत का हकदार है।

(ग) पांच प्रतिशत से अधिक शेयर वाले शेयर धारक

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता की प्रतिशतता
आई टी पी ओ	51	51	51	51
टी आई डी सी ओ	49	49	49	49

टिप्पणी सी : आरक्षित एवं अधिशेष

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(क) आरक्षित पूंजी				
अथशेष	11,79,27,657		12,24,84,377	
(-) **एसाइट** से प्राप्त अनुदान का परिशोधन	45,56,720		45,56,720	
इतिशेष		11,33,70,937		11,79,27,657
(ख) अधिशेष				
अथशेष	67,95,12,501		49,09,44,552	
(+) चालू वर्ष के लिये निवल अधिशेष/निवल हानि	21,66,96,399		18,85,67,949	
इतिशेष		89,62,08,900		67,95,12,501
कुल		**1,00,95,79,837**		79,74,40,158

(3) गैर-चालू देयताएं

टिप्पणी डी : दीर्घकालिक ऋण आदान

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
अनारक्षित				
शेयरधारकों से				
आ ई टी पी ओ	16,37,48,414		16,37,48,414	
टिडको	6,23,26,668		6,23,26,668	
(पुन: अदायगी की शर्तें - शून्य)		22,60,75,082		22,60,75,082
कुल		**22,60,75,082**		22,60,75,082

टिप्पणी ई : दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
कर्मचारी लाभों के लिये प्रावधान				
- ग्रेच्युटी		10,37,414		9,66,837
कुल		**10,37,414**		9,66,837

(4) चालू देयताएं

टिप्पणी एफ : ट्रेड पेएबेल

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से				
अन्य बकाया राशि		38,84,628		25,66,305
कुल		**38,84,628**		25,66,305

टिप्पणी जी : अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
अनारक्षित-अच्छे समझे गये				
(क) शुल्क एवं कर	3,74,419		3,11,467	
(ख) ग्राहक अग्रिम				
- भावी आयोजनों के लिए	3,46,19,100		3,29,11,284	
- आयोजकों को रिफंड	1,09,59,322		23,99,006	
(ग) जमा राशियां	12,04,239		12,83,146	
(घ) देय व्यय	12,44,24,919		11,44,03,382	
		17,15,81,999		15,13,08,285
कुल		**17,15,81,999**		15,13,08,285

टिप्पणी एच : अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(क) कर्मचारी लाभों के लिये प्रावधान	7,24,204		-	
	-		-	
		7,24,204		-
कुल		**7,24,204**		**-**

II. परिसम्पत्तियां

(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां

टिप्पणी जे : दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(क) फुटकर जमा				
अनारक्षित, जब तक अन्यथा नहीं बताया गया	41,49,180		50,06,704	
(ख) पूंजी अग्रिम	6,92,525		7,94,668	
अनारक्षित, ठीक समझे गये				
(ग) वापसी योग्य आयकर	3,07,07,788		1,46,52,477	
		3,55,49,493		2,04,53,849
कुल		**3,55,49,493**		2,04,53,849

टिप्पणी के : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
प्राथमिक व्यय, जो बट्टे खाते में नहीं डाला गया		71,000		1,71,000
कुल		**71,000**		1,71,000

(2) चालू परिसंपत्तियां

टिप्पणी एल : ट्रेड रिसीवेबल

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
अनारक्षित, ठीक समझे गये				
अदायगी के लिये देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिये बकाया	40,20,879		40,20,879	
अन्य	96,26,847		73,21,166	
संदिग्ध				
अदायगी के लिये देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिये बकाया	7,04,102		7,04,102	
घटायें : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	(7,04,102)		(7,04,102)	
		1,36,47,726		1,13,42,045
कुल		**1,36,47,726**		1,13,42,045

टिप्पणी एम : नकदी और बैंक बैलेन्स

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(क) बैंक के पास शेष राशि				
- बचत खाता	85,74,286		1,65,11,873	
- अल्पावधि जमा	80,11,77,610		57,00,00,000	
(ख) अपने पास नकदी	2,74,000		96,000	
		81,00,25,896		58,66,07,873
कुल		**81,00,25,896**		58,66,07,873

टिप्पणी एन : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
अनारक्षित, ठीक समझे गये				
(क) कर्मचारी को अग्रिम	5,38,614		23,400	
(ख) अन्य को अग्रिम	13,86,505		10,66,944	
(ग) अग्रिम रुप से प्रदत्त कर एवं शुल्क	45,03,160		50,33,360	
		64,28,279		61,23,704
कुल		**64,28,279**		61,23,704

टिप्पणी ओ : अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2013 को यथास्थिति		31 मार्च 2012 को यथास्थिति	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(क) पूर्व प्रदत्त व्यय	2,47,468		1,97,803	
(ख) प्रोद्भूत ब्याज	3,59,25,107		2,39,59,633	
(ग) प्राप्य विद्युत प्रभार	1,07,501		-	
(घ) प्राप्य किराया	84,740		3,034	
		3,63,64,816		2,41,60,470
कुल		**3,63,64,816**		2,41,60,470

टिप्पणी आई :

स्थायी परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्ति का नाम	सकल ब्लाक (लागत पर)				मूल्यह्रास ब्लाक					निवल ब्लाक	
	1.4.2012 को यथास्थिति	जोड़ी गयी	हटायी गयी	31.3.2013 को यथास्थिति	दर	31.3.2012 तक संचित मूल्यह्रास	कटौति/ समायोजन	वर्ष के लिए	31.3.2013 तक संचित मूल्यह्रास	31.3.2013 को यथास्थिति	31.3.2012 को यथास्थिति
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
भवन	38,47,36,401			38,47,36,401	1.63	4,83,70,290		62,71,203	5,46,41,493	33,00,94,908	33,63,66,111
संयंत्र एवं मशीनरी	8,34,07,296	17,09,411		8,51,16,707	4.75	2,29,93,375		39,93,229	2,69,86,604	5,81,30,103	6,04,13,921
कार्यालय उपकरण	34,86,957	6,09,918		40,96,875	4.75	5,18,942		1,68,535	6,87,477	34,09,398	29,68,015
बिजली फिटिंग्स											
मशिनों के लिए	3,96,43,485			3,96,43,485	7.07	2,07,79,070		28,02,794	2,35,81,864	1,60,61,621	1,88,64,415
अन्य	15,42,82,480	4,90,028	26,700	15,47,45,808	4.75	5,22,95,289	7,634	73,35,700	5,96,23,355	9,51,22,453	10,19,87,191
कम्प्यूटर	11,63,689	1,69,674	1,52,782	11,80,581	16.21	8,84,827	1,43,896	1,84,127	9,25,058	2,55,523	2,78,862
वाहन	11,18,718			11,18,718	9.50	7,63,448		1,06,278	8,69,726	2,48,992	3,55,270
फर्नीचर एवं फिक्सर											
कन्वेंशन सेंटर के लिए	45,93,941			45,93,941	9.50	28,52,085		4,36,424	32,88,509	13,05,432	17,41,856
अन्य	1,16,87,939	3,97,352		1,20,85,291	6.33	50,65,854		7,51,913	58,17,767	62,67,524	66,22,085
कुल	**68,41,20,906**	**33,76,383**	**1,79,482**	**68,73,17,807**		**15,45,23,180**	**1,51,530**	**2,20,50,203**	**17,64,21,853**	**51,08,95,954**	**52,95,97,726**
गत वर्ष	68,18,04,760	23,71,946	55,800	68,41,20,906		13,30,32,722	2,19,70,242	4,79,784	15,45,23,180	52,95,97,726	54,87,72,038

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

1. आय

टिप्पणी पी : परिचालनों से राजस्व

विवरण	समाप्त वर्ष का	
	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
	रुपये	रुपये
सेवाओं की बिक्री		
कन्वेंशन सेंटर - प्राप्तियां	4,47,29,835	4,15,75,340
लाइसेंस फीस	20,63,91,587	19,96,00,597
अन्य परिचालन राजस्व		
एमपैनलमैंट फीस	11,47,584	-
आउडडोर फिल्म शूटिंग से आय	1,54,000	2,00,000
टिकटों की बिक्री से आय	69,53,836	69,70,588
कुल	**25,93,76,842**	24,83,46,525

टिप्पणी क्यू : अन्य आय

विवरण	समाप्त वर्ष का	
	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
	रुपये	रुपये
अनुदान (एसाइड अनुदान) के रूप में आय	45,56,720	45,56,720
ब्याज	7,02,41,269	4,34,71,413
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1,000	-
विविध आय	44,88,822	42,27,396
कुल	**7,92,87,811**	5,22,55,529

2. व्यय

टिप्पणी आर : कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	समाप्त वर्ष का	
	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
	रुपये	रुपये
(क) वेतन एवं मजदूरी	71,90,085	69,58,819
(ख) पीएफ में अंशदान	4,35,172	4,06,761
(ग) ग्रेच्युटी	1,51,439	2,13,207
(घ) लीव सेलरी	1,50,604	2,96,215
(ङ) कर्मचारी कल्याण	10,72,723	7,87,796
कुल	**90,00,023**	86,62,798

टिप्पणी एस : अन्य व्यय

विवरण	समाप्त वर्ष का	
	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
	रुपये	रुपये
परिचालन एवं अनुरक्षण	3,48,97,634	3,47,19,483
बिजली प्रभार	2,75,98,166	2,47,73,861
किराया	1,00,00,000	1,00,00,000
मरम्मत और रखरखाव		
संयत्र एवं मशीनरी	44,24,480	19,42,990
भवन	30,13,974	11,12,230
वाहन	3,90,636	4,39,948
इलैक्ट्रिकल्स एवं कम्प्यूटर्स	2,61,505	1,28,231
व्यावसायिक एवं परामर्शदात्री प्रभार	5,37,390	3,50,320
यात्रा एवं वाहन	13,21,683	11,33,014
बीमा	3,02,684	2,86,974
प्रशासनिक व्यय	82,19,128	69,85,441
कुल	**9,09,67,280**	8,18,72,492

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

विवरण	समाप्त वर्ष का	
	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
	रुपये	रुपये
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (प्रशासनिक व्यय में शामिल किया गया)	1,00,000	1,00,000
कुल	**1,00,000**	1,00,000

वित्तीय विवरणों की अंगभूत टिप्पणियां - 31 मार्च 2013

टिप्पणी क :

महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां

(क) लेखा गणना कन्वेंशन

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के आधार पर तैयार किये गये हैं जिनमें ऐतिहासिक लागत कन्वेंशनों और तत्संबंधी संगत उपबंधों के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3ग) के अन्तर्गत अधिसूचित लेखा मानक शामिल हैं।

सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं को कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची-**VI** के अन्तर्गत निर्धारित कम्पनी के परिचालनात्मक और अन्य मानदण्डों के अनुसार चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिष्करण के लिए परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय और नकदी तथा नकदी समूल्यों में वसूली और उत्पादों के स्वरूप के आधार पर कम्पनी ने परिसम्पत्तियों और देयताओं के चालू/गैर चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने 12 महीने के परिचालन क्रम निर्धारित किये हैं।

(ख) प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्राक्कलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है जो प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की बतायी गयी राशि और वित्तीय विवरणों की तारीख को विद्यमान परिसम्पत्तियों और देयताओं की कथित राशि पर प्रभाव डालते हैं। प्रबंधन ये मानता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन उचित और विवेकपूर्ण हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा गणना अनुमानों में किसी भी संशोधनों आगामी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रवाह से मान्यता दी जाती है।

(ग) कैश फ्लो विवरण

कैश फ्लो विवरण अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके तैयार किये जाते हैं जिसके द्वारा कर पूर्व लाभ का समायोजन गैर नकदी वाले लेन-देन के प्रभाव के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विगत या भविष्य की परिचालनात्मक नकदी प्राप्तियों अथवा अदायगियों के किसी भी विलम्बन अथवा प्रोदवन के लिए और पूंजी निवेश अथवा वित्त पोषण संबंधी कैश फ्लो से जुड़ी आय अथवा व्यय की मदों का समायोजन किया जाता है। कम्पनी के परिचयनात्मक, पूंजी निवेश और वित्त पोषण संबंधी कार्यकलापों से होने वाले कैश फ्लो अलग रखे जाते हैं।

नकद तथा नकदी के बराबर में हाथ में नकदी, बैंक में जमा राशि तथा तीन माह तथा इससे कम अवधि की मूल्य परिपक्वता वाली अन्य अल्पावधि की उच्च तरलता निवेश।

(घ) स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्यह्रास

(क) स्थायी परिसम्पत्तियां लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर ली गयी हैं। स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत में कर (कर प्राधिकारियों से बाद में वसूली योग्य को छोड़ कर) शुल्क, माल भाड़ा और परिसम्पत्तियों के अर्जन और उनके संस्थापन से संबंधित अन्य प्रासंगिक व्यय सम्मिलित हैं।

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में निहित दरों पर तथा विधि से स्ट्रेट लाइन पद्धति से की गयी है।

(ग) स्थाई परिसम्पत्तियों में की जाने वाली वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास की गणना आनुपातिक आधार पर की गयी है।

(घ) पांच हजार रुपये या उससे कम लागत वाली परिसम्पत्ति पर 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास लगाया गया।

(ङ) विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देन की तिथि को विद्यमान विनियम दर पर दर्ज किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक मदों (यथा नकदी, प्राप्य, देय आदि) जो वर्ष की समाप्ति पर बकाया हों का अन्तरण उस तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

अन्तरण अथवा निपटारे के समय विद्यमान विनिमय दरों में अन्तर के कारण होने वाले किसी भी लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में यथास्थिति विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ अथवा ब्याज लागत के शीर्ष के अन्तर्गत दिखाय जाता है।

(च) राजस्व गणना

निम्नलिखित को छोड़कर सभी आय और व्यय सभी ज्ञात देयताओं और हानियों के लिए आवश्यक प्रावधानों सहित प्रोदवन के आधार पर लेखा में दर्शाया जाता है-

i) सरकारी अनुदानों को प्राप्ति के आधार पर माना गया है।

ii) दो लेखा गणना अवधियों में पड़ने वाले मेलों/प्रदर्शनियों की आय जिस अवधि में उस आयोजन का समापन हुआ हो, उस लेखा अवधि का माना जाता है।

ब्याज की आय की गणना किए गए पूंजी निवेश की राशि और ब्याज दर को ध्यान में रख कर समय अनुपात के आधार पर की जाती है।

(छ) सरकारी अनुदान

i) अनुदानों की गणना प्राप्ति के आधार पर की गयी है।

ii) स्थाई परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुदान पूंजीगत आरक्षित राशि के अन्तर्गत दिखाए गये हैं।

iii) स्थाई परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुदान, परिसम्पतियों की प्रकृति और उनकी उपभोग्य अवधि पर विचार करते हुए तथा आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखा गणना मानक एएस-12 के अनुसार सभी परिसम्पत्तियों के औसत सामान्य मूल्य ह्रास की दर के आधार पर आस्थगित आय के रूप में माना गया है।

(ज) कर्मचारी हित लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ

सेवा के दौरान बारह महीने की अवधि के पूरी होने पर देय सभी कर्मचारी हित लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभों के अन्तर्गत किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभों को कटौती रहित आधार पर प्रत्याशित देयताओं पर आधारित कम्पनी योजना के अनुसार व्यय माना गया है।

दीर्घकालिक कर्मचारी हित लाभ

दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति वाली अनुपस्थिति जैसे दीर्घकालिक कर्मचारी हित लाभों की देयता का प्रावधान का प्रोजैक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति बीमांककीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

पारिभाषित अंशदान योजनाएं

कम्पनी की शासन-प्रशसित भविष्य निधि योजना को अंशदान योजना के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रदत/देय अंशदान को उस अवधि के दौरान किया गया माना जाता है जिस दौरान कर्मचारी ने सेवा की है।

पारिभाषित हित लाभ योजना

तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति ग्रेच्युटी क्षतिपूर्ति वाली अनुपस्थिति संबंधी देयता का निर्धारण, प्रोजेक्टेड यूनिट/क्रेडिट प्रणाली आधारित बीमांकीकीय मूल्य के आधार पर किया जता है।

(झ) पट्टा

पट्टे के आधार पर अर्जित ऐसी सम्पत्तियों को जहां सभी जोखिम और स्वामित्व के लाभ सारभूत रूप से कम्पनी के हों। वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। ऐसे पट्टे का पूंजीकरण पट्टे के आरम्भ के समय न्यूनतम पट्टा अदायगी के मूल्य के न्यूनतम पर किया जाता है और समतुल्य राशि के लिए देयता सृजित की जाती है। प्रदत्त किस्तों का निपटान देयता और ब्याज लागत में किया जाता है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए बकाया देयता के संबंध में एक स्थिर आवधिक ब्याज दर प्राप्त की जा सके।

पट्टे के रूप में अर्जित ऐसी परिसम्पत्तियों को जहां जोखिम और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टा करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं धारित किया गया हो को परिचालनात्मक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे के किराये की राशि प्रोदवन के आधार पर आय-व्यय लेखा पर प्रभावित किया जाता है।

(ञ) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आधारभूत और अपचित आय की संगणना वर्ष के लिए कर पश्चात निवल अधिशेष को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

(ट) कराधान

कराधान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि एक रिट याचिका कम्पनी द्वारा माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय के सामने दायर की जा रही है जिसमें सीसीआईटी-iii चेन्नई द्वारा धारा 10 (23ग) (iv) के अन्तर्गत प्रदत्त छूट वापस लिए जाने हेतु जारी किये गये आदेशों और धारा 2 (15) के उपबंध को चुनौती दी जा रही है। इसलिए लेखा गणना मानक-22 के अनुसार आस्थगित करने के लिए अलग प्रावधान नहीं किया गया है।

(ठ) परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को मूर्त और अमूर्त परिसम्पत्तियां के वहन मूल्य की समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि इन परिसम्पत्तियों को कोई क्षति हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो उस परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि क्षति/हानि (यदि कोई हो) की सीमा का निर्धारण किया जा सके। जहाँ ऐसा कोई संकेत होता है कि परिसम्पत्तियों के किसी समूह को क्षति/हानि होने की संभावना है तो कम्पनी उस सम्पूर्ण परिसम्पत्ति समूह की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है ताकि क्षति के मूल्य का अनुमान लगाया जा सके।

(ढ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

प्रावधान की गणना तभी की जाती है जब विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप इस प्रकार के कोई वर्तमान बाध्यता होती है और जब उस देयता की राशि का समुचित अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक देयता का प्रकटन (i) किसी संभावित देयता के लिए किया जाता है जिसकी पुष्टि केवल भविष्य की ऐसी घटनाओं से होगी जो पूरी तरह कम्पनी के नियंत्रण में नहीं है अथवा (ii) विगत घटनाओं से उत्पन्न होने वाली ऐसी वर्तमान देयताओं के लिए किया जाता है जहां यह संभावना नहीं है कि उस देयता के निपटान के लिए संसाधनों के आउटफ्लो की आवश्यकता होगी अथवा उस देयता की राशि का कोई विश्वसनीयता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आकस्मिक परिसम्पत्तियों की न तो वित्तीय विवरणों में गणना की जाती है और न ही उन्हें प्रकट किया जाता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(क) 1. विदेशी मुद्रा लेन देन

विवरण	31 मार्च 2013 की अवधि के लिए	31 मार्च 2012 की अवधि के लिए
	रुपये	रुपये
विदेशी मुद्रा में आय		
प्रदर्शनी के लिए लाइसेंस फीस	8,61,851	48,02,722
विदेशी मुद्रा में व्यय		
विदेश यात्रा	-	49,284

(क) 2. सरकारी अनुदान

चूंकि राज्य और केन्द्रीय दोनों प्रकार के एसाइड अनुदान जो पिछले वर्षों में प्राप्त हुए थे वो विशिष्ट स्थाई परिसम्पत्तियों से संबंधित थे इसलिए ऐसे अनुदानों को पूंजीगत, आरक्षित राशि माना गया है और तुलन पत्र में उन्हें आरक्षित राशि एवं अधिशेष के अन्तर्गत पूंजीगत आरक्षित राशि के रूप में दर्शाया गया है।

जैसा कि टिप्पणी क (छ) (iii) में निर्दिष्ट है, स्थाई परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुदानों को मूल्यह्रास की औसत सामान्य दर आधारित आय माना जाता है जिसे लेखा गणना मानक-12 (एएस 12) के अनुसार और नीति के अनुसार परिसम्पत्तियों के उपयोग्य काल के बारे में एक क्रय बद्ध और तार्किक आधार माना जाता है इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 45.57 लाख रुपये का आय प्राप्त हुआ। तदनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

(क) 3. कर्मचारी हित लाभ

(क) ग्रेच्यूटी

ग्रेच्यूटी निधि के संबंध में कम्पनी की देयता एक परिभाषित हित लाभ योजना है और 31.3.2013 के यथास्थिति बीमांककीय मूल्यांकन का विवरण इस प्रकार है:-

आय एवं व्यय लेखा में मान्य व्यय	31 मार्च 2013 की अवधि के लिए	31 मार्च 2012 की अवधि के लिए
	रुपये	रुपये
वर्तमान सेवा लागत	80,827	63,255
ब्याज लागत	65,203	44,478
प्लान परिसंपत्तियों में प्रत्याशित लाभ	(70,940)	45,980
निवल बीमांककीय (लाभ)/हानि	76,349	(1,51,324)
आय एवं व्यय लेखा में मान्य व्यय	**1,51,439**	**2,13,077**

देयता के वर्तमान मूल्य और प्लान परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का मिलान	31 मार्च 2013 की अवधि के लिए	31 मार्च 2012 की अवधि के लिए
	रुपये	रुपये
प्रोजेक्टेड हित लाभ देयता का इतिशेष	10,37,414	8,15,035
प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	9,42,349	6,00,327
निबल परिसम्पत्ति/देयता जिसका फण्डिंग नहीं किया गया	**(95,065)**	**(2,14,708)**

पारिभाषित हित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं	31 मार्च 2013 की अवधि के लिए	31 मार्च 2012 की अवधि के लिए
	रुपये	रुपये
अवधि के आरम्भ में देयताएं	8,15,035	5,55,978
सेवा लागत	80,827	63,255
पारिभाषित हित लाभ देयता पर ब्याज	65,203	44,478
निपटाए गये हित लाभ	-	-
बीमांककीय (लाभ/हानि)	76,349	1,51,324
अवधि की समाप्ति पर देयताएं	**10,37,414**	**8,15,035**

पारिभाषित हित लाभ वाध्यता देयता: क्योंकि तुलन पत्र में दी गयी निधियों की व्यवस्था कम्पनी द्वारा की गयी है।

प्लान परिसम्पत्तियों में परिवर्तन	**31 मार्च 2013 की अवधि के लिए**	**31 मार्च 2012 की अवधि के लिए**
	रुपये	**रुपये**
अवधि के आरम्भ में प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	6,00,327	3,86,911
प्लान परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	70,940	45,980
बीमांककीय लाभ/हानियां	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,71,082	1,67,436
निपटाए गये हित लाभ	-	-
अवधि के अंत में प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**9,42,349**	**6,00,327**

पूर्वानुमान

छूट फैक्टर	8.00%	8.00%
प्लान परिसम्पत्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%
संघर्षण दर	1-3%	1-3%

(ख) छुट्टी नकदीकरण

कर्मचारियों के लिए वार्षिक छुट्टी की हकदारी की गणना की जाती है जब वे कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत होती हैं, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के परिणामस्वरूप वार्षिक छुट्टी के लिए बीमांककीय आधार पर अनुमानित देयता के लिए तुलन पत्र की तारीख को छुट्टी नकदीकरण की तारीख तक के लिए प्रावधान किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान 724204/- रु. है।

(क) 4. कम्पनी तथा धारक कम्पनी (आईटीपीओ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रूप से 'आहार चेन्नई-2012' के संबंध में कम्पनी प्रदर्शनी से सृजित अधिशेष राजस्व में शेयर की हकदार हैं। धारक कम्पनी से उपर्युक्त प्रदर्शनी के संबंध में लेखाओं की प्राप्तियों का विनिश्चय होने तक कम्पनी के शेयर पर प्रोद्भूत आय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

(क) 5. लेखा गणना मानक 18 'संबंधित पार्टी लेन-देन' के अनुसरण में प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी और संबंधों की सूची

(क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. एस विशाखन - प्रबंध निदेशक
2. के.एस. कंडासामी - प्रबंध निदेशक (6 मार्च 2013 तक)

(ख) संबंधित पार्टी के लेन-देन

विवरण	2012-13 को यथास्थिति (रुपये में)	2011-12 को यथास्थिति (रुपये में)
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
निदेशक पारिश्रमिक	9,35,962/-	9,44,600/-
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	38,545/-	74,894/-

(क) 6. लेखा गणना मानक-20 'प्रति शेयर आय' के अनुसरण में प्रकटीकरण

विवरण	31.3.2013 को यथास्थिति	31.3.2012 को यथास्थिति
कर पश्चात अधिशेष/घाटा (रुपये)	21,66,96,399	18,85,67,949
शेयरों की भारित औसत संख्या	100	100
प्रति शेयर मूल एवं कम आय (रुपये)	21,66,964	18,85,679
प्रति शेयर फेस वेल्यू (रुपये)	1,000	1,000

(क) 7. परिसम्पत्तियों की क्षति (एएस-28)

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये परिसम्पत्तियों की क्षति संबंधी लेखा गणना मानक (एएस 28) के अनुसार क्षति के निर्धारण की आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात प्रबंधन की राय है कि परिसम्पत्तियों की ऐसे कोई क्षति नहीं हुई है जिसके लिए कम्पनी की बहियों में दिखाई गयी परिसम्पत्ति की वर्तमान राशि में समायोजन की आवश्यकता पड़े।

(क) 8. आकस्मिक देयता

(क) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बनाम सीसीसीएल

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ हुए निर्माण करार के अनुसार कम्पनी को ठेके के निष्पादन के दौरान किसी अभियोजन के कारण उत्पन्न होने वाली देयता को पूरा करना होगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और कनसोलिडेटेड कन्सट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड (सीसीसीएल) के बीच मुकदमेंबाजी हुई क्योंकि कन्वेंशन सेंटर के फेस-2 निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उसे ठेकेदार नियोजित कर लिया था। दोनों पक्षों के बीच माध्यस्थम में एक पंचाट दिया गया और बाद में घटनाक्रम के आधार पर कम्पनी 80,08,020 रुपये की आकस्मिक देनदार है जिसमें पंचाट की तारीख से वास्तविक पूर्ण भुगतान और अंतिम निपटारे की अवधि तक के लिए 10 प्रतिशत की दर से देय ब्याज की 63,75,651 रुपये की राशि सम्मिलित है। परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पंचाट को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और मामला निर्णयाधीन है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि उपर्युक्त मामला अभी तक माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है।

(ख) अपर सेवाकर आयुक्त, चेन्नई ने 2006-07 से 2010-11 के लिए कुल 1,72,64,646/-रुपये की कर योग्य वैल्यू वाले टिकटों की बिक्री को जिसके लिए कुल 19,53,359/-रुपये की सेवा कर देयता बनती है, शामिल नहीं करने के लिए दिनांक 13.10.2011 को एक कारण बताओ नोटिस संख्या 456/2011 जारी किया है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिये टिकटों की बिक्री पर क्रमश: 7,66,789 रुपये और 7,64,947 रुपये की सेवाकर देयता बनती है । टी एन टी पी ओ ने इसका विरोध किया है और उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है तथा यह मामला अभी विभाग में लम्बित पड़ा है। उपर्युक्त को देखते हुए कम्पनी पर 34,85,095/-रुपये की आकस्मिक देनदारी बनती है ।

(ग) आयकर

मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई ने 01.04.2008 से आयकर अधिनियम की धारा 2 (xiv) में हुए संशोधन के आधार पर निर्धारण वर्ष 2009-10 से और आगे के वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 (23)(ग) (iv) के अन्तर्गत दी गयी आयकर छूट को वापस ले लिया था ।

बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमश: 475.98 लाख रुपये और 353.26 लाख रुपये की मांग की थी । निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए की गयी 353.26 लाख रुपये की मांग में से 27.54 लाख रुपये विरोध पूर्वक जमा कर दिये गये हैं । शेष कर की वसूली सी आई टी (ए) द्वारा अपील का निपटारा होने अथवा 30.09.2013 तक के लिए जो भी पहले हो, निर्धारण अधिकारी ने स्थापित कर दी है । छूट वापसी को चुनौती दी जा रही है और माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जा रही है ।

उपर्युक्त को देखते हुए कम्पनी को अपने पक्ष में यह निर्णय होने की आशा है कि डिमांड रद्द कर दी जायेगी और देयता के लिए किये गये प्रावधान को आकस्मिक स्वरूप का माना गया है और इसलिए कम्पनी 2009-10 से लेकर 2012-13 तक के निर्धारण वर्ष के लिए आकस्मिक रूप से 1965.78 लाख रुपये की देनदार है । उपर्युक्त को देखते हुए कम्पनी के लेखाओं में निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लिए आयकर देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और अस्थगित कर के रूप में दिखाया गया है ।

(घ) पूंजीगत वचनबद्धताएं

पूंजीगत खाते में जिन करारों को निष्पादित नहीं किया गया है और जिनके लिए 31 मार्च 2012 को प्रावधान नहीं किया गया, उनकी अनुमानित धनराशि - शून्य

(ङ) लीज

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (टिडको) के बीच दिनांक 13.11.2000 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, टिडको को भूमि प्रदान करनी थी एवं भूमि विकास सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था करनी थी तथा आई टी पी ओ को प्रदर्शनी केन्द्र का निर्माण करना था । तमिलनाडु सरकार के दिनांक 06.11.2000 के शासनादेश संख्या 568,राजस्व (एल. ए) (2) विभाग के अनुसार 25.48 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया था । इसके उपरान्त दिनांक 03.02.2003 का शासनादेश सं. 28 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार टी एन टी पी ओ की भूमि के लिए टी आई डी सी ओ को 2001-02 से प्रति वर्ष 100 लाख रुपये के पट्टे किराये का भुगतान करना था जो तीस वर्ष के दीर्घकालीन पट्टे पर टी एन टी पी ओ को दी गयी थी ।

टी एन टी पी ओ के निदेशक मण्डल की 25.03.2010 को सम्पन्न 31 वीं बैठक में, बोर्ड ने टी एन टी पी ओ की 20 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की कि 2001-02 से 2009-10 तक की अवधि हेतु 9.00 करोड़ रुपये के बकाया लीज रेट के विरूद्ध

टिडको के दावे के अनुसार भूमि हेतु मौलिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले के प्रस्ताव को देखते हुए, भुगतान को लम्बित रखा जा सकता है ।

बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को देखते हुए वर्ष 2001-02 से 2012-13 तक के 12.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 के 1.00 करोड़ रुपये के लीज रेन्ट के प्रावधान को लेखे में अन्य चालू देनदारियां एवं प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

(च) प्रवर्तकों से ऋण

प्रवर्तकों अर्थात् आई टी पी ओ एवं टिडको द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए खर्च की गई धनराशि के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक उक्त धनराशि को ब्याज रहित "दिर्घावधि ऋण" माना गया है तथा विगत वर्ष के तुलन-पत्र की तरह टिप्पणी सं. घ में गैर चालू परिसम्पत्ति के रूप में दिखाया गया है । जब कभी निर्णय होगा तो बहियों में आवश्यक समायोजन किया जायेगा ।

(क) 9. प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सुक्ष्म, लघु एवं मझौले विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी एक्ट) के अन्तर्गत उनकी स्थिति के संबंध में सप्लायरों से पाप्त जानकारी के आधार पर प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कम्पनी को 31 मार्च 2013 की यथास्थिति के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कोई राशि देय नहीं हैं।

(क) 10. छुट-पुट ऋण प्राप्तकर्त्ताओं में उन कम्पनियों से देय ऋण शामिल हैं जिनमें टीएनटीपीओ के निदेशक निवेशकों के रूप में हितबद्ध हैं।

	2012-13 रुपये	2011-12 रुपये
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (धारक कम्पनी)	90,15,047	73,21,166
तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल डेवलपमैंट कारपोरेशन लि. (टिडको)	44,47,455	38,35,655

(क11) 31 मार्च को यथास्थिति थर्डपार्टी इतिशेष पुष्टीकरण/मिलान के अध्यधीन है।

(क12) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हुआ पुर्नसमूहन अथवा पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

ह./-
(एम. के. एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(के. एस. विशाखन)
प्रबंध निदेशक

ह./-
(बी.एल. मीणा)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स नटराज एसोसिएटस,
चार्टर्ड लेखाकार
(एफ.आर.सं. 0024405 एस)

ह./-
(पी.एम. कृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं. 10739

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 08 अगस्त 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

विवरण	31 मार्च 2013 की अवधि के लिए		31 मार्च 2012 की अवधि के लिए	
	राशि रुपये में	राशि रुपये में	राशि रुपये में	राशि रुपये में
(क) चालू गतिविधियों से कैस फ्लो				
निवल (लाभ/हानि) कर एवं असाधारण मदों से पूर्व		21,66,47,147		18,80,96,522
समायोजन के लिए				
जोड़िए:				
मूल्यह्रास	2,20,50,203		2,19,70,242	
पिछली अवधि की मदें	49,252		4,71,427	
परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई हानि	25,652		44,343	
		2,21,25,107		2,24,86,012
घटाएं:				
परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुआ लाभ	1,000		-	
ब्याज से आय	7,02,41,269		4,34,71,413	
आय का प्रावधान	-		-	
अनुदान का परिशोधन	45,56,720		45,56,720	
		7,47,98,989		4,80,28,133
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व चालू संचालन लाभ		**16,39,73,265**		16,25,54,401
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन				
जोड़िए:				
व्यापार देय में वृद्धि	13,18,323		(1,52,205)	
अन्य देयताओं में वृद्धि	2,10,68,495		4,48,74,008	
		2,23,86,818		4,47,21,803
घटाएं:				
विविध देनदारों में वृद्धि	23,05,681		1,85,153	
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियों में वृद्धि	2,75,04,565		5,38,93,354	
		2,98,10,246		5,40,78,507
चालू गतिविधियों से निवल कैश फ्लो - (क)		**15,65,49,837**		15,31,97,697

विवरण	31 मार्च 2013 की अवधि के लिए		31 मार्च 2012 की अवधि के लिए	
	राशि रुपये में	राशि रुपये में	राशि रुपये में	राशि रुपये में
(ख) निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो				
वाहनों की बिक्री	3,300		3,100	
ब्याज से आय	7,02,41,269		4,34,71,413	
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	(33,76,383)		(9,02,609)	
		6,68,68,186		4,25,71,904
निवेश गतिविधियों से निवल कैश फ्लो - (ख)		**6,68,68,186**		4,25,71,904
(ग) वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो - (ग)		-		-
निवल कैश फ्लो - (क+ख+ग)		**22,34,18,023**		19,57,69,601
वर्ष के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य		58,66,07,873		39,08,38,272
वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य		81,00,25,896		58,66,07,873
नकद और नकद समतुल्य में वृद्धि/(कमी)		**22,34,18,023**		19,57,69,601

ह./-
(एम. के. एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-.
(के. एस. विशाखन)
प्रबंध निदेशक

ह./-
(बी.एल. मीणा)
निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हमने तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च 2013 को समाप्त उपर्युक्त कैश फ्लो विवरण की जांच कर ली है। यह विवरण इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इण्डिया द्वारा जारी गणना मानक-3 की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। कम्पनी के सदस्यों को 8 अगस्त 2013 को हमारी रिपोर्ट की परिधि में आने वाले कम्पनी के तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखे के आधार पर तथा उसके अनुरूप है।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स नटराज एसोसिएटस,
चार्टर्ड लेखाकार
(एफ.आर.सं. 002440 एस)

ह./-
(पी.एम. कृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं. 10739

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 08 अगस्त 2013

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

सेवा में
सदस्यगण,
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
चेन्नई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स **तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2013 का तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण और तत्संबंधी टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी हैं, की कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची-vi के अनुसार जांच कर ली है।

वित्तीय लेखाओं के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे वित्तीय लेखे तैयार करे जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3(ग) में उल्लिखित लेखा मानकों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कैश फ्लो की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हों। इस जिम्मेदारी में आन्तरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों की दृष्टि से प्रासंगिक हो और मेटीरियल गलत बयानी और धोखाधड़ी व त्रुटि से मुक्त हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की है।

हमने यह लेखा परीक्षा सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत (लेखा परीक्षा मानक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया इंस्टीट्यूट द्वारा जारी) के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखा परीक्षा की योजना और उस पर कार्यान्वयन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरण मेटीरियल गलत बयानी से मुक्त हो और इस बारे में समुचित आश्वासन मिल सके।

निदेशक मण्डल के उत्तर

लेखा परीक्षा में ऐसी प्रक्रियाओं का निष्पादन होता है जिनसे वित्तीय विवरणों में दी गयी राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सकें। चुनी गयी प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों में की गयी मेटीरियल गलत बयानी, चाहे वह धोखा-धड़ी के कारण हुई हो या त्रुटि से, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है। इन जोखिमों का निर्धारण व मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो कम्पनी के वित्तीय विवरण तैयार करने और उन्हें समुचित रूप से प्रस्तुत करने की दृष्टि से प्रासंगिक हो जिससे ऐसी लेखा परीक्षाएं डिजाइन की जायें जो विद्यमान परिस्थिति में उपयुक्त हों। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत उपर्युक्त लेखा नीतियों की समुचितता और प्रबंधन द्वारा लगाये गए लेखा अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे पर्याप्त हैं और लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से समुचित है।

राय

लेखाओं पर टिप्पणी संख्या क. 8(ग) का अवलोकन करें जो निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के लिए 19.66 करोड़ रुपये और निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए 7.01 करोड़ रुपये के आयकर और 12.20 करोड़ रुपये की आस्थगित कर देयता के लिए प्रावधान नहीं किये जाने के बारे में है जिसके लिए हमारी राय में प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों संबंधी लेखा गणना मानकों (एएस-29) के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान न किये जाने के कारण चालू वर्ष के आय-व्यय लेखा में 38.87 करोड़ रुपये का अधिशेष अधिक दिखाया गया है और तुलन पत्र में आरक्षित और अधिशेष में 38.87 करोड़ रुपये अधिक दिखाया गया है, अल्पावधि प्रावधानों में 24.36 करोड़ रुपये का कम प्रावधान किया गया है, दीर्घकालिक प्रावधानों (आस्थगित कर देयता) के अन्तर्गत 12.20 करोड़ रुपये कम दिखाये गये हैं और

ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 2.30 करोड़ रुपये अधिक दिखाये गये हैं। पूर्वोक्त के अध्यधीन हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरणों में अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी यथापेक्षित ढंग से दी गयी है जो भारत में लेखा गणना के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित के संबंध में सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करती है।

i) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2013 को यथास्थिति कम्पनी की वास्तविक स्थिति के बारे में।

ii) आय एवं व्यय लेखे के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के बारे में।

iii) कैश फ्लो विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के बारे में।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1950 की धारा 25 के अन्तर्गत परिचालन के लिये लाइसेंस प्राप्त है। तदनुसार कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकटन लागू नहीं होता।

   (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में जहां तक इन लेखा पुस्तकों का हमारी समीक्षा से ज्ञात होता है, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा पुस्तकें तैयार रखी हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और कैश फ्लो विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   (घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, आय व्यय लेखा तथा कैश फ्लो विवरण में कम्पनी अधिनियम 1956

की धारा 211 की उपधारा (3सी) में उल्लिखित लेखा गणना मानकों का अनुपालन किया गया है तथा निम्नलिखित के अध्यधीन यथापेक्षित रीति से कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी:-

i) कम्पनी ने जैसा कि 'राय' नामक पैरा में बताया गया है, आय कर गणना संबंधी लेखा गणना मानकों (एएस-22) और कर देयता के संबंध में प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों संबंधी मानकों (एएस-29) का अनुपालन नहीं किया है।

ii) लेखाओं की टिप्पणी संख्या 8(एफ) का अवलोकन करें जो प्रोमोटर्स अर्थात् आईटीपीओ और टिडको द्वारा पूंजी व्यय के संबंध में व्यय की गयी राशि के सम्बंध में है जिसे प्रमोटरों द्वारा इस मामले में निर्णय होने तथा अन्तिम रूप दिये जाने तक 'अप्रतिभूत ऋण' के रूप में दर्शाया गया है।

iii) टिप्पणी ए-11 का अवलोकन करें जो तीसरे पक्षकारों के इतिशेष की पुष्टि के बारे में है।

(ङ) विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा परिपत्र संख्या 2/5/2001 - सीएलवी - सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) का निदेशकों की निरर्हता संबंधी, सरकारी कम्पनी होने के कारण लागू नहीं होता।

(च) चूंकि कम्पनी ने उस दर के बारे में न तो कोई अधिसूचना जारी की है जिस पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अन्तर्गत उपकर का भुगतान किया जाना है और न ही

''यह स्पष्ट करने का संकल्प किया गया कि कम्पनी ने आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के उपबंधों को चुनौती देने और तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन पर आय कर लगाने को चुनौती देने के लिये माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। चूंकि कम्पनी को अपने मामले का बचाव होने की आशा है। अतः वार्षिक लेखाओं में आयकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इस संबंध में लेखा गणना नीति ए(के) तथा वार्षिक लेखाओं की टिप्पणी संख्या क 8 (ग) द्वारा स्थिति समुचित रूप से स्पष्ट कर दी गयी है।''

उक्त धारा के अन्तर्गत ऐसा कोई नियम जारी किया है जो उस रीति को विहित करता हो जिससे ऐसे उप कर का भुगतान किया जाना है, अतः कम्पनी द्वारा तथा कम्पनी पर कोई उपकर देय नहीं है।

कृते नटराज एसोसिएट्स
चार्टरित लेखाकार
रजि. सं. 002440 एस

ह./-
(पी. एम. कृष्ण)
साझेदार
सदस्यता संख्या 10739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 8 अगस्त, 2013

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई के 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं के बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार **तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई के 31 मार्च 2013** को समाप्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबन्धन की है । कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का कार्य अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ट एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के अधार पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। ऐसा उनके द्वारा **8 अगस्त 2013** की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया बताया गया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से **31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई** के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय किया है और इसलिये मुझे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./ –
(एम. वी. राजेश्वरी)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
लेखा परीक्षा बोर्ड के भूतपूर्व पदेन सदस्य

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 23.09.2013

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक कम्पनी के 1.04.2012 से 31.3.2013 तक की अवधि के परीक्षित लेखाओं सहित कार्यनिष्पादन की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

परिचालन

कम्पनी के 12वें तुलन पत्र में 1.4.2012 से 31.03.2013 तक किए गए लेन-देन में ए.सी. रख-रखाव व्यय, फोन, सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग सुविधाएं, प्रबंधकीय सेवाएं, जल एवं विद्युत खपत प्रभार, प्रबंध निदेशक तथा महाप्रबंधक (अनुरक्षण एवं परिचालन) का वेतन तथा अन्य विविध व्यय शामिल हैं। वर्ष के दौरान कुल परिचालन आय गत वर्ष के 7.07 करोड़ रुपये की तुलना में 8.69 करोड़ रुपये रही। वर्ष के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष के 4.23 करोड़ रुपये (जिसमें एचटी पावर लाइनों को शिफ्ट करने हेतु के पी टी सी एल को प्रदत्त 121.23 लाख रुपये शामिल हैं) की तुलना में 2.95 करोड़ रुपये (0.99 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास सहित) हुआ। कम्पनी ने कारपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स, बैंक आफ बड़ौदा और विजया बैंक में जमा राशि पर 1.99 करोड़ रुपये ब्याज कमाया। कम्पनी ने 147.40 लाख रुपये के सम्पत्ति कर (पहले के वर्षों के कर सहित) हेतु व्यवस्था की है जो छूट पर पुनर्विचार के अभाव में पिछले छः वर्ष से लम्बित था। कम्पनी ने पिछले वर्ष के दौरान 8.84 करोड़ रुपये के मुकाबले 2012-13 के दौरान 14.58 करोड़ रुपये का कर-पूर्व संचयी अधिशेष कमाया।

कार्य निष्पादन में सुधार

1.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान थर्ड पार्टी आयोजनों के रूप में कुल 35 मेले / प्रदर्शनियां/सम्मेलन आयोजित किये गये और उनसे किराए के रूप में पिछले वर्ष के 4.66 करोड़ रुपये की तुलना में 5.57 करोड़ रुपये अर्जित किए गये। केन्द्र के उपयोग में सुधार हुआ है और पिछले वर्ष के 127 दिन की तुलना में इस वर्ष पहली बार यह उपयोग 149 दिन रहा। कम्पनी के आरम्भ होने के समय से अब तक का यह सर्वोच्च उपयोग है तथा पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष के दौरान 23 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि के साथ प्रभावशाली कार्य-निष्पादन दर्ज किया गया। इस दौरान होने वाले कार्यकलापों में सैप लैब्स इण्डिया प्रा. लि., आदित्य बिड़ला नूवो लि., थाइलैंड ट्रेड आफिस, इण्डियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन (आईपीसीए), माइक्रोसाफ्ट एपीपी फैस्ट, कर्नाटक सरकार की आई टी-बी टी प्रदर्शनी, मैसर्स एक्सपो इण्डिया एग्जीबिशन्स प्रा. लि., मैसर्स व्हाइट फील्ड एरिया कामर्स ऐण्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वोल्बो इण्डिया प्रा. लि. तथा अन्य कार्पोरेट वार्षिक दिवस कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

सावधि जमा

कम्पनी ने आम जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है।

निदेशक

वर्ष के दौरान श्रीमती रीता मेनन, आई ए एस; श्री नीरज कुमार गुप्ता, आई ए एस; श्री एम एन विद्या शंकर, आई ए एस; श्री के ज्योति रामालिंगम, आई ए एस; डा. राजकुमार खत्री, आई ए एस; श्री एम बी दयाबेरी, आई ए एस; श्री महेश्वर राव, आई ए एस; श्री ए.के. खन्ना और श्री सुनील कुमार शर्मा कम्पनी के निदेशक थे। श्री सी. वीरभद्रैया, प्रबंध निदेशक हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

आपके निदेशकगण सदस्यों को यह सूचित करना चाहते हैं कि वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरणों वाले परीक्षित लेखे कम्पनी अधिनियम की अपेक्षाओं के पूर्णतः अनुरूप हैं और उन्हें विश्वास है कि वित्तीय विवरण, वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन के आकार व स्वरूप को सही तरह से प्रदर्शित करते हैं और कम्पनी की सही वित्तीय स्थिति एवं संचालन परिणाम प्रस्तुत करते हैं। कम्पनी के वित्तीय विवरण

की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स एम. के. भंसाली ऐण्ड कम्पनी, चार्टरित लेखाकार, बंगलौर ने की है जिसकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने की थी।

आपके निदेशक यह भी पुष्टि करते हैं कि:-

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है।

(ii) लेखाकरण नीतियां सुसंगत ढंग से अपनाई गई हैं और उपयुक्त, विवेकपूर्ण व न्यायसंगत हैं तथा प्राक्कलन इस प्रकार से किए गए हैं कि वित्त वर्ष के अन्त में कम्पनी के कार्यकलापों की सही और स्पष्ट स्थिति दिखाई दे।

(iii) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा उन्हें घपले व अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए निदेशकों ने सही एवं उचित सावधानी बरती है।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए हैं।

धारा 217(1) (ङ) और धारा 217 (2क) के अन्तर्गत जानकारी

धारा 217(1) (ङ) के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी आत्मसात्करण और ऊर्जा संरक्षण पर देय जानकारी शून्य तथा विदेशी मुद्रा में किये गये व्यय पर देय जानकारी शून्य है। धारा 217 (2क) के अन्तर्गत देय जानकारी भी शून्य है क्योंकि कम्पनी का कोई भी कर्मचारी 2,00,000 रु. या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383(क) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी ने कम्पनी अनुपालन प्रमाण पत्र नियमावली, 2001 में यथानिर्धारित प्रैक्टिस कर रहे कम्पनी सचिव से 2012-13 का सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ जोड़ दिया गया है।

लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 22(8) (क क) के साथ पढ़ी गई धारा 619 के अनुसार लेखा परीक्षकों का मानदेय वार्षिक आम बैठक में तय किया जाना है जो 30.09.2013 को या इससे पहले आयोजित की जानी है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखा परीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य द्वारा दिनांक 13.08.2013 के अपने पत्र सं. रिपोर्ट पीडीसीए/एचवाईडी/एसीडेस्क/केटीपीओ 2012-13/1.51/272 में शून्य टिप्पणियां की गयी हैं जो निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दी गई हैं।

आभार

आपके निदेशक कम्पनी को दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कर्नाटक सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, के आई ए डी बी तथा आई टी पी ओ/के टी पी ओ के निदेशक, अधिकारियों / कर्मचारियों, अध्यक्ष एवं निदेशकों के अथक प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(श्रीमती रीता मेनन)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.08.2013

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुपालन प्रमाण-पत्र

सदस्य गण,

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

(धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी)

प्लाट नं. 121, ई पी आई पी इण्डस्ट्रियल एरिया

व्हाइटफील्ड

बंगलौर-560066

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथासंशोधित) की धारा 383-क के परन्तुक के अुनसार **सचिवीय अनुपालन प्रमाणपत्र** जारी करने के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि:-

(क) **कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक द्वारा दिनांक **06.12.2000 को जारी निगमन प्रमाणपत्र संख्या 08/यू92490केए2000एनपीएलओ28328** द्वारा किया गया है। **यह कम्पनी धारा 25 के अन्तर्गत गठित है और इसे क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग, चेन्नई से दिनांक 23.10.2000 को लाइसेंस संख्या 2/बी 8008/2000 मिला है।**

(ख) मैंने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के **01.04.2012 से 31.03.2013** तक के रिकार्डों की जांच कर ली है तथा मैं प्रमाणित करता हूं कि कम्पनी ने उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का सही ढंग से पालन किया है।

(ग) कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी **50,00,000 रुपये (पचास लाख रुपये)** थी जिसे **1000 रुपये (एक हजार रुपये)** प्रति शेयर मूल्य के **5,000 (पांच हजार)** इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। इसे दिनांक **31.03.2004** को हुई असाधारण आम बैठक **(ईजीएम)** में बढ़ाकर **20,00,00,000 रु. (बीस करोड़ रु.)** कर दिया है जिसे **1000 रुपये (एक हजार रुपये)** प्रति शेयर मूल्य के **2,00,000 (दो लाख)** इक्विटी शेयरों में बांट दिया गया है। कम्पनी के पास **50,00,000 रुपये (पचास लाख रुपये)** की जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी है जिसे **1000 रुपये (एक हजार रुपये)** प्रति शेयर मूल्य के **5,000 (पांच हजार)** इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। समस्त शेयर पूंजी **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** (भारत सरकार का उद्यम) और **कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड** (कर्नाटक सरकार का उपक्रम) के पास है।

मैंने **कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** (कम्पनी) के दिनांक **01.04.2012 से 31.03.2013** तक की अवधि के रजिस्टरों, रिकार्डों, लेखाबहियों और कागजों की जांच कर ली है जो कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाये गये कम्पनी के ज्ञापन एवं अन्तर्नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है।

मेरे विचार से एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मेरे द्वारा की गई जांच के अनुसार और कम्पनी, इसके अधिकारियों एवं एजेन्टों द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त वित्त वर्ष के सम्बन्ध में, मैं प्रमाणित करता हूं कि:-

01. रजिस्टरों का रख-रखाव

कम्पनी ने वे सभी रजिस्टर तैयार किये हुए हैं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत किसी लिमिटेड कम्पनी को रखने होते हैं।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन एससीसी 2012-13
सांविधिक रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
01.	ऐसे शेयरों अथवा प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों का रजिस्टर जो कम्पनी के नाम पर नहीं हैं।	49(7) और (8)	तैयार किया गया है। कम्पनी ने शेयरों या प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया है, इसीलिए कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
02.	जमा राशियों का रजिस्टर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल की गयी जमा राशियों की रिटर्न	58 ए कम्पनी स्वीकृति जमा नियमावली 1975	तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई क्योंकि कम्पनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।
03.	शेयरों की पुन: खरीद का रजिस्टर	77 ए	तैयार किया गया है। कोई प्रविष्टि नहीं की गई क्योंकि शेयरों की पुन: खरीद नहीं की गई है।
04.	विभेदक अधिकारों वाले शेयरधारकों का रजिस्टर तथा विभेदक अधिकारों वाले सदस्यों की सूची	86 और विभेदक वोटिंग अधिकार नियमावली 2001 सहित शेयर प्रमाणपत्र के कम्पनी इश्यू	कम्पनी के पास विभेदक अधिकारों वाले कोई शेयर नहीं है।
05.	प्रभारों, जिनके पंजीकरण की आवश्यकता हो, का सृजन करने वाले प्रत्येक लिखत की प्रति	136	कम्पनी ने किसी भी प्रभार का सृजन नहीं किया है।
06.	बनाये गये प्रभारों का रजिस्टर - प्रभारों का सृजन करने वाले लिखतों की प्रतियां	143(1)	तैयार किया गया है। ऊपर क्रम संख्या 05 की टिप्पणी को देखते हुए रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।
07.	सदस्यों का रजिस्टर	150(1)	तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में उचित और आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं।
08.	सदस्यों की सूची का रजिस्टर, यदि वे पचास से अधिक हों	151(1)	तैयार किया गया है।
09.	डिबेंचर धारकों का रजिस्टर	152(1)	तैयार किया गया है। कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया, अत: कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
10.	कम्पनी के डिबेंचर धारकों की सूची का रजिस्टर, यदि कम्पनी के डिबेंचर धारकों की संख्या पचास से अधिक हो।	152(2)	कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किये हैं। अत: यह रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
11.	डिपोजिटरी द्वारा बनाये गए लाभप्रद मालिकों (सदस्यों) और डिबेंचर धारकों की सूची और रजिस्टर	152 ए	कम्पनी ने डिमेट फार्म के अंतर्गत कोई भी शेयर जारी नहीं किये हैं।
12.	विदेशी सदस्यों और डिबेंचर धारकों का रजिस्टर	157(1) 158	कम्पनी ने विदेशी सदस्यों का रजिस्टर नहीं बनाया है क्योंकि इसका कोई भी सदस्य विदेशी नहीं है।
13.	धारा 159 / 160 के तहत तैयार वार्षिक रिटर्नों की प्रतियां तथा धारा 160 और 161 के तहत उसके साथ आवश्यक अनुलग्नक प्रमाणपत्रों और कागजातों की प्रतियां	163(1)	तैयार की गयी हैं।
14.	निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1)	तैयार की गयी हैं। अद्यतन प्रविष्टियां की गई हैं।
15.	आम बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1) 196(1)	कम्पनी ने आम बैठकों के कार्यवृत्त रजिस्टर रूप में रखे हैं।
16.	लेखे और अन्य लागत रिकार्डों आदि की बहियां	209(1)	तैयार किए गए हैं। अधिनियम में कम्पनी के व्यापार के संबंध में कोई लागत लेखा परीक्षा निर्धारित नहीं की गयी है।
17.	उन निदेशकों की कम्पनियों एवं फर्मों के साथ किये गये करारों का रजिस्टर जिनमें निदेशकों के हितबद्ध हैं।	301(1)/(5)	कम्पनी ने धारा 297/299 के अन्तर्गत आने वाला कोई करार नहीं किया है, अत: कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
18.	प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धक, सचिव और निदेशकों का रजिस्टर	303(1)/304(1)	तैयार किया गया है।
19.	निदेशकों की शेयरधारिताओं का रजिस्टर	307(1)/(5)	तैयार किया गया है।
20.	निवेशों अथवा ऋणों का रजिस्टर	372क	तैयार किया गया है।
21.	रजिस्टरों एवं रिटर्नों को रखने तथा निरीक्षण करने का स्थान	163	रजिस्टर इसके पंजीकृत कार्यालय- प्लाट नं. 121, ई पी आई पी, इण्डस्ट्रियल एरिया, व्हाइटफील्ड, बेंगलूरू-560066 में रखे गए हैं।

गैर-सांविधिक रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
01.	निदेशकों की उपस्थिति का रजिस्टर	तालिका (क) के 71 के विषय में	बैठकों में उपस्थित निदेशकों के हस्ताक्षर रजिस्टर में लिए गए हैं।
02.	शेयर हस्तान्तरणों का रजिस्टर		तैयार किया गया है।
03.	डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्रों का रजिस्टर	शेयर प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी नियमावली 1960 का नियम 7	कम्पनी ने कोई डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।
04.	शेयर आवेदन एवं आबंटन पुस्तिका	धारा 75	तैयार की गयी है।
05.	शेयर वारण्ट		कम्पनी ने कोई शेयर वारण्ट जारी नहीं किया है।
06.	हितभागी ब्याज का रजिस्टर	187(ग)	यह कम्पनी सरकारी कम्पनी होने के कारण इस पर लागू नहीं होता।
07.	इच्छापत्र प्रमाण, प्रशासन पत्र एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्रों आदि जैसे विधिक अभ्यावेदनों का रजिस्टर		ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया इसीलिए तैयार नहीं किया गया है।
08.	स्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर	सी ए आर ओ	तैयार किया गया है।

02. विवरणियां दाखिल करना

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने वे विवरणियां और फार्म जमा किये हैं जो विभिन्न धाराओं के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होते हैं।

03. पूंजी की पर्याप्तता एवं सदस्यों की न्यूनतम संख्या - धारा 3(i)

लागू नहीं होता।

04. निदेशक मण्डल की बैठकें - धारा 285, 286, 287, 288 और 289

कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 285, 286, 287, 288 एवं 289 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष (01.04.2012-31.03.2013) के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठकें निम्नलिखित प्रकार से हुई :-

क्र.सं.	दिनांक	वर्ष में की गयी बैठकों की संख्या
01	21.06.2012	बोर्ड की दो बैठकें
02	3.12.2012	

टिप्पणी: कम्पनी धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है तथा दिनांक 01.07.1961 की अधिसूचना संख्या का. आ.-1578 के अनुसार, कम्पनी छः महीने में एक बार निदेशक मण्डल की बैठक कर सकती है, क्योंकि धारा 285 कम्पनी पर लागू नहीं होती।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

05. सदस्यों के रजिस्टर को बन्द करना : धारा 154

कम्पनी ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान सदस्यों का रजिस्टर बन्द नहीं किया है।

06. वार्षिक आम बैठकें: धारा 166, 171, 172(1) (2) और (3) तथा 210

कम्पनी ने दिनांक 07.09.2012 की अपनी वार्षिक आम बैठक, अपने पंजीकृत कार्यालय में की तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 166 और 210 के वार्षिक आम बैठक करने संबंधी प्रावधानों का पालन किया है।

07. असाधारण आम बैठकें : धारा 169

वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई असाधारण आम बैठक नहीं की।

08. निदेशकों को ऋण : धारा 295

कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

09. ऐसे करार जिनमें निदेशकों के हितबद्ध हों : धारा 297

कम्पनी ने ऐसा कोई करार नहीं किया जिसमें निदेशकों के हितबद्ध हों और जो धारा 297 के तहत आता हो।

10. करारों के रजिस्टर का रख-रखाव : धारा 301

रजिस्टर तैयार किया गया है लेकिन कोई प्रविष्टि नहीं की गई है क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें धारा 297 की उप-धारा (1) एवं (3) लागू होती हो (अधिसूचना संख्या का. आ. 1578 दिनांक 01.07.1961)।

11. अनुमोदन : धारा 314

कम्पनी पर धारा 314 के अन्तर्गत प्रस्ताव पारित करना या अनुमोदन लेना लागू नहीं होता क्योंकि कोई भी निदेशक या निदेशक का रिश्तेदार कार्यालय में अथवा लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।

12. डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना : कम्पनी (शेयर प्रमाण पत्र जारी करना) नियमावली 1960

कम्पनी ने किसी प्रकार का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।

13. (क) शेयर प्रमाणपत्रों का वितरण : धारा 113

वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का आबंटन नहीं किया।

(ख) लाभांश राशि जमा करना, लाभांश अधिपत्रों की प्रविष्टि, अप्रदत्त लाभांश का निवेशकों की शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरण: धारा 205

धारा 25 कम्पनी होने के नाते यह कम्पनी लाभ की राशि न तो बाँट सकती है और न ही लाभांश की घोषणा कर सकती है और इसलिए इस नियम के अनुपालनार्थ रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

(ग) निदेशकों की रिपोर्ट के सम्बन्ध में धारा 217 की अपेक्षाएं पूरी करना : धारा 217

वर्ष के दौरान कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट सम्बन्धी धारा 217 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

14. निदेशकों की नियुक्ति - संस्था के अन्तर्नियम : धारा 252

प्रतिवेदन से संबंधित वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति तथा कार्यकाल समाप्ति में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं तथा वर्तमान निदेशक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति की तारीख	डीआईएन सं./टिप्पणी
01.	श्री सी. वीरभद्रैय्या प्रबंध निदेशक	08.02.2011	-	03444193
02.	श्री एम. महेश्वर राव निदेशक	10.11.2011	-	00324069
03.	श्रीमती रीता मेनन निदेशक	03.01.2012	-	00543058
04.	श्री राजकुमार खत्री निदेशक	10.01.2012	-	00540983
05.	श्री सुनील कुमार शर्मा नामिती निदेशक	03.02.2012	-	05210126
06.	श्री एम. बी. दयाबेरी नामिती निदेशक	17.03.2012	-	02474471
07.	श्री एम. एन. विद्या शंकर निदेशक	21.06.2012	-	01023267
08.	श्री मलय श्रीवास्तव नामिती निदेशक	18.03.2013	-	03613917
09.	श्री असित कुमार त्रिपाठी नामिती निदेशक	10.12.2012	18.03.2013	00223496
10.	श्री के. ज्योतिरामालिंगम निदेशक	20.05.2011	21.06.2012	01869270
11.	श्री नीरज कुमार गुप्ता निदेशक	05.02.2009	10.12.2012	02973442
12.	श्री ए. के. खन्ना निदेशक	16.01.2008	28.02.2013	02937485

15. प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्धक की नियुक्ति : संस्था के अन्तर्नियम

प्रबन्ध निदेशक पद पर 8.02.2011 से श्री सी. वीरभद्रैय्या की नियुक्ति की गयी है। वह प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

16. सोल सैलिंग एजेन्टों की नियुक्ति : धारा 294(क)

कम्पनी ने सैलिंग एजेन्टों की नियुक्ति नहीं की है।

17. विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित स्वीकृति

ऐसा कोई मामला नहीं था जिसके लिए विभिन्न प्राधिकरणों से स्वीकृति अपेक्षित हो।

18. निदेशकों द्वारा हित की घोषणा : धारा 299

चूंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत गठित है, अत: निदेशकों द्वारा हित की घोषणा से संबंधित धारा 299 के प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में लागू होते हैं जिनमें अधिसूचना संख्या एस ओ / 1578 / 01.07.1969 के अनुसार धारा 297 की उपधारा (1) और (3) लागू होती है। कम्पनी ने ऐसी कोई संविदा नहीं की है जो धारा 297 या उपधारा (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत आती हो। इसलिए धारा 299 के तहत निदेशकों द्वारा घोषणा का प्रश्न ही नहीं उठता।

19. वित्त वर्ष के दौरान जारी शेयर प्रमाणपत्र, डिबेन्चर और अन्य प्रतिभूतियां : धारा 113

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई भी इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किया।

20. शेयरों की पुन:खरीद : धारा 77(क)

कम्पनी ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान किसी भी शेयर की पुन: खरीद नहीं की है।

21. अधिमानी शेयरों एवं डिबेंचरों का रिडम्पशन: धारा 81

कम्पनी ने अधिमानी शेयर जारी नहीं किए हैं। अत: इस मद के बारे में रिर्पोटिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

22. ट्रांसफरों के पंजीकरण होने तक लाभांश, राइट शेयरों, बोनस शेयरों को आस्थगित रखना : धारा 206 (क)

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला या अवसर नहीं आया।

23. जमा राशि लेना - कम्पनी (जमा राशि लेने के नियम) 1960 के साथ पढ़ी गयी धारा 58(क)

कम्पनी ने आम जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है।

24. कम्पनी द्वारा उधार लिया जाना : धारा 292 और 293 (1)(घ)

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं लिया।

25. अंतर निगम ऋण एवं निवेश : धारा 372(क)

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 372 क के तहत कोई अंतर निगम ऋण नहीं लिया और न ही निवेश किया है।

26. ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेण्डम : पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के संबंध में : धारा 17

वर्ष के दौरान कम्पनी ने मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के धारा-ii से सम्बन्धित अपने मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खण्ड में परिवर्तन : धारा 17

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने उद्देश्यों में कोई संशोधन नहीं किया है।

28. कम्पनी के नाम में परिवर्तन : धारा 21

वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपना नाम नहीं बदला।

29. शेयर पूंजी में परिवर्तन : धारा 94

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी प्राधिकृत पूंजी में कोई वृद्धि नहीं की है।

30. संस्था के अन्तर्नियमों में परिवर्तन : धारा 31

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने संस्था के अन्तर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया।

31. अभियोजन, जुर्माना और अर्थदण्ड

कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी पर न तो कोई अभियोजन लगाया गया और न ही कम्पनी ने किसी जुर्माने या अर्थदण्ड का भुगतान किया।

32. कर्मचारी प्रतिभूतियां : धारा 417

कम्पनी ने कर्मचारियों से कोई प्रतिभूति प्राप्त नहीं की।

33. भविष्य निधि की राशि जमा करना : धारा 418

कम्पनी में भविष्य निधि योजना लागू नहीं होती है।

34. सामान्य

यह प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय उपलब्ध करायी गयी सूचना और निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराये गये

- ✓ **सांविधिक रजिस्टर,**
- ✓ **फाइल किये गये ई-फार्मों की प्रतियां,**
- ✓ **बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त,**
- ✓ **आम बैठकों के कार्यवृत्त और**
- ✓ **अन्य संगत दस्तावेजों, बही खाते आदि**

वर्ष 2012-13 के लिये सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिये हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर जारी किया गया है।

कृते एम. आर. गोपीनाथ
कम्पनी सचिव

ह./-
(एम. आर. गोपीनाथ)
एफ सी एस 3812 / सी पी 1030

दिनांक: 23.07.2013
स्थान: बंगलौर

अनुबंध-क

अनुपालन प्रमाण पत्र

धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी

कम्पनी द्वारा बनाए गये रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	धारा
01.	निवेशों का रजिस्टर ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों में निवेश का रजिस्टर जो कम्पनी के नाम पर आहरित नहीं है।	49(7) और (8) 49
02.	जमा राशियों का रजिस्टर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई जमा राशियों की रिटर्नें	58क कम्पनियों द्वारा जमा की स्वीकृति सम्बन्धी नियमावली 1975
03.	शेयरों की पुन: खरीद का रजिस्टर	77 क
04.	विभेदक अधिकारों वाले शेयरधारकों का रजिस्टर तथा विभेदक अधिकारों वाले सदस्यों की सूची	86 तथा कम्पनी द्वारा विभेदक वोटिंग अधिकारों वाले शेयर प्रमाणपत्र जारी करने सम्बन्धी नियमावली 2001
05.	ऐसी प्रत्येक लिखित की प्रति जो प्रभारों का सृजन करने वाली हो तथा जिनका पंजीकरण अपेक्षित हो	136
06.	प्रभारों का रजिस्टर - प्रभारों का सृजन करने वाले लिखितों की प्रतियां	143(1)
07.	सदस्यों का रजिस्टर	150(1)
08.	धारा 159/160 के तहत तैयार वार्षिक विवरणियों की प्रतियां तथा धारा 160 और 161 के तहत उसके साथ अपेक्षित अनुलग्नक प्रमाणपत्रों और कागजातों की प्रतियां	163(1)
09.	निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1)
10.	आम बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1) और 196(1)
11.	बही खाते और अन्य लागत रिकार्ड आदि	209(1)
12.	निदेशकों और ऐसी कम्पनियों एवं फर्मों के साथ किये गये करारों का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं।	301(1)/(5)

13.	प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धक, सचिव और निदेशकों का रजिस्टर	303(1)/304(1)
14.	निदेशकों की शेयरधारिताओं का रजिस्टर	307(1)/(5)
15.	किए गए निवेशों या ऋणों का रजिस्टर	372 क

अनुबंध-ख

01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास जमा किए गए फार्म एवं रिटर्नें:

क्र.सं.	फार्म	एस आर एन नं.
06.12.2012	फार्म सं. 21ए - 2011-12	क्यू03949799
22.02.2012	फार्म सं. 23एसी - 2011-12	पी91535518
04.10.2012	फार्म सं. 66 - 2011-12	पी89334627
19.06.2012	फार्म सं.-32 एपीपी - एम.बी. दयाबेरी – 17.03.2012	बी41483397
10.07.2012	फार्म सं.-32 एपीपी -एम.एन. विद्याशंकर – 21.06.2012	बी42908186
10.12.2012	फार्म सं.-32 एपीपी - असित कुमार त्रिपाठी – 10.12.2012	बी71631204
10.07.2012	फार्म सं. 32 के. ज्योतिरामालिंगम - सीईएसएस – 21.06.2012	बी42918144
10.12.2012	फार्म सं. 32 नीरज कुमार गुप्ता - सीईएसएस – 10.12.2012	बी71631204
01.04.2013	फार्म सं. 32 असित कुमार त्रिपाठी - सीईएसएस – 18.03.2013	बी71661136
01.04.2013	फार्म सं. 32 मलय श्रीवास्तव - एपीपी/18.03.2013	बी71661136

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष

शून्य

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष

शून्य

एम.आर. गोपीनाथ
रुकमिनी, । फ्लोर
एम.कोम. एलएलबी (स्पेशल), एफसीएस 252/बी, ।। सी मैंन
कम्पनी सेक्रेटरी गिरिनगर । फेस
बंगलौर-85
फोन: 26728442 - 26729012 फैक्स: 26728442 ई-मेल: emmarjee@gmail.com
दिनांक: 19.07.2013

31.3.2013 को यथास्थिति तुलन पत्र

(jkf'k #i;s es)

fooj.k	fVIi.kh l[;k	31.3.2013 dks ;FkkfLFkfr	31.3.2012 dks ;FkkfLFkfr
I. bfDoVh vkSj ns;rk,a			
(1) 'ks;j/kkjdksa dh QM			
(क) 'ks;j iwath	3	50,00,000.00	50,00,000.00
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	4	14,57,97,881.84	8,84,35,279.48
(2) vkoVu gksus rd 'ks;j vkosnu jkf'k	5	9,94,50,000.00	9,94,50,000.00
(3) xSj pkyw ns;rk,a			
दीर्घावधि ऋण	6	7,73,76,949.97	7,73,76,949.97
(4) pkyw ns;rk,a			
(क) अन्य चालू देयताएं	7	2,77,24,905.97	2,37,33,973.87
(ख) अल्पावधि प्रावधान	8	3,54,863.00	1,40,312.00
dqy		**35,57,04,600.78**	**29,41,36,515.32**
II. ifjlEifÙk;ka			
(1) xSj&pkyw ifjlEifÙk;ka			
स्थाई परिसम्पत्तियां			
मूर्त परिसम्पत्तियां	9	8,49,85,544.24	9,48,01,731.24
(2) pkyw ifjlEifÙk;ka			
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10	23,60,36,812.26	17,90,14,018.36
(ख) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	11	2,38,87,706.51	1,12,74,169.95
(ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	12	1,07,94,537.77	90,46,595.77
dqy		**35,57,04,600.78**	**29,41,36,515.32**
टिप्पणी सं. 1 से 28 तक (लेखा गणना नीतियों सहित) वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।			

Ñrs ,oa funs'kd e.My dh vksj ls

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.के. भंसाली ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
(पंजीकरण संख्या 000446एस)

ह./–
(सी. वीरभद्रैया)
प्रबंध निदेशक

ह./–
(एम. महेश्वर राव, आई ए.एस)
निदेशक

ह./–
(महेन्द्र कुमार)
मालिक
सदस्यता संख्या 027218

स्थानः बंगलौर
दिनांक: 18/7/2013

31-3-2013 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

(jkf'k & #i;s e)

fooj.k	fVIi.kh l[;k	31.03.2013 dks lekIr o"kZ dk fy,	31.03.2012 dks lekIr o"kZ dk fy,
pkyw ifjpkyuksa ls			
vk;			
i. परिचालनों से राजस्व	13	6,68,69,838.00	5,63,90,360.00
ii. अन्य आय	14	2,00,17,049.93	1,43,25,682.84
		8,68,86,887.93	**7,07,16,042.84**
iii- dqy jktLo ¼**i$ii**½			
iv- 0;;			
कर्मचारी कल्याण व्यय	15	23,47,090.00	14,71,743.00
वित्त लागत	16	14,861.00	9,714.00
मूल्यह्रास	9	98,57,930.00	1,09,86,998.00
अन्य व्यय	17	1,73,04,404.57	2,98,35,161.15
dqy 0;;		**2,95,24,285.57**	**4,23,03,616.15**
v- 0;; ls vf/kd vk; **(iii-iv)**		**5,73,62,602.36**	**2,84,12,426.69**
vi- dj lEc/kh 0;;			
i) चालू कर		-	-
ii) आस्थगित कर		-	-
vii- vof/k dk fy, vk; **(v-vi)**		**5,73,62,602.36**	**2,84,12,426.69**
ifr bfDoVh 'ks;j vk;			
i) ewy Hkkr		**11,472.52**	**5,682.49**
ii) de dh xbZ		**549.19**	**272.02**

टिप्पणी सं. 1 से 28 तक (लेखा गणना नीतियों सहित) वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

Ñrs ,oa funs'kd e.My dh vksj ls

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम. के. भंसाली ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
(पंजीकरण संख्या 000446एस)

ह./-
(सी. वीरभद्रैया)
प्रबंध निदेशक

ह./-
(एम. महेश्वर राव, आई ए.एस)
निदेशक

ह./-
(महेन्द्र कुमार)
मालिक
सदस्यता संख्या 027218

स्थानः बंगलौर
दिनांक: 18/07/2013

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31.3.2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. कम्पनी की प्रोफाइल

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के माध्यम से तथा कर्नाटक सरकार (के आई ए डी वी के माध्यम से) भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की संयुक्त उद्यम परियोजना है जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 6 दिसम्बर, 2000 को निगमित कम्पनी है। इस संयुक्त उद्यम कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 20.00 करोड़ रुपये हैं जिसमें आई टी पी ओ का और के आई ए डी वी के माध्यम से कर्नाटक सरकार का क्रमश: 51 और 49 प्रतिशत हिस्सा है।

इस कम्पनी का मुख्य कार्य राष्ट्रीय / अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सेमिनारों का आयोजन करना / करने में सहायता करना है ताकि उसके द्वारा क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने के लिये संवर्धन/मंच का सृजन किया जा सके और कर्नाटक के स्थानीय उद्योगों की निर्यात संभावना को बढ़ाने के लिए एम एस एम ई के लिये प्रौद्योगिकी अन्तरण किया जा सके।

धारा 25 के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने के नाते, केटीपीओ द्वारा सृजित अधिशेष का उपयोग पूरी तरह प्रदर्शनी हालों के रखरखाव और मरम्मत तथा उनसे संबंधित सुविधाओं पर तथा उसे संयुक्त उद्यम परियोजना में पुनर्निवेश करके बेहतर सेवा प्रदान करने और व्यापार करने एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिये विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के लिए उपयोग कर लिया जाता है।

2. महत्त्वपूर्ण लेखा-गणना नीतियों का विवरण

(क) लेखा-गणना / तैयार करने का आधार

(i) वित्तीय ब्यौरे प्रचलित गोइंग कंसर्न के आधार पर ऐतिहासिक लागत विधि से तथा लागू लेखा-गणना मानकों के आधार पर तैयार किये गये हैं। कम्पनी लेखा-गणना की मर्केन्टाइल पद्धति अपनाती है और आय एवं व्यय की गणना संचित आधार पर करती है।

(ii) लेखा-गणना नीतियां, जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्यत: स्वीकार्य लेखा-गणना सिद्धान्तों के अनुकूल हैं। कम्पनी ने ये वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से कम्पनी (लेखा गणना मानक) नियमावली, 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत अधिसूचित निहित लेखा गणना मानकों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के संगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिये तैयार किये हैं।

(iii) वित्तीय विवरण अधिसूचना संख्या एस ओ 447 (असाधारण) दिनांक 28.02.2011 के द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची - vi के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

(iv) पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनवर्गीकृत किया गया है और आवश्यक होने पर फिर से तैयार किया गया है।

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पत्तियां वास्तविक लागत अथवा निर्माण लागत में से मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर दिखाई गई हैं।

(ग) मूल्यह्रास/परिशोधन

(i) कम्पनी स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-xiv में विनिर्दिष्ट दरों पर रिटर्न डाउन वैल्यू प्रविधि से लागू करती है।

(ii) स्थायी परिसम्पत्तियों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास उसकी प्राप्ति/निपटान की तिथि से यथानुपात आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

(घ) परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि कोई परिसम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कम्पनी उस परिसम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाती है यदि परिसम्पत्ति से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि या नकद पैदा करने वाली ऐसी इकाई से प्राप्त होने वाली राशि जिससे वह परिसम्पत्ति संबंधित है, उसके वर्तमान मूल्य से कम है तो प्राप्त होने वाली राशि से वह वर्तमान मूल्य की राशि घटा दी जाती है। यह घटाई गई राशि क्षति से हुई हानि मानी जाती है और लाभ-हानि लेखे में उसे मान्यता दी जाती है। यदि तुलन-पत्र की तारीख को ऐसा कोई संकेत है कि यदि पहले निर्धारित क्षति का इस समय विद्यमान नहीं है तो प्राप्त होने योग्य राशि का फिर से निर्धारण किया जाता है और उस परिसम्पत्ति को प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। परन्तु वर्ष के दौरान किसी भी परिसम्पत्ति को ऐसी कोई क्षति नहीं हुई।

(ङ) आय का अभिज्ञान

(i) लाइसेंस शुल्क की गणना प्रदर्शनी सम्पन्न होने के बाद की जाती है।

(ii) अन्य आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(च) व्यय

सभी प्रकार के व्ययों की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(छ) सेवानिवृत्ति लाभों का प्रतिपादन

(i) कम्पनी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। अत: इस समय यह इस कम्पनी पर लागू नहीं है।

(ii) छुट्टी के वेतन तथा ग्रेच्युटी के लिए संगठन पर कोई देनदारी नहीं है क्योंकि इसके कर्मचारी कर्नाटक सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रतिनियुक्तियों पर आये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मामले में छुट्टी के वेतन तथा पेंशन के अंशदान का प्रावधान किया जाता है तथा यह आय एवं व्यय लेखे पर प्रभारित होता है ।

(ज) आयकर

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मिली छूट / कटौती को देखते हुए उपबंध, यदि कोई हो तो, किये जाते हैं। (कृपया देखिये टिप्पणी सं 23)

(झ) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयता ऐसी संभावित देयता होती है जो उन पिछले घटनाक्रम से उत्पन्न होती है जिनका अस्तित्व कम्पनी के नियंत्रण से बाहर की एक या अधिक भावी घटनाओं के होने या न होने से पुष्ट होता है अथवा कोई वर्तमान देयता से सम्पुष्ट होता है जो मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि उस देयता के निपटान के लिए संसाधनों के लिए आउट फ्लो की आवश्यकता होगी। आकस्मिक देयता ऐसे आत्यंतिक दुर्लभ मामलों में भी उपलब्ध होती है जहां ऐसी देयता हो जिसे मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि उसे विश्वसनीय ढंग से नापा नहीं जा सकता। कम्पनी ऐसी किसी आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं देती बल्कि उसके अस्तित्व को वित्तीय विवरणों में प्रकट करती है।

(ञ) विविध व्यय

प्रारंभिक एवं संचालन-पूर्व व्यय, जिस वर्ष में वे व्यय किये गये हैं, उस वर्ष से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि में समान रूप से परिशोधित किए गये हैं।

3. शेयर पूँजी

	31 मार्च 2013 (रुपयों में)	31 मार्च 2012 (रुपयों में)
अधिकृत शेयर		
प्रत्येक एक हजार रुपये मूल्य के 2,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,00,000.00	20,00,00,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 1000 रु. मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 5000 इक्विटी शेयर	50,00,000.00	50,00,000.00

(क) प्रतिवेदनाधीन अवधि के आरम्भ में और समाप्ति पर बकाया शेयरों का समाधान

	31 मार्च 2013		31 मार्च 2012	
इक्विटी शेयर	**संख्या**	**रुपये में**	**संख्या**	**रुपये में**
अवधि के आरम्भ में	5000	50,00,000.00	5000	50,00,000.00
अवधि के दौरान जारी किए गये,	–	–	–	–
अवधि के अंत में बकाया	**5000**	**50,00,000.00**	**5000**	**50,00,000.00**

(ख) इक्विटी शेयरों के साथ जुड़ी शर्तें/अधिकार

कम्पनी में प्रति शेयर 1000 रुपये के सममूल्य वाले केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है।

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 को धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड-क के अन्तर्गत अपने आप को सीमित देयता के साथ पंजीकृत कराया। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 1 के खण्ड ख के अनुसार इसके लाभ की राशि यदि कोई हो, अथवा अन्य आय को इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाएगी और इस लाभ की राशि में से इसके सदस्यों को किसी भी प्रकार के लाभांश की अदायगी करना मना है।

यदि कम्पनी बंद करने या उसे विघटित करने के समय उसके सभी ऋणों और देनदारियों का भुगतान करने के बाद और सरकार की कुल पूंजी लौटाने के बाद यदि कोई राशि या सम्पत्ति जो भी हो, बचती है तो उसे कम्पनी के सदस्यों में वितरित नहीं किया जायेगा बल्कि उसे इसके जैसे उद्देश्यों वाली किसी अन्य कम्पनी को दे दिया जायेगा या अन्तरित किया जायेगा जिसका निर्णय कम्पनी के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(ग) धारक / अंतिमधारक कम्पनी और / या उनकी अनुषंगी कम्पनियों / एसोसिएटों द्वारा धारित शेयर

	31 मार्च 2013 (रुपये में)	31 मार्च 2012 (रुपये में)
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन धारक कम्पनी प्रत्येक 1000 रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 2550 इक्विटी शेयर [31.3.2012 को प्रत्येक 1000 रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 2550 इक्विटी शेयर]	25,50,000.00	25,50,000.00

(घ) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर वाले शेयर धारियों का ब्यौरा

	31 मार्च 2013 (रुपये में)		31 मार्च 2012 (रुपये में)	
	संख्या	धारिता प्रतिशत	संख्या	धारिता प्रतिशत
प्रत्येक 1000 रुपये के पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर				
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, धारक - कम्पनी	2550	51%	2550	51%
कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डैवलपमेंट बोर्ड - सहप्रवर्तक	2450	49%	2450	49%

(ङ) संयुक्त उद्यम के भागीदारों को आबंटन के लिये आरक्षित शेयर (कृपया देखें टिप्पणी सं. 5)

4. आरक्षित और अधिशेष

	31 मार्च 2013 (रुपये में)	31 मार्च 2012 (रुपये में)
आय-व्यय लेखा में अधिशेष		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार बकाया	8,84,35,279.48	6,00,22,852.79
वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय	5,73,62,602.36	2,84,12,426.69
	14,57,97,881.84	**8,84,35,279.48**
कुल आरक्षित और अधिशेष	**14,57,97,881.84**	**8,84,35,279.48**

5. आबंटन होने तक लंबित शेयर आवेदन राशि

31 मार्च 2013 (राशि रु. में)	31 मार्च 2012 (राशि रु. में)
9,94,50,000.00	**9,94,50,000.00**

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा पूंजी अंशदान : के टी पी ओ, आई टी पी ओ और के आई ए डी बी के माध्यम से कर्नाटक सरकार का संयुक्त उद्यम है जिसकी शेयरधारिता क्रमश: 51 व 49 प्रतिशत है। सह प्रवर्तकों द्वारा दिनांक 16.2.1999 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार आईटीपीओ को एक प्रदर्शनी हाल का अंशदान करना था और सहप्रवर्तक कर्नाटक सरकार से अपेक्षा की गयी थी कि वह 50 एकड़ विकसित भूमि और अवसंरचना का अंशदान करेगी। वर्ष 2005-2006 के दौरान सहप्रर्वतकों के बीच में यह सहमति हुई कि वे अपनी अधिकृत पूंजी वृद्धि को 2 हजार लाख तक सीमित रखेंगे। मई 2009 में यह संकल्प किया गया था कि अधिकृत पूंजी को 20 करोड़ रु. से बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया जाय और अधीनस्थ ऋण की 7.73 रु. की राशि को इक्विटि में परिवर्तित कर दिया जाय परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि इस विषय में आई टी पी ओ के निदेशक मण्डल के निर्णय के बारे में आई टी पी ओ से पुष्टि प्राप्त नहीं हो सकी।

31.3.2013 को आई टी पी ओ और के आई ए डी बी के संयुक्त उद्यम करार के अनुसार क्रमश: 2550 और 2450 शेयर हैं जिससे पता चलता है कि उनके पूंजी अंशदान का अनुपात क्रमश: 51 और 49 प्रतिशत है।

इसके अलावा आई टी पी ओ ने वचनबद्ध शेयरपूंजी अंशदान के बकाया के रूप में 9,94,50,000 रुपये का अंशदान किया था परन्तु इस संबंध में अवधि की कोई शर्त नहीं है जिसके पूर्व यह शेयर आवंटित किये जायें। चूंकि के आई ए डी बी द्वारा भूमि और अतिरिक्त अवसंरचना के रूप में के आई ए डी बी द्वारा तदनुरूप पूंजी अंशदान के बारे में अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है इसलिए आबंटन लम्बित रखा गया है। परन्तु शेयर आवेदन राशि के रूप में प्राप्त 9,94,50,000 रुपये के संबंध में आई टी पी ओ को शेयर जारी करने के लिए पर्याप्त प्राधिकृत शेयर पूंजी है। आवंटित किए जाने वाले शेयर बिना प्रीमियम के सममूल्य पर हैं। चूंकि शेयर आवेदन राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है इसलिए यह कोई भी राशि संयुक्त उद्यम करार के अनुसार वापसी योग्य नहीं है।

6. दीर्घावधि ऋण (अनारक्षित)

	31 मार्च 2013 (रुपयों में)	31 मार्च 2012 (रुपयों में)
धारक कम्पनी इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन से ब्याज रहित ऋण	**7,73,76,949.97**	**7,73,76,949.97**

दिनांक 16.02.1999 के संयुक्त उद्यम करार के अनुसार आईटीपीओ को प्रदर्शनी परिसर उपलब्ध कराना था। आईटीपीओ द्वारा केटीपीओ को 2005-06 के दौरान सौंपे गये प्रदर्शनी परिसर की मूल लागत 17,66,85,085.97 रुपये थी जो 2011-12 के दौरान संशोधित होकर 17,93,76,947.97 रुपये हो गयी थी।

बोर्ड की क्रमश: 20.09.2002 और 19.06.2003 को हुई छठीं और सातवीं बैठकों में बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार संबंधित पूंजी अंशदान (20 करोड़ रुपये का 59 एवं 41 प्रतिशत) से अधिक राशि को ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण माना जाना है। कम्पनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है तद्नुसार 7,73,76,949.97 रुपये को अधीनस्थ ऋण के रूप में दिखाया गया है।

7 अन्य चालू देयताएं

	31 मार्च 2013 (राशि रु. में)	31 मार्च 2012 (राशि रु. में)
अन्य देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	13,70,269.25	11,68,977.15
देय निगम कर (कृपया देखें टिप्पणी सं. 25)	1,47,39,722.00	1,23,67,535.00
देय लग्जरी टेक्स	2,64,204.00	---
व्यय के लिए ऋण दाता	41,59,144.00	36,71,583.00
देय टी डी एस	16,255.00	11,305.00
देय वेतन कटौतियां	11,180.00	17,940.00
ग्राहकों और ठेकेदारों से सिक्युरिटी जमा	10,36,400.00	6,36,400.00
धारक कम्पनी की ओर बकाया (व्यय के संबंध में)	61,27,731.72	58,60,233.72
	2,77,24,905.97	**2,37,33,973.87**

8 अल्पावधि प्रावधान

	31 मार्च 2013 (राशि रु. में)	31 मार्च 2012 (राशि रु. में)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	3,54,863.00	1,40,312.00

9. मूर्त परिसम्पत्तियां (कम्पनी के स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां)

	प्रदर्शनी परिसर	संयंत्र एवं मशीनरी	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
लागत अथवा मूल्यांकन						
1 अप्रैल 2011 को	17,86,00,425.97	82,09,258.16	1,83,399.00	5,32,618.00	2,51,966.75	18,77,77,667.88
वृद्धि	26,91,862.00	1,82,982.00	1,66,171.00		1,08,125.00	31,49,140.00
31 मार्च 2012 को	18,12,92,287.97	83,92,240.16	3,49,570.00	5,32,618.00	3,60,091.75	19,09,26,807.88
वृद्धि		5,058.00		-	36,685.00	41,743.00
31 मार्च 2013 को	18,12,92,287.97	83,97,298.16	3,49,570.00	5,32,618.00	3,96,776.75	19,09,68,550.88
मूल्यह्रास						
1 अप्रैल 2012 को	8,32,64,397.89	13,67,289.22	56,210.00	3,57,843.78	92,337.75	8,51,38,078.64
वर्ष के लिए प्रभार	98,70,086.00	9,98,233.00	42,941.00	45,249.00	30,489.00	1,09,86,998.00
31 मार्च 2012 को	9,31,34,483.89	23,65,522.22	99,151.00	4,03,092.78	1,22,826.75	9,61,25,076.64
वर्ष के लिए प्रभार	88,74,665.00	8,69,698.00	45,325.00	33,534.00	34,708.00	98,57,930.00
31 मार्च 2013 को	10,20,09,148.89	32,35,220.22	1,44,476.00	4,36,626.78	1,57,534.75	10,59,83,006.64
निवल ब्लाक						
31 मार्च 2012 को	**8,81,57,804.08**	**60,26,717.94**	**2,50,419.00**	**1,29,525.22**	**2,37,265.00**	**9,48,01,731.24**
31 मार्च 2013 को	**7,92,83,139.08**	**51,62,077.94**	**2,05,094.00**	**95,991.22**	**2,39,242.00**	**8,49,85,544.24**

10 नकदी और बैंक बैलेंस

	31 मार्च 2013 (रुपये में)	31 मार्च 2012 (रुपये में)
i) नकदी और नकदी समतुल्य		
बैंक में बैलेंस		
बचत/चालू खातों लेखों में	(1,64,766.49)	(3,37,577.64)
अपने पास नकदी	7,578.75	13,192.00
उप कुल	**(1,57,187.74)**	**(3,24,385.64)**
ii) अन्य बैंक बैलेंस		
3 महीने से अधिक परन्तु 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा (गैर चालू भाग - शून्य)	23,61,94,000.00	17,93,38,404.00
उप कुल	**23,61,94,000.00**	**17,93,38,404.00**
कुल नकदी और बैंक बैलेंस	**23,60,36,812.26**	**17,90,14,018.36**

11 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

	31 मार्च 2013 (रुपये में)	31 मार्च 2012 (रुपये में)
i) नकदी और वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम (अनारक्षित और ठीक समझे गये)		
क) बैसकाम (बिजली प्रभार)	5,66,766.00	5,47,801.00
ख) ए जी आफिस (छुट्टी नकदीकरण)	1,17,934.00	1,06,136.00
ग) सी पी डब्ल्यू डी (अनुरक्षण कार्य)	42,81,125.00	---
घ) पूर्व प्रदत्त व्यय	5,217.00	---
ङ) टेलिफोन जमा	1,500.00	---
उप कुल	**49,72,542.00**	**6,53,937.00**
ii) अन्य अग्रिम (अनारक्षित किन्तु अच्छे समझे गये)		
क) सेवाकर - इनपुट कर	1,08,973.56	90,250.00
ख) अग्रिम कर (टीडीएस)	1,76,29,182.95	1,05,29,982.95
ग) सेवाकर (जमा) (कृपया देखें टिप्पणी संख्या 24)	11,77,008.00	---
उप कुल	**1,89,15,164.51**	**1,06,20,232.95**
कुल अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (i+ii)	**2,38,87,706.51**	**1,12,74,169.95**

12 अन्य चालू परिसम्पत्तियां

	31 मार्च 2013 (रुपये में)	31 मार्च 2012 (रुपये में)
स्थाई जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	1,07,94,537.77	90,46,595.77
	1,07,94,537.77	**90,46,595.77**

13 परिचालनों से राजस्व

	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये में)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये में)
सेवाओं की बिक्री	6,56,98,652.00	5,58,50,360.00
अन्य परिचालन राजस्व	11,71,186.00	5,40,000.00
	6,68,69,838.00	**5,63,90,360.00**

सेवा प्रदाता का विवरण

	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये में)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये में)
प्रदर्शनी हाल से लाइसेंस फीस, गेट फीस कलैक्शन और यूटिलिटीज के लिए वसूली	**6,56,98,652.00**	**5,58,50,360.00**

14 अन्य आय

	31 मार्च 2013 को (रुपये में)	31 मार्च 2012 को (रुपये में)
ब्याज से आय	1,99,25,940.93	1,42,83,668.84
अन्य गैर-परिचालन आय	91,109.00	42,014.00
	2,00,17,049.93	**1,43,25,682.84**

15 कर्मचारी लाभ व्यय

	31 मार्च 2013 को (रुपये में)	31 मार्च 2012 को (रुपये में)
वेतन	17,53,984.00	12,29,289.00
पेंशन के लिए अंशदान और छुट्टी वेतन	3,02,024.00	1,38,556.00
कर्मचारी कल्याण	2,91,082.00	1,03,898.00
	23,47,090.00	**14,71,743.00**

16 वित्त लागत

	31 मार्च 2013 को (रुपये में)	31 मार्च 2012 को (रुपये में)
बैंक शुल्क	**14,861.00**	**9,714.00**

17 अन्य व्यय

	31 मार्च 2013 को (रुपये में)	31 मार्च 2012 को (रुपये में)
पावर और ईंधन	56,76,231.00	48,81,529.00
भवनों की मरम्मत व रख-रखाव	2,41,663.25	10,12,904.00
संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रख-रखाव	17,35,772.00	19,57,645.00
एच टी पावर लाइन और टावरों का सिफ्टिंग प्रभार	---	1,21,23,000.00
मरम्मत और रख-रखाव - अन्य	11,88,115.00	12,07,464.00
हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी प्रभार	31,54,636.00	30,71,695.00
निगम कर	23,72,187.00	23,72,187.00
जल प्रभार	38,410.00	2,470.00
संचार प्रभार	83,998.44	1,16,483.00
बैण्ड विड्थ प्रभार	4,35,617.00	5,03,797.00
मुद्रण और स्टेशनरी	64,156.00	1,03,281.00
पोस्टेज और कुरियर प्रभार	19,792.00	19,495.00
विज्ञापन और बिक्री संवर्धन	60,000.00	1,23,649.00
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	8,15,206.00	7,00,949.00
यात्रा एवं वाहन	10,65,818.88	7,27,901.00
बीमा	51,268.00	53,033.00
कार्यालय व्यय	2,36,124.00	1,65,342.00
लेखापरीक्षा फीस	35,000.00	25,000.00
बट्टे खाते में डाली गयी गैर वसूली योग्य टी डी एस	---	1,69,833.15
विविध व्यय	1,860.00	5,950.00
पूर्व अवधि की मदें	28,550.00	4,91,554.00
	1,73,04,404.57	**2,98,35,161.15**

लेखापरीक्षक को भुगतान	31 मार्च 2013 को (रुपये में)	31 मार्च 2012 को (रुपये में)
लेखापरीक्षक के रूप में		
लेखापरीक्षक शुल्क	35,000.00	20,000.00
अन्य हैसियत से		
प्रमाणन शूल्क	---	5,000.00
	35,000.00	**25,000.00**
पूर्व अवधि की मदें (टिप्पणी संख्या 17)		
पूर्ववर्ती वर्षों में गलती से आय के रूप में दिखाई गई राशि जो अब प्रत्यावर्तित कर दी गयी है।	---	5,00,000.00
गलती से प्राप्त इनपुट सेवा - कर और बाद में प्रदत्त	---	246
टी डी एस की कम अदायगी	---	30
पूर्ववर्ती वर्षों में गलत दिखायी गयी टी डी एस राशि जो अब ठीक कर दी गयी है	---	2,818.00
पूर्व वर्षो में दिखाया गया अधिक व्यय को ठीक कर लिया गया है	---	(210.00)
2010-11 में गलत टीडीएस को अब ठीक कर दिया गया है	---	(11,330.00)
वित्त वर्ष 2008-09 में वसूल नहीं की गयी टीडीएस के बारे में आयकर विभाग को दी गयी राशि	3,010.00	---
वर्ष 2010-11 के लिये लेखा परीक्षा के संबंध में जेब खर्च की मद में मैसर्स सुधाकर पै एसोसिऐट्स को प्रदत्त राशि जिसके लिये उस वर्ष में प्रावधान नहीं किया गया	10,000.00	---
वर्ष 2011-12 के दौरान वसूल नहीं की गयी टीडीएस राशि की मद में आयकर विभाग के पास जमा की गयी राशि	540.00	---
वर्ष 2011-12 के लिए लेखा परीक्षा फीस के रूप में वाईसीआरजे ऐण्ड एसोसिएट्स को प्रदत्त राशि (कम प्रावधान किया गया)	15,000.00	---
	28,550.00	**4,91,554.00**

18. (i) आय-व्यय लेखा विवरण तैयार करने संबंधी सामान्य अनुदेशों के पैरा 5 (ii), क,ख,घ,ङ और 5 (iii), 5 (viii) क (i और ii) और ग के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गयी है क्योंकि यह कम्पनी निर्माता कम्पनी या व्यापारी कम्पनी नहीं है।

(ii) आय-व्यय लेखा विवरण तैयार करने संबंधी सामान्य अनुदेशों के पैरा 5 (vii) के अनुसार सूचना नहीं दी गयी है क्योंकि कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनियां नहीं हैं।

		31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
(iii)	आयात किये गये सामान का मूल्य - पूंजीगत सामान	शून्य	शून्य
(iv)	रायल्टी, जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श फीस, ब्याज और अन्य मामलों में विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय	शून्य	शून्य
(v)	अप्रवासी शेयरहोल्डरों की कुल संख्या, उनके पास विद्यमान ऐसे शेयरों की कुल संख्या जिन पर लाभांश देय था और जिस वर्ष से वह लाभांश संबंधित था, का विशेष उल्लेख करते हुए लाभांशों की मद में विदेशी मुद्रा में जमा की गयी राशि	शून्य	शून्य
(vi)	विभिन्न शीर्षों अर्थात् फ्री आन बोर्ड के आधार पर परिकलित सामान का निर्यात, रायल्टी, जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क, ब्याज और लाभांश अन्य आय के अन्तर्गत वर्गीकृत विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य

19. **संबंधित पार्टी द्वारा की गयी घोषणा**

संबंधित पक्षकारों का नाम एवं संबंध

संबंधित पक्षकारों जहाँ नियंत्रण विद्यमान है

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन - धारक कम्पनी

कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट बोर्ड - सह प्रवर्तक

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ लेनदेन हुआ है वे संबंधित पार्टियां

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड

संबंधित पार्टी लेनदेन

(क) दिनांक 16.2.1999 के समझौता ज्ञापन के अनुसार लिया गया और वापस नहीं करने योग्य ब्याज मुक्त ऋण (कृपया देखें टिप्पणी संख्या 6)

(रुपये में)

	को समाप्त वर्ष	लिया गया ऋण	वापसी	प्रोद्भूत ब्याज	संबंधित पार्टी की ओर बकाया राशि
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन-धारक कम्पनी	31 मार्च 2013		-	-	7,73,76,949.97
	31 मार्च 2012	26,91,862.00	-	-	7,73,76,949.97

(ख) संबंधित पक्ष को देय राशि (सेवाओं के संबंध में) कृपया देखें टिप्पणी संख्या 7

(रुपये में)

	को समाप्त वर्ष	सेवाओं के लिए	संबंधित पार्टी को देय राशि
i) इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन-धारक कम्पनी	31 मार्च 2013	2,67,498.00	61,27,731.72
	31 मार्च 2012	8,58,870.00	58,60,233.72
ii) कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड-सह प्रवर्तक	31 मार्च 2013	5,00,000.00	31,92,000.00
	31 मार्च 2012	5,00,000.00	26,92,500.00

20. **वचनबद्धताएं**	**31 मार्च 2013 को (रुपये में)**	**31 मार्च 2012 को (रुपये में)**
एलटी पैनल बोर्डों को रिअरेंज करने और (ख) प्रदर्शनी केन्द्र की एक बार की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए ठेके की अनुमानित राशि	1,11,35,660.00	-

21. संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा पूंजी अंशदान

के टी पी ओ, आई टी पी ओ और के आई ए डी बी के माध्यम से कर्नाटक सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें उनकी क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत शेयरधारिता है। सह प्रवर्तकों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार आई टी पी ओ को एक प्रदर्शनी हाल का निर्माण करना था और कर्नाटक सरकार जो सहप्रवर्तक है, को प्रदर्शनी परिसर के लिये आधारभूत संरचना सहित 50 एकड़ विकसित भूमि देनी थी। वर्ष 2005-2006 के दौरान सह प्रवर्तकों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि प्राधिकृत पूंजी वृद्धि को 2000 लाख तक सीमित रखा जाये।

31 मार्च 2013 को आई टी पी ओ ने इक्विटी और शेयर आवेदन राशि के अपने अंश के रूप में 10.20 करोड़ रूपये का अंशदान दे दिया है। इसी तारीख को कर्नाटक सरकार के आई ए डी बी ने 24.50 लाख रूपये नकद तथा पचास एकड़ विकसित भूमि के रूप में अपना अंशदान दे दिया है जिसका मूल्य 10 करोड़ रूपये की एक मुश्त राशि तथा बुनियादी ढांचे के आधार पर निर्धारित किया गया था। लेकिन भूमि और आधारभूत ढांचे के मूल्य को अभी खाते में दिखाया जाना है क्योंकि बी बी एम पी द्वारा सम्पत्ति कर निर्धारण न होने से खाते का अन्तरण के टी पी ओ के नाम में नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल ने दिनांक 29.9.2006 की अपनी 15वीं बैठक में यह संकल्प किया था कि प्रत्येक 1000 रु. मूल्य के 99,450 इक्विटी शेयर आई टी पी ओ को उनके खाते में वर्तमान शेयर आवेदन राशि के आधार पर आबंटित कर दिये जायें। यह भी संकल्प किया गया कि आई टी पी ओ को शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिये जायें और आबंटन की रिटर्न कम्पनी रजिस्ट्रार के यहां दाखिल कर दी जाय। परन्तु आई टी पी ओ को शेयर आबंटित नहीं किये जा सके क्योंकि आई टी पी ओ और कर्नाटक सरकार के आई ए डी बी के बीच एक आन्तरिक करार है कि राशि का निवेश के टी पी ओ में क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की दर से किया जाय। वर्तमान स्थिति में चूंकि के आई डी बी ए ने आधारभूत संरचना की कुल लागत का ब्यौरा नहीं दिया है। अत: भूमि और आधारभूत संरचना का पूंजीकरण लम्बित है और इसीलिए आई टी पी ओ और के आई ए डी बी (कर्नाटक सरकार) को शेयरों का आबंटन भी लम्बित है।

22. के टी पी ओ द्वारा पचास एकड़ विकसित भूमि का कब्जा

समस्त 50 एकड़ भूमि के टी पी ओ के कब्जे में है। के आई ए डी बी ने सम्पूर्ण भूमि के स्वामित्व का विलेख के टी पी ओ को जारी कर दिया है और यह विलेख दिनांक 15-12-2010 के विलेख द्वारा पंजीकृत है। कर्नाटक सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी से पूरी छूट दे दी थी। सम्पत्ति कर का खाता अभी तक के टी पी ओ के नाम में अंतरित नहीं हुआ है। क्योंकि आधारभूत संरचना की कुल लागत का ब्यौरा के आई ए डी बी ने नहीं दिया है। इसलिए भूमि और आधारभूत संरचना लागत का पूंजीकरण लम्बित है।

के टी पी ओ के खाते में प्रदर्शनी परिसर का पूंजीकरण आई टी पी ओ के निर्देशों के आधार पर किया गया। कर्नाटक सरकार (के आई ए डी बी) की भूमि और बाहरी आधारभूत ढांचे की लागत का पूंजीकरण अभी किया जाना है क्योंकि यह खाता के टी पी ओ के नाम में अंतरित नहीं हुआ है।

23. आय कर

(क) संगठन ने आय कर नियम 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2008-09 तक के लिए छूट प्राप्त की थी। इस संगठन ने इस छूट को आगे निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए आगे बढ़ाने का आवेदन किया था जो क्रमश: वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए प्रासंगिक होता। इसके उत्तर में मुख्य आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के अन्तर्गत स्वीकृति का नवीकरण करने के आवेदन को रद्द कर दिया था। परन्तु मुख्य आयकर आयुक्त ने इसके लिए जो कारण बताये थे वे हैं: (क) निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए विलम्ब से आवेदन किया गया क्योंकि आवेदन 4.02.2010 को दिया गया था जो कि 31.3.2009 से पहले दिया जाना चाहिए था। (ख) निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए आवेदन पत्रों को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि कम्पनी के कार्यकलाप आय कर अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित उपबंधों से प्रभावित होते हैं। संगठन ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त के अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी गयी थी। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करके आय कर अधिनियम की धारा 10(23ग) (iv) के अन्तर्गत मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा पारित उन आदेशों को निरस्त कर दिया था और जिससे कम्पनी द्वारा स्वीकृति के पुनर्नवीकरण

को अस्वीकृत कर दिया गया था उसके साथ ही विभाग को यह निर्देश दिया गया था कि वह भविष्य में ऐसा अवसर आने पर पंजीकरण वापस लेने अथवा अन्यथा निर्णय करने का कार्य करें।

वर्ष के दौरान आयकर उपनिदेशक (छूट) बंगलौर ने कर निर्धारण कार्यवाही पूरी कर ली थी और निर्धारण वर्ष 2010-11 के संबंध में निर्धारण आदेश पारित कर दिये थे। दिनांक 25.2.2013 के निर्धारण आदेश में (जो कम्पनी को 12.3.2013 को प्राप्त हुआ था।) निर्धारण अधिकारी ने कहा था कि केटीपीओ कम्पनी अधिनियम की धारा 2 (15) के उपबंध के अन्तर्गत आता है और परिणामत: धारा 11 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा क्लेम की गयी छूट से इन्कार कर दिया था। निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कोई कर देयता नहीं है क्योंकि आय कर उपनिदेशक (छूट) बंगलौर द्वारा पारित निर्धारण आदेश के अनुसार वर्ष के दौरान व्यय से अधिक कोई आय नहीं है। इसके उत्तर में कम्पनी ने 09.04.2013 को बंगलौर में माननीय आय कर आयुक्त (अपील) - v के समक्ष एक अपील दायर करके कहा कि (क) यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित उपबंधों से प्रभावित नहीं होती और (ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 10(23ग) (iv) के अन्तर्गत छूट का दावा करने की हकदार है।

संगठन को 26.02.2013 को आय कर के अपर आयुक्त (टैक.) - i से एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें निर्धारण वर्ष 2003-4 से 2008-9 तक के लिए अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के अन्तर्गत प्रदत्त स्वीकृति को 1.4.2009 से अर्थात धारा 2(15) के संशोधन की तारीख से और उसके बाद के लिए वापस ले लिये जाने का प्रस्ताव किया था। कम्पनी ने 16.4.2013 और 10.5.2013 को इस वापिस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए लिखित आवेदन किया था।

(ख) संगठन ने दिनांक 25.3.2003 के प्रमाण पत्र संख्या डी आई टी (ई)/12ए/वौल्यूम-1/डब्ल्यु 1/के-680/02-03 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 (क) के अन्तर्गत 6-12-2000 के भूतलक्षी प्रभाव से छूट प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। संगठन को आयकर नियम 1961 की धारा 12 क क के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन को रद्द किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। इसके उत्तर में संगठन ने दिनांक 27.4.2011 और 17.10.2011 को औचित्य पत्र दाखिल किये थे और इसके अस्वीकृत प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और इस संबंध में विभाग से और आगे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए आयकर देयता के लिए खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

24. सेवा कर

सेवा कर विभाग द्वारा 2005-6 से लेकर 2007-8 तक के संबंध में की गयी लेखा-परीक्षा के पश्चात् कम्पनी को वर्ष के दौरान अपर आयुक्त, सेवाकर, आयुक्त कार्यालय बंगलौर-27 द्वारा पारित मूल आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 (2) के अन्तर्गत ब्याज सहित (जिसकी राशि निर्धारित नहीं की गयी थी) और धारा 75-76 और 78 के अन्तर्गत इसकी राशि (जो निर्धारित नहीं की गयी थी) के सहित 5,86,430 रुपये के सेवा कर की मांग की गयी थी।

सेवा कर कानून परामर्शदाता की सुनिश्चित राय के आधार पर कम्पनी की राय में जन सेवाओं के बारे में कर की मांग की गयी है वे सेवा कर के दायरे के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में शामिल नहीं हैं। तद्नुसार 11,77,008 की राशि (जिसमें सेवा कर की 5,86,430 रुपये की राशि और 4,43,970 रुपये की ब्याज की राशि और 1,46,608 रुपये की शास्ति की राशि शामिल है) जमा की गयी थी और अन्य अग्रिम (अनारक्षित और अच्छे समझे गये) शीर्ष के अन्तर्गत दिखायी गयी थी। इसलिए कम्पनी ने सेवा कर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस मांग को चुनौती दी है और खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह मुद्दा सेवा कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

25. सम्पत्ति कर

कम्पनी को 7.12.2010 को सहायक राजस्व कार्यालय, हुडी, बंगलौर से एक नोटिस प्राप्त हुआा था जिसमें वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के लिए परिसर के सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए कहा गया था। सम्पत्ति कर की अदायगी का मामला कर्नाटक सरकार के सी ऐण्ड आई विभाग की जानकारी में लाया गया था और सरकार से के टी पी ओ को आई टी पी ओ - भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच 16.2.1999 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सम्पत्ति कर से छूट देने का अनुरोध किया गया था जिसमें बताया गया था कि राजस्व और अन्य करों से सभी कर रियायतें कर्नाटक सरकार द्वारा दी जायेंगी। तद्नुसार सी ऐण्ड आई विभाग के प्रधान सचिव ने 22.1.2011 को यह मामला शहरी विकास विभाग के साथ उठाया था और कहा गया था कि के टी पी ओ को सम्पत्ति कर के भुगतान से छूट दी जाय और बी बी एम पी द्वारा के टी पी ओ को जारी किया गया नोटिस रोक लिया जाय। कम्पनी कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के साथ अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है और इस संबंध में अनुकूल निर्णय की आशा करती है।

5.3.2012 को संगठन को 15.2.2012 के पत्र द्वारा सहायक राजस्व अधिकारी हुडी बंगलौर से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि के एम सी अधिनियम 1796 की धारा 110 के अनुसार ई पी आई पी इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थित के टी पी ओ को सम्पत्ति कर से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पत्र को देखते हुए आगे कार्यवाही करने और सरकार, सी ऐण्ड आई विभाग और के टी पी ओ के बोर्ड को भुगतान के बारे में निर्णय करने की सूचना देने के लिए बी बी एम पी के वर्तमान दावों का सत्यापन किया गया है। उपलब्ध गणनाओं और बी बी एम पी से प्राप्त नोटिस का सत्यापन करने पर यह पाया गया है कि निर्मित क्षेत्र के लिए 8 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर औद्योगिक बिल्डिंगों के अधीन वर्तमान परिसरों पर लागू की गयी है जबकि यह संगठन पब्लिक सेक्टर इण्डस्ट्रियल बिल्डिंग (राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या संयुक्त उद्यम) की श्रेणी xiv के अंतर्गत आती है। जिसके लिए सैल्फ एसेसमेंट स्कीम के अन्तर्गत बी बी एम पी द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुस्तिका के अनुसार उद्योग का आकार कुछ भी होने पर 3 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर लागू होती है। इसलिए कम्पनी ने बी बी एम पी के संयुक्त आयुक्त को लिखा था और 17.11.2012 को यह अनुरोध किया था कि इस मामले में और आगे कार्यवाही करने के लिए सम्पति कर की संशोधित मांग जारी की जाये। 17.11.2012 को संयुक्त आयुक्त बीबीएमपी ने एक पत्र जारी किया था जिसमें पहली बार शास्ति सहित 2012-13 तक के लिए सम्पत्ति कर की मांग की गयी थी। केटीपीओ के निदेशक मण्डल ने उपर्युक्त तथ्यों पर विचार किया था और निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार कम्पनी ने कर्नाटक सरकार के सी ऐण्ड आई विभाग एआरओ/बीबीएमपी/हुडी द्वारा जारी किये गये उस पृष्ठाकंन के बारे में लिखा था और जिसमें यह बताया गया था कि केटीपीओ के भवनों को सम्पत्ति कर से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है और संयुक्त आयुक्त बीबीएमपी महादेवपुरा से 17.11.2012 को क्लेम प्राप्त हुआ था। कम्पनी ने यह भी बताया कि कर्नाटक सरकार के सीएण्डआई विभाग के प्रधान सचिव और आईटीपीओ/भारत सरकार के चेयरमैन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को देखते हुए उसकी शर्तों और निबंधनों की बाध्यता को पूरा करने के लिए छूट प्रदान किये जाने हेतु सीएण्डआई विभाग की सिफारिश के उत्तर में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में यूडीडी/कर्नाटक सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कम्पनी ने बी बी एम पी की मांगों के अनुरूप वर्ष 2007-8 से वर्ष 2012-13 तक की अवधि के लिए सम्पत्ति कर की मद में 1,47,39,722 रुपये की राशि का प्रावधान किया है। खातों में वर्षवार किये गये प्रावधान का ब्यौरा इस प्रकार है:-

2007-08	28,78,787/-
2008-09	23,72,187/-
2009-10	23,72,187/-
2010-11	23,72,187/-
2011-12	23,72,187/-
2012-13	23,72,187/-
योग	**1,47,39,722/-**

इसके अतिरिक्त यह सम्पत्ति 15.12.2010 को के टी पी ओ के नाम में पंजीकृत की गयी। के टी पी ओ को सम्पत्ति कर का भुगतान किस तारीख से करना है, उस प्रभावी तारीख का निर्धारण करने के लिए उक्त तारीख को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रोपर्टी टैक्स के सम्पत्ति कर की मद में 2012-13 तक के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि वर्तमान दावों पर आधारित है और उसमें संशोधन होने की संभावना है तथा बी बी एम पी से उत्तर प्राप्त होने की आशा है और संशोधित दावे की राशि पहले किये गये प्रावधान से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त को देखते हुए और इस बात के मद्देनजर कि सम्पत्ति कर की सही देनदारी का निर्धारण अभी होना है, दांडिक ब्याज का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है क्योंकि छूट दिये जाने का मुद्दा सीऐण्डआई/कर्नाटक सरकार के यूडीडी विभाग के पास लंबित है। इस संबंध में कार्यवाही उपयुक्त विभागों द्वारा दी गयी निर्णय की सूचना के आधार पर, निदेशकमंडल की स्वीकृति से की जाएगी।

26. पार्टियों के खाते में शेष राशि सत्यापन और पुनर्मिलान के अधीन है।

27. विविध ऋणदाताओं में लघु उद्योग की ओर शून्य रुपये की बकाया सम्मिलित है जो 30 दिन से अधिक और प्रति पार्टी एक लाख रुपये से अधिक से बकाया है, (पिछले वर्ष - शून्य रुपये)।

28. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कम्पनी केवल एक सेगमेंट - प्रदर्शनियों के लिए परिसर किराये पर देने के कार्य में लगी है। अत: अलग से किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

कृते और निदेशक मण्डल की ओर से

हमारी समतिथि की रिपोर्ट
कृते एम.के. भंसाली ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
(रजि. नं. 000446 एस)

ह./-	ह./-	ह./-
(सी. वीरभद्रैय्या)	**(एम. महेश्वर राव, आई ए एस)**	**(महेन्द्र कुमार)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक	साझेदार
		सदस्यता संख्या - 027218

स्थान: बंगलौर
दिनांक: 18.7.2013

31.03.2013 dk lekIr o"k dk d'k ¶yk fooj.k

(jkf'k & :i; e)

	31.03.2013 dk lekIr o"k d fy,	31.03.2012 dk lekIr o"k d fy,
d- lpkyu dk;dykik l d'k ¶yk		
चालू संचालनों से कर पूर्व व्यय से अधिक आय	5,73,62,602.36	2,84,12,426.69
गैर नकदी समायोजन – मूल्यह्रास	98,57,930.00	1,09,86,998.00
ब्याज से आय (फिक्स्ड डिपोजिट से)	(1,99,25,940.93)	(1,41,83,731.84)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन व्यय से अधिक आय	4,72,94,591.43	2,52,15,692.85
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि	39,90,932.10	52,03,004.90
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि	2,14,551.00	53,480.00
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में कमी/वृद्धि	(1,26,13,536.56)	77,75,972.05
अन्य चालू परिसम्पतियों में वृद्धि	(17,47,942.00)	(44,45,765.73)
ifjpkyu dk;dykik l fuoy d'k ¶yk	**3,71,38,595.97**	**3,38,02,384.07**
[k- fuo'k dk;dykik l d'k ¶yk		
स्थायी परिसम्पतियों (मूर्त) की खरीद	(41,743.00)	(31,49,140.00)
बैंक जमाओं में निवेश		
(तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली)	(5,68,55,596.00)	(4,58,33,670.00)
फिक्स्ड डिपाजिट से प्राप्त ब्याज	1,99,25,940.93	1,41,83,731.84
fuo'k dk;dykik l fuoy d'k&¶yk	**(3,69,71,398.07)**	**(3,47,99,078.16)**
x- foÙkh; dk;dykik l fuoy d'k&¶yk		
दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि	---	26,91,862.00
foÙkh; dk;dykik l fuoy d'k&¶yk	**---**	**26,91,862.00**
01- udnh vkj udnh lEkrY; e fuoy of) ¼deh½	**1,67,197.90**	**16,95,167.91**
02- o"k d vkjEHk e udnh vkj udnh lEkrY;	**(3,24,385.64)**	**(20,19,553.55)**
03- o"k dh lekIr ij udnh vkj udnh lEkrY;	**(1,57,187.74)**	**(3,24,385.64)**
udnh lEkrY;k d l?kVd & 'k"k jkf'k		
अपने पास नकदी	7,578.75	13,192.00
cpr cd@pkyw [kkrk e 'k"k	(1,64,766.49)	(3,37,577.64)
dy udnh lerY; & fVIi.kh l[;k 10	**(1,57,187.74)**	**(3,24,385.64)**

Ñr ,o fun'kd e.My dh vkj l

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.के. भंसाली ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
(पंजीकरण संख्या 000446एस)

ह./–	ह./–	ह./–
(सी. वीरभद्रैय्या)	(एम. महेश्वर राव, आई ए.एस)	(महेन्द्र कुमार)
प्रबंध निदेशक	निदेशक	मालिक
		सदस्यता संख्या 027218

स्थानः बंगलौर
दिनांक: 18/7/2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च 2013 को यथास्थिति संलग्न वित्तीय विवरण जिनमें तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के आय एवं व्यय लेखे और उसके साथ संलग्न कैश-फ्लो विवरण तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार उस पर की गयी टिप्पणियां और महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियों और व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित हैं, की लेखा परीक्षा की है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

ये वित्तीय विवरण जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3(ग) में निर्दिष्ट लेखा गणना मानकों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कैश-फ्लो की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की दृष्टि से प्रासंगिक ऐसे आंतरिक नियंत्रणों को लागू करना और उन्हें लागू रखना शामिल है जो सारभूत गलतबयानी से रहित हों चाहे वह धोखा-धड़ी के कारण हुई हो या किसी त्रुटि के कारण।

3. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपना मत व्यक्त करने की है।

हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत उन लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है जो इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउन्टैंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये हैं। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बारे में इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने की योजना बनाएं और उसके अनुसार लेखा परीक्षा करें कि इन वित्तीय विवरणों में कोई गलत कथन नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में ऐसी प्रक्रियाओं का निष्पादन होता है जिनसे वित्तीय विवरणों में दी गयी राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सकें। चुनी गयी प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों में की गयी मेटीरियल गलत बयानी, चाहे वह धोखा-धड़ी के कारण हुई हो या त्रुटि से, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है। इन जोखिमों का निर्धारण व मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो कम्पनी के वित्तीय विवरण तैयार करने और उन्हें समुचित रूप से प्रस्तुत करने की दृष्टि से प्रासंगिक हो जिससे ऐसी लेखा परीक्षाएं डिजाइन की जायें जो विद्यमान परिस्थिति में उपयुक्त हों। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत उपर्युक्त लेखा नीतियों की समुचितता और प्रबंधन द्वारा लगाये गए लेखा अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा ये विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे पर्याप्त हैं और लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से समुचित हैं।

4. विशेषीकृत राय आधार

(क) सम्पत्ति कर की गैर-अदायगी पर शास्ति (ब्याज) का प्रावधान नहीं किया जाना।

आपका ध्यान सम्पत्ति कर के मुद्दे पर वित्तीय विवरणों सम्बंधी टिप्पणियों की टिप्पणी 25 की ओर दिलाया जाता है। कम्पनी के ए आर ओ, बी बी एम पी और जे सी, बी सी एम पी महादेवपुर से प्राप्त मांगों के आधार पर वर्ष 2007-8 से 2012-13 तक के वर्षों के लिए देय सम्पत्ति कर के बारे में 1,47,39,722 रुपये का प्रावधान किया था हालांकि कम्पनी ने सम्पत्ति कर की संगणना और मांगे गये कर की राशि पर आपत्ति की है। कम्पनी के अनुसार वर्ष 2008-9 से 2012-13 तक के वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा देय सम्पत्ति कर की राशि

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

82,32,965 रुपये बैठती है और तद्नुसार कम्पनी ने भी बी बी एम पी से अपनी मांग को सरकारी संगठन पर लागू होने के अनुसार संशोधित करने का अनुरोध किया था और मामला अभी बी बी एम पी के समक्ष लम्बित है। चूंकि कम्पनी ने बी बी एम पी से प्राप्त डिमाण्ड नोटिसों के अनुसार सम्पत्ति कर के संबंध में पर्याप्त प्रावधान कर लिया है जो बी बी एम पी द्वारा विलंबित भुगतान के लिए लगाये जाने वाले ब्याज के हिस्से को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। सम्पत्ति कर की वर्तमान मांग के अनुसार ब्याज की अनुमानित राशि 96,98,312 रुपये बैठती है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 में 31,78,333 रुपये के अधिशेष (व्यय के मुकाबले अधिक आय) और उससे पहले की अवधियों के लिए अधिशेष की यह राशि 65,19,979 रुपये अधिक दिखायी गयी है और देनदारियों के विवरण के अन्तर्गत 96,98,312 रुपये दिखाये गये हैं।

कम्पनी को संपत्ति कर की अदायगी से छूट देने के लिये कम्पनी की दिनांक 12.12.2012 की कर्नाटक सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को भेजी गयी याचिका, कर्नाटक सरकार और भारत सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन को देखते हुए कर्नाटक सरकार के पास लंबित है।

(ख) के आई ए डी बी को अन्तरित विकसित भूमि का गैर पूंजीकरण - 10 करोड़ रुपये।

(i) आपका ध्यान विकसित भूमि के मुद्दे पर वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 22 की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ii) कर्नाटक सरकार के के.आई. ए. डी. बी. और आई टी पी ओ (संयुक्त प्रमोटरों) के बीच हुए दिनाँक 16.02.1999 के समझौता ज्ञापन के खण्ड 8 (iii) के अनुसार के आई ए डी बी प्रदर्शनी परिसर के लिए के आई ए डी बी द्वारा चुनी गयी और आई टी पी ओ द्वारा अभिज्ञात स्थान में आधारभूत ढांचे के साथ 50 एकड़ विकसित भूमि संयुक्त उद्यम कम्पनी को हस्तांतरित करेगा और उसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर आधारभूत ढांचे के विकास हेतु बाउन्ड्री वाल, सड़कों, परिवहन, जल, विद्युत, टेलीफोन और दूर-संचार आदि का परियोजना की अपेक्षानुसार निर्माण करने की व्यवस्था भी करेगा।

(iii) विनिर्दिष्ट समझौता ज्ञापन के खण्ड 8 (iv) के अनुसार 50 एकड़ विकसित भूमि का मूल्य 10 करोड़ रुपये निश्चित किया गया है जिसे कर्नाटक सरकार के के आई ए डी बी से प्राप्त पूँजी अंशदान माना जाना चाहिए। विकसित भूमि का मूल्य जो 10 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है।

(iv) यद्यपि कम्पनी के पास 50 एकड़ भूमि का कब्जा 4/11/1999 से है और कम्पनी ने उस भूमि पर आई टी पी ओ के माध्यम से प्रदर्शनी परिसर का निर्माण कर लिया था और उक्त प्रदर्शनी परिसर को 2005-06 के दस्तावेजों में दिखाया गया था और कम्पनी तभी से उस प्रदर्शनी परिसर से राजस्व प्राप्त कर रही है तथा यद्यपि विकसित भूमि के आई ए डी बी द्वारा कम्पनी के पक्ष में निष्पादित दिनॉक 15/02/2010 के विक्रय-विलेख (सेल-डीड) द्वारा कम्पनी के पक्ष में पंजीकृत था और इस तथ्य के बावजूद कि इस भूमि के बिक्री प्रतिफल का भुगतान के टी पी ओ द्वारा के आई ए डी बी को कर दिया गया है और उसका स्पष्टत: उल्लेख उक्त बिक्री नामे में कर दिया गया है। कम्पनी ने 50 एकड़ विकसित भूमि अपने खाते में नहीं दिखायी। इसके परिणामस्वरूप स्थाई परिसम्पत्तियां कम दिखायी गयी और के.आई.ए.डी.बी., जो कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से प्राप्त होने वाली इक्विटी/ देनदारी की राशि 10 करोड़ रुपये कम दिखायी गयी है।

(ग) बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा के आई ए डी बी को जारी की गयी 585 लाख रुपये की राशि दर्ज न किया जाना।

(i) आपका ध्यान विकसित भूमि के मुद्दे और बुनियादी ढांचे की लागत के ब्यौरे के मुददे के बारे में वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 22 की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ii) कर्नाटक सरकार- के आई ए डी बी तथा आई टी पी ओ को (संयुक्त प्रमोटरों) के बीच 16.2.1999 को हुए समझौता ज्ञापन के खण्ड 8 (iii) के अनुसार के आई ए डी बी व्हाइट फील्ड एरिया में प्रदर्शनी परिसर के लिये 50 एकड़ विकसित भूमि तथा आधारभूत ढांचे को संयुक्त उद्यम कम्पनी को के. आई. ए. डी. बी. द्वारा चुनी गयी तथा आई. टी. पी. ओ. द्वारा अभिज्ञात स्थल में अन्तरित करेगा और इसके अतिरिक्त उक्त भूमि में बाउण्ड्री वाल, सड़कें, परिवहन, जल, बिजली, टेलीफोन और दूर संचार आदि आधारभूत ढांचे का निर्माण-विकास परियोजना की अपेक्षा के अनुसार करेगा।

(iii) आपका ध्यान इस मुद्दे पर कम्पनी द्वारा के आई ए डी बी को दिनांक 30.3.2012 को लिखित पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है। उस पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि उपर्युक्त उप-पैरा (ii) में उल्लिखित रूप में कर्नाटक सरकार ने बाहरी ढांचे की व्यवस्था करने के अपने दायित्व के अनुरूप के. आई. ए. डी. बी. को 585 लाख रुपये जारी कर दिये थे और उपर्युक्त कार्य, के आई ए डी बी द्वारा किये जाने के लिए सौंप दिया था। इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक सरकार से इक्विटी/अधीनस्थ ऋण की राशि कम दिखायी गयी और के आई ए डी बी को दिये गये अग्रिम की राशि भी कम दिखायी गयी थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने बुनियादी ढांचे की लागत का ब्यौरा भी प्राप्त नहीं किया था और उसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों और चालू पूँजीगत निर्माण कार्य कम दिखाया गया जिसका उतना ही प्रभाव के आई ए डी बी को दिये गये अग्रिम पर भी पड़ा। यदि कर्नाटक सरकार, द्वारा जारी की गई राशि पूर्व उल्लिखित रूप में दर्ज की जाती तो पूर्ण की गयी परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास के कारण अधिशेष (व्यय से अधिक आय) पर उसका परिणामी प्रभाव होता।

(घ) वित्त वर्ष 2008-9 से 2012-13 तक के लिए आय कर का प्रावधान न किया जाना।

(i) आपका ध्यान आय कर प्रावधान के मुद्दे पर टिप्पणी संख्या 23 की ओर आकर्षित किया जाता है। मुख्य आयकर आयुक्त ने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के अन्तर्गत, स्वीकृति के नवीकरण के लिये दिये गये आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था और निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिये दिये गये आवेदन आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित उपबंध से प्रभावित हुए हैं। कम्पनी ने अपनी रिटयाचिका में आय कर आयुक्त के उक्त आदेश को चुनौती दी थी और माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग) (iv) के अन्तर्गत, कम्पनी द्वारा मांगे गये तथा उसी समय विभाग को निदेश दिया था कि वह भविष्य में ऐसा अवसर उत्पन्न होने पर रजिस्ट्रेशन की वापसी या अन्यथा निर्णय करे।

(ii) कम्पनी को वित्त वर्ष के दौरान निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए उस वर्ष के निर्धारण पूरा हो जाने के बाद एक निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ और धारा 12 क के अन्तर्गत कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया है। यह कहा गया है कि कम्पनी की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अन्तर्गत छूट के लिये पात्र नहीं है। कम्पनी ने आयकर उपनिदेशक (छूट), बंगलौर के ऊपर उल्लिखित आदेश के विरुद्ध 9.4.2013 को माननीय आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की है और वह लंबित है।

(iii) कम्पनी ने दिनांक 25.3.2003 के प्रमाण पत्र द्वारा धारा 12 क के अन्तर्गत छूट प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया था। कम्पनी को दिनांक 11.4.2011 को आय कर निदेशालय (छूट) से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें आय कर अधिनियम 1961 की धारा 12 क क(3) के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीकरण को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया था। कम्पनी ने दिनांक 27.4.2011 और 17.10.2011 के अपने पत्रों द्वारा आयकर निदेशालय को इस आशय का अभ्यावेदन किया था कि पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव छोड़ दिया जाय क्योंकि इस मुद्दे पर निर्धारण के समय ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस संबंध में अभी निर्णय की प्रतीक्षा है।

(iv) जैसा कि ऊपर बताया गया है निर्धारण वर्ष 2010-11 को छोड़ कर निर्धारण वर्ष 2008-9 से 2012-13 तक के लिए कम्पनी द्वारा दाखिल की गयी आयकर विवरणियां निर्धारण के लिए लम्बित हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान कम्पनी को 26.2.2013 को निर्धारण वर्ष 2003 से 2008-09 के लिये प्रदत्त मूल स्वीकृति को 1.4.2009 से रद्द करने का और धारा 10(23ग) (iv) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने का एक प्रस्ताव अतिरिक्त आयकर आयुक्त से टैक -1 प्राप्त हुआ था जिससे कम्पनी को पहले प्रदत्त शाश्वत रजिस्ट्रेशन का स्टेंड प्रभावित होता। कम्पनी ने उक्त अतिरिक्त आयकर आयुक्त टैक-1 द्वारा भेजे गये रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध 16.4.2013 और 10.5.2013 को लिखित निवेदन किया है। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए कम्पनी को दूरदर्शिता की अवधारणा के आधार पर कर संबंधी देनदारी का हिसाब-किताब लगा लेना चाहिए था और अपने खातों में उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। इससे अधिशेष (व्यय से अधिक आय) पर और कम्पनी की देनदारी पर प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त आंकड़े/सूचना न होने के कारण रद्द कर की राशि निर्धारित नहीं की गयी और हम इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली देनदारी की राशि के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

5. राय

हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार विशेषीकृत राय संबंधी पैरा में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़ कर, लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरणों से कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित रूप में मिलती है और ये विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुरूप निम्न के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं:-

(i) 31 मार्च 2013 को कम्पनी के कार्य विवरण के वास्तविक तुलन-पत्र के मामले में

(ii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के आय-व्यय लेखे और व्यय से अधिक आय के मामले में

(iii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश-फ्लो संबंधी कैश-फ्लो विवरण के मामले में

6. मामले पर बल

आई टी पी ओ को 994.50 लाख रुपये के शेयरों का आवंटन न किया जाना।

आपका ध्यान इस मुद्दे के बारे में वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 21 की ओर आकर्षित किया जाता है। के आई ए डी बी से खरीदी गयी भूमि के स्वामित्व दस्तावेज का अंतरण होने के बावजूद बोर्ड द्वारा क्रमश: 29.09.2006 और 6.01.2007 को हुई बोर्ड की पंद्रहवीं व सोलहवीं बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार उनसे प्राप्त 994.50 लाख रुपये के बारे में आई टी पी ओ को शेयरों का आबंटन नहीं किया गया। जैसाकि उक्त टिप्पणी में बताया गया है कि यह आबंटन न किये जाने का कारण यह था कि भूमि और बुनियादी ढांचे की कुल लागत का ब्यौरा न होने की वजह से भूमि

और बुनियादी ढांचे का पूंजीकरण नहीं किया गया। यदि 31.3.2013 से पहले ऐसा कर लिया गया होता, जैसा कि बोर्ड के निर्णय में उल्लेख किया गया है, तो कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची-vi के अनुसार शेयर धारकों के फंड की प्रस्तुति बेहतर ढंग से हुई होती। इस मामले के बारे में हमारी राय विशेषीकृत नहीं है।

7. अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

(i) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट)(संशोधन) आदेश 2004 द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के उपबंध इस कम्पनी पर लागू नहीं होते क्योंकि इस कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है।

(ii) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (3) के उपबंधों के अन्तर्गत, अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि-

(क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

(ख) हमारी राय में जहां तक कम्पनी के बहीखातों की हमारी जांच का संबंध है, से प्रतीत होता है कि कम्पनी के समुचित बहीखाते, कम्पनी द्वारा कानून की अपेक्षानुसार रखे गये हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा और कैश-फ्लो विवरण कम्पनी के बहीखातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा और कैश-फ्लो विवरण, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में यथानिर्दिष्ट अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

(ङ) कम्पनी ने बताया है कि कम्पनी कार्य विभाग ने अपनी 21 अक्तूबर 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829 (ङ) द्वारा यह अधिसूचित किया था कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1) (छ) सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होती, इसलिए निदेशकों की निर्हता संबंधी खण्ड लागू नहीं होता।

(च) चूंकि सरकार ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 441क के अन्तर्गत दिये जाने वाले उपकर की दर के बारे में न तो कोई अधिसूचना जारी की है और न ही दिये जाने वाले उपकर के भुगतान की रीति निर्धारित करने के लिए उक्त धारा के अन्तर्गत कोई नियम भी जारी किये हैं। अत: कम्पनी द्वारा और उसकी तरफ कोई उपकर देय नहीं है।

कृते एम.के. भंसाली ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(महेन्द्र कुमार)
साझीदार
एम नं. 027218
एफ आर एन 000446 एस

स्थान: बंगलौर
दिनांक: 25.07.2013

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर के 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार **कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर** के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी भारत के चार्टरित लेखापालों के संस्थान के व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। ऐसा दिनांक 25 जुलाई, 2013 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से मैंने मैसर्स कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है तथा इस लिये मुझे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./-
(एन. करुणाकरण)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा भूतपूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 13 अगस्त, 2013

टिप्पणी

टिप्पणी

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001